प्रथम संस्करण

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
निर्णय पत्रिका

की प्रस्तुति

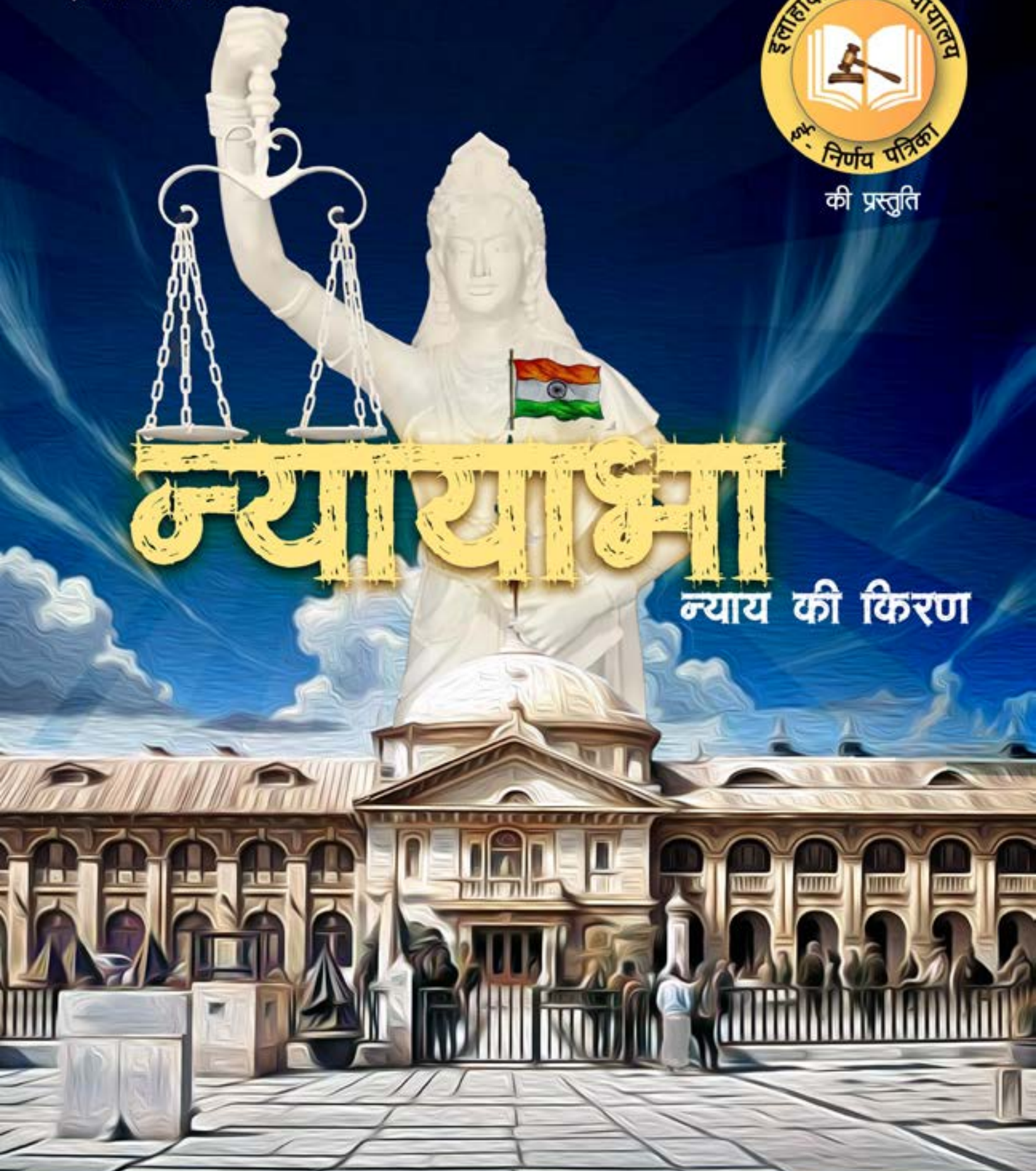

न्यायांजलि

न्याय की किरण

संविधान दिवस के ७५वीं वर्षगांठ के अवसर पर २६ नवंबर २०२४ को ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी और ई-लॉ रिपोर्ट कमेटी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लोकार्पित

ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी और ई-लॉ रिपोर्ट कमेटी,
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
द्वारा प्रस्तुत

न्यायाभा-न्याय की किरण

(इलाहाबाद उच्च न्यायालय की त्रैमासिक ई पत्रिका)

संरक्षक

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली
(मुख्य न्यायमूर्ति, इलाहाबाद उच्च न्यायालय)

माननीय न्यायमूर्ति श्री
मोहम्मद फैज आलम खान
सदस्य

माननीय न्यायमूर्ति
श्री अजित कुमार
अध्यक्ष

माननीय न्यायमूर्ति
श्री विक्रम डी. चौहान
सदस्य

माननीय न्यायमूर्ति, श्री अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश
संरक्षक
ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी और ई-लॉ रिपोर्ट कमेटी,
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
द्वारा संदेश

Arun Bhansali
Chief Justice
High Court of Judicature at Allahabad

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि *ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइज़री एवं ई-लॉ रिपोर्ट कमेटी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय* द्वारा त्रैमासिक हिंदी पत्रिका *"न्यायाभा-न्याय की किरण"* का *प्रथम संस्करण* संविधान दिवस के अवसर पर 26.11.2024 को प्रकाशित किया जा रहा है। इस शुभ दिवस पर पत्रिका का प्रकाशन इसके महत्व को और भी बढ़ा देता है।

इसी क्रम में, मैं सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजित कुमार, एवं सदस्यगण न्यायमूर्ति मोहम्मद फ़ैज़ आलम खान तथा न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। उनके कुशल नेतृत्व में यह पहल निश्चित रूप से सफलता के नए आयाम स्थापित करेगी।

पत्रिका के प्रधान संपादक, संपादक एवं सह-संपादक, को विशेष बधाई। उनकी संपादकीय दक्षता और समर्पण ने इस पत्रिका को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया है। मैं विश्वास करता हूँ कि उनके अनुभव और विशेषज्ञता से पत्रिका निरंतर नई ऊँचाइयों को छुएगी।

सुवास प्रकोष्ठ के सभी सदस्यों एवं संपूर्ण संपादकीय मंडल को भी मेरी ओर से बधाई। उनके अथक प्रयासों से ही यह पत्रिका साकार हो पाई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पत्रिका विधिक कार्यों/गतिविधियों से हटकर न केवल विधिक ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने में भी सहायक होगी।

यह पत्रिका विधि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। न्यायधीशों, अधिवक्तागण, विधि विशेषज्ञों के अनुभवों और विचारों से आम जनमानस, विधि छात्रों आदि को विधि के विभिन्न अनुभवों से परिचित कराने में यह एक सशक्त माध्यम बनेगी। इससे न केवल विधि व्यवसायियों को लाभ होगा, बल्कि आम नागरिकों को भी विधिक प्रणाली, इसकी जटिलताएं और इसका सामना करने वालों के अनुभवों से सीखने, सुधार करने एवं प्रेरणा लेते हुए अपने अधिकारों की समझ विकसित करने में सहायक होगी।

"न्यायाभा-न्याय की किरण" के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, मैं आशा करता हूँ कि यह प्रकाशन न्यायपालिका और विधि व्यवसाय के बीच एक सेतु का कार्य करेगी तथा विधिक शोध एवं विचार-विमर्श को नई दिशा प्रदान करेगी।

शुभकामनाओं सहित,

[अरुण भंसाली]
मुख्य न्यायाधीश
इलाहाबाद उच्च न्यायालय

माननीय न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार

अध्यक्ष, ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी और ई-लॉ रिपोर्ट कमेटी,
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
द्वारा संदेश

Justice Ajit Kumar

Judge, High Court of Judicature at Allahabad
Allahabad

संदेश

आज संविधान दिवस के अवसर पर हम सभी एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं, जब **"न्यायाभा–न्याय की किरण"** ई–पत्रिका का प्रथम संस्करण प्रकाशित हो रहा है। यह पत्रिका भूतपूर्व न्यायामूर्तिगण एवं वरिष्ठ विधिक विद्वानों के विचारों एवं दृष्टिकोणों को हिंदी में प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण कार्य करेगी। इस पत्रिका के माध्यम से हम उन ऐतिहासिक क्षणों और संघर्षों को जीवित रखेंगे, जिन्होंने भारतीय न्यायपालिका को मजबूत किया है। इसके अतिरिक्त, पत्रिका में उन अद्वितीय और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों के चित्रित विवरण (पेन पोट्रेट्स) भी होंगे, जिन्होंने भारतीय न्यायिक परंपरा में उत्कृष्ट योगदान दिया है।

हमारे न्यायिक इतिहास में कई ऐसे महत्वपूर्ण न्याय–संबंधी और विधिक विषय रहे हैं, जिन्होंने समाज में न्याय के अधिकारों को सुरक्षित रखने में योगदान दिया। इन विषयों पर पत्रिका में लेख, आलोचना और विस्तृत चर्चा प्रकाशित की जाएंगी, जिससे उन विषयों को आम जनमानस के लिए समझना सरल हो सके।

इसके साथ ही, स्मृतियों और संस्मरण तथा किस्से और संवाद भी पत्रिका में प्रकाशित किए जाएंगे, जो न्यायपालिका के भीतर की छोटी–बड़ी घटनाओं, रोचक वार्तालापों और प्रभावी निर्णयों के बारे में बताएंगे। यह विशेष रूप से उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण और विद्वान अधिवक्तागण के अनुभवों से संबंधित होंगे, जो न केवल न्यायिक प्रणाली को जीवंत बनाए रखते हैं, बल्कि हमारे समाज की न्यायिक समझ को भी सरल बनाते हैं।

जैसा कि हम जानते हैं, भारत में न्यायिक प्रणाली में कई प्रकार की जटिलताएँ हैं, जिन्हें सामान्यतः पेशेवर लोग ही समझ पाते हैं। लेकिन यह पत्रिका इन जटिलताओं को सरल रूप में प्रस्तुत कर, न केवल न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं को, बल्कि आम नागरिकों को भी उनके अधिकारों और न्यायिक प्रक्रियाओं से परिचित कराएगी। इससे नागरिकों का न्यायिक प्रणाली एवं उसकी पारदर्शिता के प्रति विश्वास और प्रगाढ़ होगा। मुझे इस बात का विश्वास है कि इस पत्रिका में प्रकाशित होने वाले प्रत्येक चित्रित विवरण (पेन पोट्रेट्स) और संस्मरण न केवल न्यायिक समुदाय के लिए, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए एक अमूल्य धरोहर सिद्ध होंगे।

इस सफल पहल के लिए मैं सुवास प्रकोष्ठ के सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ, जिनके निरंतर प्रयास और समर्पण ने इस पत्रिका को साकार किया है। इसके साथ ही, मैं पत्रिका के प्रधान संपादक, संपादक और सह–संपादक को भी हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ, जिनके नेतृत्व में यह पत्रिका अपने प्रथम संस्करण से ही उच्च मानकों को स्थापित करने में सफल होगी। मैं आशा करता हूँ कि उनका समर्पण और कार्यक्षमता पत्रिका को निरंतर सफलता की ओर ले जाएगा और **"न्यायाभा–न्याय की किरण"** का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल होगा।

सधन्यवाद

(न्यायमूर्ति अजित कुमार)
इलाहाबाद उच्च न्यायालय

माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद फ़ैज़ आलम खान

सदस्य, ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी और ई-लॉ रिपोर्ट कमेटी,
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
द्वारा संदेश

न्यायमूर्ति मोहम्मद फ़ैज़ आलम खान

JUDGE HIGH COURT AT ALLAHABAD

लखनऊ खण्डपीठ
लखनऊ
दिनांक : 22.11.2024

संदेश

संविधान दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर ई-पत्रिका **"न्यायाभा-न्याय की किरण"** के प्रथम संस्करण का विमोचन एक सुखद क्षण है। यह पत्रिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी और ई-लॉ रिपोर्ट कमेटी** के मार्गदर्शन में प्रकाशित की जा रही है। इस पत्रिका का उद्देश्य न्यायपालिका से संबंधित विद्वानों के विचारों और दृष्टिकोणों को आम जनमानस तक पहुँचाना और न्यायिक प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

इस पत्रिका में भूतपूर्व न्यायमूर्तिगण एवं महाधिवक्तागण की स्मृतियाँ और संस्मरण के महत्वपूर्ण अंश होंगे, जिनके माध्यम से हम उच्च न्यायालय और न्यायिक प्रणाली के अन्तर्गत छोटे-बड़े अनुभवों और घटनाओं का वर्णन करेंगे। ये संस्मरण न केवल इतिहास को जीवित रखते हैं, बल्कि न्यायिक प्रणाली की मानवता को भी उजागर करते हैं। इसके अतिरिक्त पत्रिका में सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित न्यायिक लेखों को भी महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा, जो यह दर्शाते हैं कि एक सशक्त न्यायिक समाज में न केवल कानून का शासन, बल्कि समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियाँ भी महत्वपूर्ण हैं।

इस पत्रिका का प्रकाशन हम सभी के लिए गर्व का विषय है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पत्रिका समय के साथ न्यायिक समाज के लिए एक अभूतपूर्व संसाधन बनेगी। इसका उद्देश्य केवल विधिक समुदाय तक सीमित नहीं है, अपितु इसका लाभ प्रत्येक नागरिक को मिलेगा। यह पत्रिका न केवल विधिक ज्ञान का प्रसार करेगी, बल्कि समाज में न्याय के प्रति जागरूकता एवं पारदर्शिता भी बढ़ाएगी और यह न्यायालयों के कार्यों को आम जनमानस तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास सिद्ध होगी।

मैं पत्रिका के प्रधान संपादक, संपादक, सह-संपादक और सुवास प्रकोष्ठ के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, जिनके अथक प्रयासों और समर्पण से इस महत्वपूर्ण परियोजना को साकार किया गया है। उनकी मेहनत और दृष्टिकोण ने इस पत्रिका को एक नयी दिशा और रूप दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका प्रयास इस पत्रिका को निरंतर नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

शुभकामनाओं सहित,

(न्यायमूर्ति मोहम्मद फ़ैज़ आलम खान)
इलाहाबाद उच्च न्यायालय

माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान

सदस्य, ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी और ई-लॉ रिपोर्ट कमेटी,
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
द्वारा संदेश

Justice Vikram D. Chauhan

Judge, High Court of Judicature at Allahabad
Allahabad

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हम संविधान दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर ***"न्यायाभा-न्याय की किरण"*** ई-पत्रिका के प्रथम संस्करण का विमोचन कर रहे हैं। यह न्यायिक समाज के साथ-साथ आम जनमानस के लिए न्यायिक क्षेत्र के विद्वानों के विचारों को हिन्दी भाषा में उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण साधन बनेगी। यह पत्रिका विधिक समुदाय के संवाद और शोध को बढ़ावा देने के साथ-साथ, आम जनमानस के लिए न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक सुलभ बनाएगी।

सुवास प्रकोष्ठ के सभी सदस्यों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, जिनके अथक प्रयास और योगदान ने इस पत्रिका को सार्थक रूप दिया है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से न्याय-संबंधी और विधिक स्मृतियाँ, संस्मरण तथा संवाद जैसे महत्वपूर्ण विषयों को हिन्दी भाषा में आम जन तक पहुँचाने का कार्य किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे इसे आगे और भी प्रभावशाली और सशक्त बनाएंगे, जिससे यह पत्रिका विधिक और न्यायिक समाज के लिए एक मजबूत संसाधन बनेगी।

मैं इस प्रकाशन के सफल होने की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस पत्रिका के माध्यम से हम अपने समाज को एक ऐसा मंच प्रदान करनें में सफल होंगे जहाँ हर नागरिक विधिक और न्यायिक जानकारी सुगमता से प्राप्त कर सके।

सादर

V.D. Chauhan

(न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान)
इलाहाबाद उच्च न्यायालय

संपादकीय

"न्यायाभा-न्याय की किरण" को **ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी और ई-लॉ रिपोर्ट कमेटी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय** के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार एवं सदस्य माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद फैज आलम खान और माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान के द्वारा परिकल्पित किया गया और उनके मार्गदर्शन के फलस्वरूप, २६ नवंबर, २०२४ **(संविधान दिवस)** के अवसर पर इस त्रैमासिक पत्रिका के प्रथम संस्करण को **ई-पत्रिका** के रूप में विमोचित किया जा रहा है।

"न्यायाभा-न्याय की किरण" सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद की एक नूतन पहल है, जो ई-इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका से भिन्न होते हुए, पाठकों को न्यायालय से संबंधित व्यक्तियों के अनुभवों से परिचित कराने का प्रयास करेगी। यह न्याय, संविधान, विधि एवं न्यायालय के संबंध मे विधिक लेखों, पूर्व न्यायाधीशों के भाषण, संस्मरण, अनुभव एवं उनके ज्ञान के भण्डार से निकले हुए प्रकाश पुंज को संकलित कर आम जनमानस व विधि व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्तियों को लाभान्वित करेगी। यह जिला न्यायिक अधिकारियो, अधिवक्ताओं, वादकारियों, विधिक छात्रों इत्यादि के लिए एक स्वर्ण कोष का कार्य कर सकती है, जो किसी पक्ष / विपक्ष के मध्य हुए विवाद के संबंध मे न्यायिक निर्णय से हटकर न्यायालय के गलियारों मे अपने कार्यजीवन के अनुभवों को साझा करते हुए व्यक्तियों के विचारों के प्रति जिज्ञासु होने के अवसर प्रदान करेगी। निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति अनुभव से ही सीखता है और यदि कोई एक ऐसा माध्यम हो, जहां पर विधि के क्षेत्र के महारथियों के अलग-अलग अनुभव एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाएं, तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व अतुलनीय बन सकता है। "न्यायाभा-न्याय की किरण" इसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास है।

वर्तमान संस्करण **"न्यायाभा-न्याय की किरण"** का प्रथम संस्करण है, इसलिए संपादक मण्डल द्वारा कुछ प्रथम दृष्टांतों का प्रकाशन किया जा रहा है, यथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायमूर्ति, प्रथम भारतीय मुख्य न्यायमूर्ति, प्रथम महिला अधिवक्ता, भारत का प्राचीन न्यायिक शास्त्र आदि।

हम आशा करते है की पाठकों को यह प्रथम संस्करण और इसमें प्रकाशित अंशो / लेखो से प्रेरणा प्राप्त होगी। साथ ही हम पाठकों के सुविचारों का स्वागत करते है, जिससे हम अपने अगले संस्करण में उनका स्मरण कर, इसे और उपयोगी बना सकें ।
धन्यवाद

प्रधान संपादक

सुवास प्रकोष्ठ

भारत के तत्कालीन **मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़** ने भारत के जनमानस को उनकी क्षेत्रीय भाषा में निर्णय उपलब्ध कराकर उनमें विधिक जागरूकता फैलाने के लिए, २३ जनवरी, २०२३ को भारत के सभी उच्च न्यायालयों के माननीय मुख्य न्यायमूर्तियों को पत्र भेज कर, प्रत्येक उच्च न्यायालय मे एक **ए.आई. कमेटी** के गठन का निर्देश दिया, जिसके अनुपालन मे उच्च न्यायालय, इलाहाबाद मे **उच्च न्यायालय ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी कमेटी** का गठन २७ जनवरी, २०२३ को हुआ।

कमेटी का प्रथम गठन **माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक चौधरी**, अध्यक्ष व **माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद फैज आलम खान**, सदस्य के रूप मे हुआ। २९ मार्च, २०२३ को **माननीय न्यायमूर्ति श्री ओम प्रकाश शुक्ला**, अध्यक्ष व **माननीय न्यायमूर्ति श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव**, सदस्य के रूप मे कमेटी को पुनर्गठित किया गया। ०९ मई, २०२३ को **माननीय न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार**, अध्यक्ष एवं **माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद फैज आलम खान**, सदस्य के रूप मे कमेटी का पुनर्गठन हुआ। तदोपरान्त दिनांक २६ फरवरी, २०२४ को भारत के तत्कालीन **मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़** के निर्देशानुसार ई-इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका (e-AHCR) के प्रकाशन हेतु २८ फरवरी, २०२४ को **माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान** को माननीय मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उक्त कमेटी के तीसरे सदस्य के रूप मे नामित किया गया और वर्तमान मे यही कमेटी कार्यरत है।

इस पूरी प्रक्रिया की अवधि मे ही, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व लखनऊ पीठ, लखनऊ मे स्वतंत्र **सुवास प्रकोष्ठ** का गठन १६ अगस्त, २०२३ को हुआ।

अपने औपचारिक गठन के मात्र तीन माह की अवधि मे, **सुवास प्रकोष्ठ** के समस्त कर्मियों के अथक प्रयासों से उच्चतम न्यायालय के ९१६१ निर्णयों का हिन्दी मे अनुवाद कराकर उच्चतम न्यायालय को गत वर्ष के संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर उपलब्ध कराया गया, यह वास्तव मे एक उल्लेखनीय उपलब्धि रही है।

सुवास प्रकोष्ठ, उक्त कमेटी के निर्देशों मे यहीं नहीं रुका और आज की तिथि मे उच्च न्यायालय के ११००० से अधिक निर्णयों का अनुवाद कराकर ई-इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका मे प्रकाशित कर चुका है । साथ ही उच्चतम न्यायालय के उत्तर प्रदेश राज्य से उत्पन्न लगभग २८५ निर्णयों का अनुवाद कराकर प्रकाशित किया जा चुका है ।

भविष्य मे **सुवास प्रकोष्ठ** का प्रयास, उक्त कमेटी के निर्देशानुसार, **"**रियल टाइम**"** अनुवाद को वर्तमान से और भी आगे ले जाने का होगा।

माननीय न्यायमूर्ति **श्री अभय एस. ओका**, अध्यक्ष, **उच्चतम न्यायालय ए. आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी कमेटी** के निरंतर मार्गदर्शन एवं अध्यक्ष उच्च न्यायालय ए. आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी और ई-लॉ रिपोर्ट कमेटी इलाहाबाद, के सघन पर्यवेक्षण, निगरानी और दिशानिर्देशों के फलस्वरूप **सुवास प्रकोष्ठ** द्वारा ई-निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया गया है।

सुवास प्रकोष्ठ की संरचना

उप निबंधक
श्री विवेक श्रीवास्तव

सहायक निबंधक
श्री गोपाल सिंह (लखनऊ)

अनुभाग अधिकारी
सर्वश्री डॉ० मो. शहाब सिद्दीकी, सुधीर तिवारी, विनोद कुमार त्रिपाठी, सुनील कुमार कुशवाहा, अजीत सिंह, रजनीकांत वर्मा, राजेश तिवारी (लखनऊ)

समीक्षा अधिकारी
सर्वश्री राधा रमन, डॉ० अनुपम श्रीवास्तव, देवेंद्र सिंह, अमित कुमार पांडे, प्रियंका गौतम, आकृति मिश्रा, सत्येन्द्र कुमार द्विवेदी, धीरेन्द्र प्रताप, मनीष कुमार सिंह,

समीक्षा अधिकारी (हिन्दी)
सर्वश्री प्रियरंजन, कुलदीप निगम, आदित्य मिश्रा, सुश्री अक्षिता चौधरी, सर्वेश कुमार वर्मा, शुभम पांडे, शुभम गुप्ता, सूरज गोस्वामी, सैयद असीम रसीद, जय शंकर यादव, प्रदीप कौशल, सुश्री अंकिता सचान, आशुतोष कुमार (लखनऊ), गजेन्द्र प्रताप सिंह (लखनऊ), श्रीमती काव्या यादव (लखनऊ), जितेंद्र कुमार (लखनऊ)

निर्णय अनुवादक (संविदा कर्मी)
सर्वश्री मनीष पाण्डेय, दिलीप शुक्ला, मनीष मिश्रा, उमेश शुक्ला

सहायक समीक्षा अधिकारी
सुश्री शालिनी सिंह, श्रीमती अंजलि कुशवाहा,

कंप्यूटर सहायक
श्री अतुल सागर

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
श्रीमती मंजू दुबे, श्री राकेश कुमार

अस्वीकरण

पत्रिका मे प्रकाशित अंशों/लेखों का अनुवाद ए.आई. तकनीक का प्रयोग कर अनुवादित किया गया है।

अनुवादित संस्करण में पूर्ण एवं उचित जानकारी प्रदान करने के लिए सतर्कता और सावधानी बरती गई है। फिर भी, गलत या अशुद्ध अनुवाद अथवा अनुवादित पाठ की अंतर्वस्तु में, किसी भी त्रुटि, चूक या विसंगति के लिए उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं उसकी लखनऊ खंडपीठ की रजिस्ट्री/सुवास प्रकोष्ठ, गलत या अशुद्ध अनुवाद अथवा अनुवादित पाठ की अन्तर्वस्तु में, किसी भी त्रुटि, चूक या विसंगति के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

अगर आप मूल लेखों को पढ़ना चाहते है तो आपकी सुविधा के लिए उनका पता अनुक्रमणिका में मूल स्रोतों के अंतर्गत दिया गया है।

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विषयवस्तु	मूल स्रोत	प्रष्ठ संख्या
1.	भारतीय न्यायिक प्रणाली, एक ऐतिहासिक विश्लेषण	*The Indian Judicial System : A Historical Survey* *By Hon'ble Mr Justice S.S. Dhavan, Allahabad High Court* *CENTENARY ``CELEBRATION (Volume I)*	12
2.	न्यायमूर्ति सैयद महमूद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायमूर्ति	*Lest We Forget* *By Sri M Hidayatullah, Former Chief Justice and Vice-President of India* *POST CENTENARY SILVER JUBILEE CELEBRATION (Volume I)*	30
3.	न्यायमूर्ति सैयद महमूद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायमूर्ति को श्रद्धांजलि	*Justice Mahmood - A Tribute* *By Sri K L Misra, Former Advocate General, Uttar Pradesh* *POST CENTENARY SILVER JUBILEE CELEBRATION (Volume I)*	36
4.	सर शाह मुहम्मद सुलेमान, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायमूर्ति	*Sir Shah Muhammad Sulaiman* *By Hon'ble Mr Justice R S Pathak* *CENTENARY CELEBRATION (Volume I)*	38
5.	कॉर्नेलिया सोराबजी, भारतवर्ष की प्रथम महिला अधिवक्ता का अद्भुत सफर	*https://en.wikipedia.org/wiki/Cornelia_Sorabji* *https://timesofindia.indiatimes.com/home/sunday-times/the-veiled-history-of-indias-first-woman lawyer/article-show/70144831.cms* *https://www.shethepeople.tv/blog/cornelia-sorabji-india-first-female-lawyer/*	44
6.	भारतीय विधिक प्रणाली का आत्मनिरीक्षण	*The Indian Legal System: A Time for Introspection* *By Sri K.K. Venugopal, Senior Advocate, Supreme Court of India* *POST CENTENARY SILVER JUBILEE CELEBRATION (Volume I)*	47
7.	'राज्य विधान सभा और उच्च न्यायालय के बीच संवैधानिक विरोधाभास का मामला' - संविधान की सर्वोच्चता सिद्ध	*A Case of Constitutional Conflict between the State Legislative Assembly and the High Court: Supremacy of the Constitution Vindicated* *By Hon'ble Mr Justice Mirza Hameed Ullah Beg* *CENTENARY CELEBRATION (Volume I)*	52
8.	विधि व्यवसाय के नव प्रवेशियों को उत्साहवर्धक एवं मार्गदर्शक संदेश	*When you like your work, every day is a holiday.* *by Hon'ble Mr. Justice Pankaj Mithal, Supreme Court of India* *(Web Diary Events)*	61
9.	भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, माननीय डॉ न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के विदाई भाषण के अंशो का हिंदी अनुवाद (जिनमे उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायलय के अनुभवों को साझा किया है)	*TRANSCRIPT: Chief Justice DY Chandrachud's Farewell Speech* *https://singjupost.com/transcript-chief-justice-dy-chandrachuds-farewell-speech/?singlepage=1*	66
10.	बेंच से बॉट तक - आधुनिक अदालती कार्यवाही मे एआई की भूमिका	*https://www.barandbench.com/columns/artificial-intelligence-in-context-of-legal-profession-and-indian-judicial-system* *etc*	68

भारतीय न्यायिक प्रणाली, एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण

द्वारा न्यायमूर्ति श्री एस.एस.धवन
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

भाग क: प्राचीन भारत में न्यायिक प्रणाली

भारत में दुनिया की सबसे पुरानी न्यायपालिका है। अन्य किसी भी न्यायिक प्रणाली की वंशावली इतनी प्राचीन या उत्कृष्ट नहीं है।

परन्तु प्राचीन भारत की न्यायिक प्रणाली का वर्णन करने से पूर्व मुझे कुछ बातों के लिए सचेत करना होगा। पाठकों को कुछ ब्रिटिश लेखकों द्वारा भारतीय न्यायशास्त्र और प्राचीन भारत की विधिक प्रणाली के विषय में की गई बड़ी गलत व्याख्या को अस्वीकार करना चाहिए। मैं कुछ उदाहरण दूंगा। हेनरी मेने ने प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था को "क्रूर बेतुकी बातों का तंत्र" बताया था। एक एंग्लो-इंडियन विधिवेत्ता ने अंग्रेजों के भारत में आने से पहले भारतीयों की "पूर्वी जीवनशैली" के बारे में निम्नलिखित टिप्पणी की थी: "यह (भारत में ब्रिटिश शासन) विदेशी शासकों द्वारा एक अपरिचित भूमि में विदेशी जातियों पर शासन करने, यूरोपीय संस्थाओं को प्राच्य जीवन-शैली के अनुकूल बनाने, तथा उन लोगों के बीच निश्चित कानूनों को सर्वोच्च बनाने के लिए किए गए प्रयोगों का अभिलेख है, जो हमेशा से ही सरकार को मनमाने और अनियंत्रित अधिकार से जोड़ते आए हैं।" (मेरे द्वारा प्रभाव वर्धित)। भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त सदस्य एलन ग्लेडहिल ने लिखा कि जब अंग्रेजों ने भारत में सत्ता प्राप्त कर ली, तब "विधिक सिद्धांतों का अभाव था।"

ये कथन असत्य हैं। मुझे यह अनुमान नहीं है कि ये क्यों कहे गए। हो सकता है कि ये कथन पूर्णरूपेण अज्ञानता या साम्राज्यवादी स्वार्थ या भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रति अवमानना के कारण हों, जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का एक हिस्सा था, जो साम्राज्यवाद के उत्कर्ष के काल में ब्रिटिश न्यायविदों, इतिहासकारों और विचारकों पर प्रभावी था। लेकिन इस गलत बयानी का असर, जिसकी इतिहास में बहुत कम समानताएँ हैं, भारत और बाहर दोनों जगह भारतीय न्यायिक प्रणाली की एक झूठी तस्वीर बनाना था।

प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था का सत्यतापूर्ण और सही छवि प्राप्त करने के लिए हमें मूल ग्रंथों का अध्ययन करना समीचीन होगा। पाठक इनसे यह जान सकेंगे कि भारतीय न्यायशास्त्र विधि के शासन पर आधारित था राजा स्वयं विधि के अधीन था भारतीय राजनीतिक सिद्धांत और न्यायशास्त्र में मनमानी शक्ति अज्ञात थी और राजा का शासन करने का अधिकार कर्तव्यों की पूर्ति के अधीन था, जिसके उल्लंघन के परिणामस्वरूप राजत्व का हनन होता था । न्यायाधीश स्वतंत्र थे और केवल विधि के अधीन थे न्यायपालिका की योग्यता, शिक्षा, निष्ठा, निष्पक्षता और स्वतंत्रता के संबंध में प्राचीन भारत में किसी भी प्राचीन राष्ट्र की तुलना में उच्चतम मानक थे । और इन मानकों को आज तक पार नहीं किया जा सका है भारतीय न्यायपालिका में न्यायाधीशों का पदानुक्रम होता है, जिसमें सबसे ऊपर मुख्य न्यायाधीश (प्रदर्शक) का न्यायालय होता है तथा प्रत्येक उच्चतर न्यायालय को अपने से अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार होता है विवादों का निर्णय मूलतः प्राकृतिक न्याय के उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है, जो आज आधुनिक राज्य में न्यायिक प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं प्रक्रिया और साक्ष्य के नियम आज के नियमों के समान ही थे अग्नि परीक्षा जैसे प्रमाण के अलौकिक तरीकों को निरूत्साहित किया गया था आपराधिक मुकदमों में अभियुक्त को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता था जब तक कि उसका अपराध विधि के अनुसार प्रमाणित न हो जाए दीवानी मामलों में सुनवाई किसी भी आधुनिक सुनवाई की तरह चार चरणों में होती थी वादपत्र, जवाब, सुनवाई और डिक्रीय प्रांग न्याय जैसे सिद्धांत भारतीय न्यायशास्त्र से परिचित थे सभी मुकदमे, चाहे सिविल हों या आपराधिक, कई न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुने जाते थे और यदा-कदा ही एकल न्यायाधीश द्वारा सुने जाते थे। राजा को छोड़कर सभी न्यायालयों के निर्णय निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपील या समीक्षा के अधीन थे। न्यायालय का मूल कर्तव्य "पक्षपात या भय के बिना" न्याय करना था।

प्राचीन भारत में विधि का शासन

क्या प्राचीन भारत में विधि का शासन था? ग्रंथ स्वयं ही इसका उत्तर बताते हैं।

महाभारत में कहा गया है कि "जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा करने की शपथ लेने के बाद भी उसकी रक्षा करने में असफल रहता है, उसे पागल कुत्ते की तरह मार डालना चाहिए।"

"लोगों को उस राजा को मार डालना चाहिए जो उनकी रक्षा नहीं करता, बल्कि उन्हें उनकी संपत्ति और परिसम्पत्तियों से वंचित करता है और जो किसी से कोई सलाह या मार्गदर्शन नहीं लेता। ऐसा राजा, राजा नहीं बल्कि दुर्भाग्य है।"

इन प्रावधानों से यह संकेत मिलता है कि संप्रभुता एक निहित सामाजिक समझौते पर आधारित थी और यदि राजा पारंपरिक समझौते का उल्लंघन करता था, तो वह अपना राजत्व खो देता था।

मौर्य साम्राज्य के ऐतिहासिक समय में, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजा के कर्तव्यों का वर्णन इस प्रकार किया है: "राजा की प्रसन्नता उसकी प्रजा की प्रसन्नता में है उनकी भलाई में उसकी भलाई है जो कुछ उसे अच्छा प्रतीत होता है उसे वह अच्छा नहीं मानेगा, परन्तु जो उसकी प्रजा को अच्छा लगता है वही उसे अच्छा मानेगा।"

कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत अत्यंत प्राचीन परंपरा पर आधारित था जो रामायण के युग में पहले से ही प्रतिस्थापित थी। अयोध्या के राजा राम को अपनी रानी को निर्वासित करने के लिए विवश होना पड़ा, जिससे वे प्रेम करते थे और जिनकी पवित्रता में उन्हें पूर्णतः विश्वास था, मात्र इसलिए क्योंकि उनकी प्रजा ने उनकी पत्नी को वापस लेने से इनकार कर दिया था, जो अपने अपहर्ता के घर में एक वर्ष व्यतीत कर चुकी थी। राजा ने लोगों की इच्छा के आगे समर्पण कर दिया, यद्यपि इससे उनका हृदय टूट गया।

महाभारत में वर्णित है कि: "एक सामान्य मछुआरे ने अपनी पुत्री का विवाह हस्तिनापुर के राजा से तब तक करने से इनकार कर दिया जब तक कि राजा ने यह शर्त स्वीकार नहीं कर ली कि उसकी पुत्री के पुत्र ही सिंहासन पर आसीन होंगे, न कि किसी पूर्व रानी के उत्तराधिकारी।" राजकुमार देवव्रत द्वारा राजसिंहासन का त्याग और आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा (भीष्म प्रतिज्ञा) महाभारत के सबसे मार्मिक प्रसंगों में से एक है। लेकिन न्यायविदों के लिए इसका महत्व यह है कि संप्रभु भी कानून से ऊपर नहीं था। हस्तिनापुर के महान राजा अपनी शर्तों को स्वीकार किए बिना अपनी सबसे विनम्र प्रजा को अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए विवश नहीं कर सकते थे। यह इस दृष्टिकोण का खंडन करता है कि प्राचीन भारत में राजा "पूर्वी तानाशाह" थे, जो कानून या अपनी प्रजा के अधिकारों की परवाह किए बिना अपने अधीन कार्य कर सकते थे।

प्राचीन भारत में न्यायपालिका

इस प्रारंभिक सचेतक के साथ, मैं प्राचीन भारत की न्यायिक प्रणाली का वर्णन करने का प्रयास करना चाहूँगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, जिन्हें सामान्यतः प्रथम मौर्य सम्राट (३२२-२९८ ई.पू.) का प्रधानमंत्री माना जाता है, राज्य को प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था जिन्हें स्थानीय, द्रोणमुख, खरवाटिका और संग्रह (आधुनिक जिलों, तहसीलों और परगनाओं के प्राचीन समकक्ष) कहा जाता था । आठ सौ गांवों के मध्य में स्थानीय नामक दुर्ग, ४०० गांवों के मध्य में द्रोणमुख,२०० गांवों के मध्य में खरवाटिका तथा दस गांवों के मध्य में संग्रह होता था। प्रत्येक संग्रह में तथा जिलों (जनपदसंधिषु) के मिलन स्थलों पर न्यायालय स्थापित होते थे। न्यायालय में तीन न्यायविद (धर्मस्थ) और तीन मंत्री (अमात्य) होते थे।

इससे परिपथ न्यायालयों के अस्तित्व का पता चलता है, क्योंकि यह शायद ही संभव है कि राज्य के प्रत्येक जिले में तीन मंत्री स्थायी रूप से तैनात थे।

महान न्यायविदों, मनु, यज्ञवल्क्य, कात्यायन, बृहस्पति एवं अन्य तथा बाद के कालखण्ड में वाचस्पति मिश्र एवं अन्य जैसे टीकाकारों ने प्राचीन काल से लेकर मध्य युग के समाप्ति

तक भारत में प्रचलित न्यायिक प्रणाली और विधिक प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया।

प्राचीन भारत में न्यायालयों का पदानुक्रम

बृहस्पति स्मृति के अनुसार,"प्राचीन भारत में न्यायालयों का एक पदानुक्रम था जो पारिवारिक न्यायालय से आरंभ होकर राजा पर समाप्त होता था। सबसे निचली अदालत पारिवारिक मध्यस्थ की होती थी, अगली उच्च अदालत न्यायाधीश की होती थी, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश की होती थी जिसे प्रादविवक या अध्यक्ष कहा जाता था और सबसे ऊपर राजा की अदालत होती थी।"

प्रत्येक का क्षेत्राधिकार विवाद के महत्व के आधार पर निर्धारित किया जाता था, छोटे विवादों का निर्णय सबसे निचली अदालत द्वारा किया जाता था और सबसे महत्वपूर्ण विवादों का निर्णय राजा द्वारा किया जाता था। प्रत्येक उच्चतर न्यायालय का निर्णय निचली अदालत के निर्णय पर प्रभावी होता था।

वाचस्पति मिश्र के अनुसार,

"इन न्यायाधिकरणों के निर्णयों का बाध्यकारी प्रभाव, जो राजा के निर्णय के साथ समाप्त होता है, बढ़ते क्रम में होता है तथा प्रत्येक अगला निर्णय, उच्चतर विद्वत्ता और ज्ञान के कारण, पिछले निर्णय पर प्रबल होगा।"

यह उल्लेखनीय है कि आज भारतीय न्यायपालिका भी समान सिद्धांत पर संगठित न्यायालयों के पदानुक्रम से बनी है - ग्राम न्यायालय, मुंसिफ, सिविल न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और अंत में सर्वोच्च न्यायालय जो राजा के न्यायालय का स्थान लेता है। बिना उसके प्रति सचेत हुए हम एक प्राचीन परंपरा का पालन कर रहे हैं।

पारिवारिक न्यायाधीशों की संस्था उल्लेखनीय है। समाज की इकाई संयुक्त परिवार थी जिसमें चार पीढ़ियाँ शामिल हो सकती थी। परिणाम स्वरूप, किसी भी समय संयुक्त परिवार के सदस्यों की संख्या अत्यधिक हो सकती थी और उनके विवादों को दृढ़ता, सहानुभूति और कौशल के साथ सुलझाना आवश्यक था। यह भी वांछनीय था कि विवादों का निर्णय प्रथमतः परिवार के भीतर ही किसी मध्यस्थ द्वारा किया जाना चाहिए। आधुनिक जापान में पारिवारिक न्यायालयों की कुछ हद तक ऐसी ही व्यवस्था है। पारिवारिक न्यायालयों का महत्व यह है कि न्यायिक प्रणाली की जड़ें सामाजिक प्रणाली में निहित हैं, जो इसकी सफलता की व्याख्या करती है।

न्याय का स्रोत संप्रभु था। भारतीय न्यायशास्त्र में न्याय करना और दंड देना संप्रभुता के प्राथमिक गुणों में से एक था।

न्याय का स्रोत होने के कारण, आरंभ में राजा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह व्यक्तिगत रूप से, लेकिन पूर्णतः कानून के अनुसार, तथा कानून के जानकार न्यायाधीशों के मार्गदर्शन में न्याय करेगा।

राजा के लिए न्यायिक आचार संहिता अत्यंत कठोर थी। उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे खुले विचारण तथा न्यायालय में मामलों का निर्णय करें, तथा उनका पहनावा तथा आचरण ऐसा होना चाहिए कि वादीगण भयभीत न हों। उनसे निष्पक्षता की शपथ लेने तथा पक्षपात या आसक्ति के बिना मामलों का निर्णय करने की अपेक्षा की गई थी।

कात्यायन कहते हैं:

"राजा को शालीन वस्त्र पहनकर न्यायालय में प्रवेश करना चाहिए, पूर्वोन्मुख होकर बैठना चाहिए, तथा ध्यानपूर्वक अपने वादकारियों के वादों को सुनना चाहिए। उसे अपने मुख्य न्यायाधीश (प्रादविवक), न्यायाधीशों, मंत्रियों और अपनी परिषद के ब्राह्मण सदस्यों के मार्गदर्शन में कार्य करना चाहिए। जो राजा इस प्रकार और कानून के अनुसार न्याय करता है, वह स्वर्ग में निवास करता है।"

ये प्रावधान महत्वपूर्ण हैं। राजा को शालीन पोशाक (विनीत-वेश) पहनना अनिवार्य था, ताकि वादकारियों को भयभीत न किया जा सके। न्यायाधीश के रूप में कार्य करते समय राजा के

लिए निर्धारित आचार संहिता अत्यंत कठोर थी और उसे सभी "मोह या पूर्वाग्रह" से मुक्त होना आवश्यक था।

नारद कहते हैं:

"यदि राजा कानून के अनुसार व्यवहार करता है और न्यायालय में संयमित रहता है, तो उसमें सातों गुण अग्नि में सात ज्वालाओं के समान मिल जाते हैं।"

नारद ने आदेश दिया है कि जब राजा न्याय-आसन (धर्मासन) पर बैठे, तो उसे विवस्वान के पुत्र की शपथ लेकर सभी प्राणियों के प्रति निष्पक्ष रहना चाहिए। (विवस्वान की शपथ निष्पक्षता की शपथ होती है: विवस्वान के पुत्र मृत्यु के देवता यम हैं, जो सभी जीवित प्राणियों के प्रति निष्पक्ष होते हैं)

राजा के न्यायाधीश

किसी मामले की सुनवाई की अवधि में राजा का मार्गदर्शन करने वाले न्यायाधीशों और सलाहकारों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे स्वतंत्र और निडर रहें तथा उसे किसी त्रुटि या अन्याय करने से रोकें।

कात्यायन कहते हैं:

"यदि राजा वादकारियों (विवादिनम) पर कोई अवैध या अधर्मपूर्ण निर्णय अधिरोपित करना चाहता है, तो न्यायाधीश (सभ्य) का यह कर्तव्य है कि वह राजा को सचेत करे और उसे रोके।"

"राजा का मार्गदर्शन करने वाले न्यायाधीश को अपनी राय देनी चाहिए जिसे वह कानून के अनुसार समझता हो, यदि राजा नहीं सुनता है, तो कम से कम न्यायाधीश ने अपना कर्तव्य निभाया है। जब न्यायाधीश को यह पता चलता है कि राजा समता और न्याय से विमुख हो गया है, तो उसका कर्तव्य राजा को प्रसन्न करना नहीं है, क्योंकि यह कोमल वाणी का अवसर नहीं है (वक्तव्यं तत् प्रियं नत्रय)। यदि न्यायाधीश अपने कर्तव्य में असफल रहता है, तो वह दोषी है।"

राजा द्वारा न्यायिक शक्ति का प्रत्यायोजन

जैसे-जैसे सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे राजा के कार्य अधिकाधिक होते गए और उसके पास व्यक्तिगत रूप से मुकदमों की सुनवाई करने का समयाभाव हो गया, और उसे अपने न्यायिक कार्यों का अधिकाधिक हिस्सा पेशेवर न्यायाधीशों को सौंपने के लिए बाध्य होना पड़ा।

कात्यायन कहते हैं:

"यदि कार्य के दबाव के कारण राजा व्यक्तिगत रूप से मुकदमों की सुनवाई नहीं कर सकता तो उसे वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण को न्यायाधीश नियुक्त करना चाहिए।"

न्यायाधीश के लिए विहित योग्यताएं बहुत ऊंची थीं।

कात्यायन के अनुसार,

"न्यायाधीश को संयमी, निष्पक्ष स्वभाव वाला, दृढ़ निश्चयी, ईश्वर-भक्त, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग, क्रोध से रहित, धार्मिक जीवन जीने वाला तथा अच्छे कुल का होना चाहिए।"

यथासमय, एक न्यायिक पदानुक्रम बनाया गया जिसने राजा को न्यायिक कार्यों से विमुक्त कर दिया, परन्तु अपील की सर्वोच्च अदालत के रूप में उसकी शक्तियों को बनाये

रखा गया । जैसा कि ऊपर वर्णित है, मौर्य साम्राज्य के तहत एक नियमित न्यायिक सेवा मौजूद थी।

न्यायपालिका की गुणवत्ता: ईमानदारी

अब मैं न्यायपालिका की गुणवत्ता और न्यायाधीशों के लिए निर्धारित आचार संहिता के विषय में कुछ विचारों को प्रस्तुत करूंगा। एक न्यायाधीश का सर्वप्रमुख कर्तव्य सत्यनिष्ठा है, जिसमें निष्पक्षता और पक्षपात या आसक्ति का पूर्णरूपेण अभाव निहित है। सत्यनिष्ठा की अवधारणा को बहुत व्यापक अर्थ प्रदान किया गया तथा सत्यनिष्ठा की न्यायिक संहिता अत्यन्त कठोर थी।

बृहस्पति कहते हैं:

"किसी न्यायाधीश को किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत लाभ या व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के बिना मामलों का निर्णय करना चाहिए और उसका निर्णय ग्रंथों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। जो न्यायाधीश इस प्रकार से अपने न्यायिक कर्तव्यों का पालन करता है, उसे यज्ञ करने वाले व्यक्ति के समान आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त होता है।"

न्यायाधीशों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानियां बरती गईं। मुकदमा खुली अदालत में होना चाहिए था और मुकदमा लंबित रहने की अवधि में न्यायाधीशों को पक्षकारों से व्यक्तिगत रूप से बात करने की मनाही थी, क्योंकि यह माना गया था कि व्यक्तिगत सुनवाई से पक्षपात हो सकता है।

शुक्रनीतिसार कहते हैं:

"पांच कारण निष्पक्षता को नष्ट करते हैं और विवादों में न्यायाधीशों को पक्ष लेने के लिए प्रेरित करते हैं। इसमें आसक्ति, लोभ, भय, शत्रुता तथा व्यक्तिगत रूप से किसी पक्षकार की सुनवाई आदि निहित हैं।"

न्यायिक अखंडता की एक अन्य सुरक्षा यह थी कि मुकदमों की सुनवाई एक ही न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती थी, भले ही वह राजा ही क्यों न हो। हमारे पूर्वजों ने यह अनुभव किया कि जब दो मन विचार-विमर्श करते हैं, तो भ्रष्टाचार या त्रुटि की संभावना कम होती है, और उन्होंने प्रावधान किया कि राजा को मामलों का निर्णय करते समय अपने सलाहकारों के साथ बैठना चाहिए, और न्यायाधीशों को असमान संख्या वाली बेंचों में बैठना चाहिए।

शुक्रनीतिसार ने आदेश दिया कि

"न्यायिक कर्तव्यों को सौंपे गए व्यक्तियों को वेदों में पारंगत होना चाहिए, सांसारिक अनुभव में बुद्धिमान होना चाहिए और उन्हें तीन, पांच या सात के समूहों में कार्य करना चाहिए।"

कौटिल्य ने यह भी आदेश दिया था कि मुकदमों की सुनवाई तीन न्यायाधीशों (धर्मस्थस्त्रया) द्वारा की जानी चाहिए। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई हमारी वर्तमान न्यायिक प्रणाली इस उत्कृष्ट सुरक्षा का पालन नहीं करती है। आज हर मुकदमे की सुनवाई अर्थव्यवस्था के कारण एक ही मुंसिफ या सिविल न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश द्वारा की जाती है। परन्तु प्राचीन भारत में राज्य अर्थव्यवस्था से अधिक न्याय की गुणवत्ता में रूचि रखता था।

अखंडता

प्रत्येक स्मृति न्यायिक निष्ठा के सर्वोच्च महत्व पर प्रभाव डालती है।

शुक्रनीतिसार कहते हैं:

"राजा द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों को प्रक्रिया में पारंगत, बुद्धिमान, अच्छे चरित्र और स्वभाव वाला, मधुर वाणी वाला, मित्र या शत्रु के प्रति निष्पक्ष, सत्यवादी, विधिवेत्ता, सक्रिय (आलसी नहीं), क्रोध,

लोभ या इच्छा (व्यक्तिगत लाभ के लिए) से मुक्त और सत्यनिष्ठ होना चाहिए।"

भ्रष्टाचार के लिए दण्ड

भ्रष्टाचार को एक जघन्य अपराध माना गया है और सभी अधिकारी एक भ्रष्ट न्यायाधीश के लिए कठोरतम सजा निर्धारित करने में एकमत हैं।

बृहस्पति कहते हैं:

"यदि कोई न्यायाधीश रिश्वत लेता है और अन्याय करता है तथा जनता के विश्वास को तोड़ता है तो उसे राज्य से निर्वासित कर देना चाहिए।"

भ्रष्ट न्यायाधीश, झूठा गवाह और ब्राह्मण का हत्यारा एक ही श्रेणी के अपराधी हैं।

विष्णु कहते हैं:

"राज्य को भ्रष्ट न्यायाधीश की पूरी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए।"

न्यायिक कदाचार में मुकदमा लंबित रहने के दौरान वादकारियों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करना भी निहित होता है।

बृहस्पति कहते हैं:

"जो न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश (प्रादविवक) मामले के निर्णय (अनिर्णित) से पूर्व किसी पक्षकार से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करता है, तो उसे भ्रष्ट न्यायाधीश के समान दण्डित किया जाना चाहिए।"

जूरी सदस्य

न्यायिक प्रणाली की सबसे उल्लेखनीय विशेषता सभासद या पार्षद की संस्था थी जो राजा के मूल्यांकनकर्ता या सलाहकार के रूप में कार्य करता थी। वे आधुनिक जूरी के समकक्ष थे, लेकिन उनमें एक महत्वपूर्ण अंतर था। आज की जूरी में आम लोग होते हैं - "बारह दुकानदार" - जबकि राजा के साथ बैठने वाले पार्षद विधिज्ञ होते थे।

याज्ञवल्क्य के कथनानुसार:

"विधिशास्त्र के ज्ञानी, सत्यनिष्ठ तथा स्वभाव से मित्र और शत्रु के बीच पूर्ण निष्पक्षता रखने में सक्षम होने वाले व्यक्तियों को ही संप्रभु को अपने दरबार में नियुक्त करना चाहिए।"

इन मूल्यांकनकर्ताओं या जूरी सदस्यों को बिना किसी भय के अपनी राय व्यक्त करनी होती थी, यहां तक कि उन्हें सम्राट से असहमत होने और उन्हें सचेत करने की भी आवश्यकता होती थी कि उनकी अपनी राय विधि और समानता के विपरीत है। कात्यायन के कथनानुसार: 'जब मूल्यांकनकर्ताओं को यह प्रतीत हो कि राजा कानून का उल्लंघन करते हुए किसी विवाद का निर्णय करने के लिए इच्छुक हैं, तो उन्हें शांत नहीं रहना चाहिए यदि वे शांत रहें तो वे राजा के साथ नरक में जाएंगे।' यही कथन शुक्रनीतिसार में भी एक समान लोक में दोहराया गया है। संप्रभु से - या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन न्यायाधीश से - यह अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वह जूरी सदस्यों के फैसले को रद्द कर देय इसके विपरीत उसे उनकी सलाह के अनुसार एक आदेश (जय-पत्र) पारित करना होता था।

शुक्रनीतिसार में कहा गया है:
"राजा को यह अवधारित करने के बाद कि मूल्यांकनकर्ताओं ने अपना निर्णय दे दिया है,

सफल पक्षकार को एक डिक्री (जय-पत्र) प्रदान करना चाहिए।"

उनकी स्थिति की तुलना प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति से की जा सकती है जो अपने संप्रभु को "विनम्रतापूर्वक सलाह" देती है, लेकिन उनकी सलाह बाध्यकारी होती है। इसकी तुलना सोवियत न्यायिक प्रणाली के तहत लोगों के मूल्यांकनकर्ताओं से भी की जा सकती है, जो जन अदालत में पेशेवर न्यायाधीश के साथ बैठते हैं, लेकिन उनकी स्थिति उनके बराबर होती है और वे उनके फैसले को पलट सकते हैं।

लेकिन इसमें एक अपवाद था। यदि किसी कठिन मामले में जूरी सदस्य किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते, तो राजा स्वयं ही मामले का निर्णय कर सकता था।

शुक्रनीतिसार के अनुसार,
"यदि वे (मूल्यांकनकर्ता) किसी विवाद का निर्णय करने में असमर्थ हैं, क्योंकि यह कठिन या संदिग्ध मुद्दे (संदिग्धा-रूपिणः) को उठाता है, तो ऐसी स्थिति में संप्रभु अपने प्रभुसत्ता-संबंधी विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए निर्णय कर सकते हैं।"

आपराधिक मुकदमे

आपराधिक मुकदमों में ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त की निर्दोषता या दोष का प्रश्न न्यायाधीश या जूरी सदस्यों द्वारा तय किया जाता था, लेकिन सजा की मात्रा राजा पर छोड़ दिया जाता था। मृच्छकटिका, दि लिटिल क्ले कोर्ट के विचारण के दृश्य में, न्यायाधीश ने वसंतसेना की हत्या के लिए चारुदत्त को दोषी करार देते हुए सजा का प्रश्न राजा के समक्ष इस टिप्पणी के साथ भेजा कि "चारुदत्त के दोषी या निर्दोष होने का निर्णय हमें करना है और हमारा निर्णय बाध्यकारी (प्रमाणम) है, परन्तु अन्य सब राजा के हाथ में है।"

विधिक ग्रन्थ की व्याख्या

विवेचना के सिद्धांतों को परिपूर्णता के उच्च स्तर तक विकसित किया गया था। न्यायाधीशों को विधि (सम्यक, यथ-शास्त्रम, शास्त्रो दितेन विधिना) के अनुसार आपराधिक और दीवानी मामलों का निर्णय करना आवश्यक था। इसमें कानून के लिखित ग्रंथों की विवेचना करना शामिल था - एक ऐसा कार्य जिसने ग्रंथ में अस्पष्ट शब्दों और वाक्यांशों की व्याख्या, एक ही कानून में परस्पर विरोधी प्रावधानों का समाधान, कानून के शब्दों और समानता, न्याय और अच्छे विवेक के सिद्धांतों के बीच संघर्ष का समाधान, रीति-रिवाज और स्मृतियों का समायोजन, इत्यादि जैसे कई समस्याओं को जन्म दिया। कानून की यह शाखा अत्यधिक विकसित थी और न्यायालयों के मार्गदर्शन के लिए कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच द्वन्द्व से संबंधित था।

दरबार द्वारा मूल कानून की तीन प्रणालियों - धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, और रीति-रिवाज को मान्यता दी गई थी जिसे सदाचार या चरित्र कहा जाता था। प्रथम में वे कानून जो स्मृतियों से अंतिम स्वीकृति प्राप्त करते थे, और द्वितीय में सरकार के सिद्धांत निहित थे। दोनों के बीच की सीमा रेखा अक्सर अतिव्यापित हो जाती थी। परन्तु स्मृतियों और अर्थशास्त्र के मध्य वास्तविक विभेद समान रूप से धर्मनिरपेक्ष है, परन्तु धर्मशास्त्र के मामले में ऐसा हमेशा नहीं होता है। वास्तव में, सरकार की समस्याओं के प्रति अपने दृष्टिकोण में अर्थशास्त्र इतना उल्लेखनीय रूप से धर्मनिरपेक्ष है कि इसने कुछ लेखकों को यह सिद्धांत आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है कि अर्थशास्त्र (शाब्दिक अर्थ 'अर्थ' या भौतिक कल्याण की खोज का विज्ञान), धर्मशास्त्र से विकसित नहीं हुआ, बल्कि इसकी एक स्वतंत्र उत्पत्ति थी और इसके समानांतर विकसित हुआ।

भले ही उनकी उत्पत्ति कुछ भी हो, परन्तु कई मामलों में अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र में परस्पर द्वन्द्व होता है। जब विशेष मुकदमों में यह विवाद उत्पन्न हुआ तो न्यायालयों ने इस विवाद को किस प्रकार सुलझाया? पहला सिद्धांत अविरोध का था: न्यायालय को दोनों के बीच किसी भी स्पष्ट विरोध को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। आज इसे सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत कहा जाता है। परन्तु यदि विरोध का समाधान न हो सके तो धर्मशास्त्र के अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी।

भविष्य पुराण के अनुसार:

"जब नीति और अर्थशास्त्र असंगत होते हैं, तो अर्थशास्त्र में प्रावधान (स्मृति द्वारा) प्रतिस्थापित हो जाता है किन्तु यदि दो स्मृतियाँ, या एक ही स्मृति के दो प्रावधान परस्पर विरोधी हों, तो जो भी समता के अनुरूप हो, उसे ही प्राथमिकता दी जाएगी। नारद स्मृति में भी स्मृति के दो ग्रंथों के बीच मतभेद होने पर तर्क के अनुसार व्याख्या का ऐसा ही नियम बताया गया है, परन्तु कानून के लिखित ग्रन्थ की विवेचना करते समय, न्यायालय को यह ध्यान में रखना था कि उसका मूल कर्तव्य न्याय करना है, न कि कानून का अक्षरश: पालन करना।"

बृहस्पति के कथनानुसार:
"न्यायालय को केवल शास्त्र के अनुसार निर्णय नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि निर्णय पूर्णत: तर्क रहित है, तो परिणाम अन्याय (धर्म-हानि) होगा।"

बृहस्पति आगे कहते हैं कि न्यायालय को देश के रीति-रिवाजों और प्रथाओं के अनुसार निर्णय लेना चाहिए, भले ही वे विधि के विपरीत हो और वह कई उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जो समकालीन सामाजिक स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं।

वह बताते हैं कि दक्षिण के ब्राह्मणों द्वारा मामा की पुत्री को विवाह में स्वीकार किया जाता है मध्यदेश (मध्य भारत) में, ब्राह्मण मजदूर और शिल्पकार बन जाते हैं और गाय का मांस खाते हैं पूर्वी ब्राह्मण मछली खाते हैं और उनकी स्त्रियाँ शराब पीने की आदी होती हैं तथा मासिक धर्म के दौरान भी पुरुष उन्हें छू सकते हैं। इन समुदायों को, निर्दिष्ट कृत्यों के कारण, अपने-अपने देशों में, प्रायश्चित या न्यायिक दंड का भागी नहीं बनाया जाना चाहिए।

बदलती प्रथा: बदलते कानून

समाज में रीति-रिवाजों (आचार, सदाचार, चरित्र) की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, राज्य से यह अपेक्षित था कि वह देश के विभिन्न भागों में प्रचलित रीति-रिवाजों का प्रमाणित अभिलेख रखे।

कात्यायन के कथनानुसार:

"किसी भी क्षेत्र विशेष में जो भी प्रथा प्रचलित पाई जाए, उसे संप्रभु की मुहर लगे अभिलेख में स्थापित (धार्य) के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।"

परन्तु यदि समय के साथ वह असमान हो जाए, तो एक स्थापित प्रथा को भी औपचारिक रूप से "समाप्त" किया जा सकता है। वास्तव में, यह संप्रभु का कर्तव्य था कि वह समय-समय पर रीति-रिवाजों के पुराने ढंग या अनुपयोगी भागों को हटा दे। कात्यानन के अनुसार: "जब राजा को यह विश्वास हो जाए कि कोई विशेष प्रथा उसी प्रकार समता (न्याय) के विपरीत है

- अर्थात जिस प्रकार वह स्थापित की गई थी - तो उसे राजा के औपचारिक निर्णय द्वारा रद्द कर दिया जाना चाहिए।" यह उल्लेखनीय प्रावधान दर्शाता है कि प्राचीन भारत की न्यायिक और विधिक प्रणाली कितनी विकसित थी। राज्य को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित सभी वैध रीति-रिवाजों का प्रमाणित अभिलेख रखना आवश्यक था।

कई बार किसी मुकदमे में निर्णय किसी प्रथा के अस्तित्व के प्रमाण पर निर्भर करता था। नारद कहते हैं, "न्यायिक निर्णय (व्यवहार) का आधार हो सकता है: (i) धर्मशास्त्र, (ii) (पूर्व) न्यायिक निर्णय (व्यवहार) या प्रथा (चरित्र) या संप्रभु का आदेश।

इन चारों का प्राधिकार विपरीत क्रम में है, प्रत्येक पूर्ववर्ती का स्थान उसके बाद वाला ले लेता है।अर्थशास्त्र में भी ऐसा ही प्रावधान है।

कानून की विकासवादी अवधारणा

इन प्रावधानों के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। बदलते रीति-रिवाजों के अनुरूप विधि को प्रस्तुत करके भारतीय न्यायशास्त्र ने कानून की अवधारणा को धर्मनिरपेक्ष स्वरूप

प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, इसने विधि की विकासवादी अवधारणा को विकसित किया तथा निरपेक्ष, शाश्वत, अपरिवर्तनशील कानून की अवधारणा को खारिज कर दिया। मनु और पराशर दोनों कहते हैं: "कृतयुग के नियम त्रय और द्वापर से भिन्न हैं, और कलियुग के नियम सभी पूर्ववर्ती युगों से भिन्न हैं - प्रत्येक युग के नियम प्रत्येक युग की विशिष्ट प्रकृति के अनुसार हैं (युग रूपानुसारतः)।"

साक्ष्य की प्रणाली (साक्ष्य की विधि)

साक्ष्य की विधि (साक्ष्य की प्रणाली) न्यायिक प्रणाली की गुणवत्ता का सूचकांक है। इस संबंध में, भारतीय न्यायिक प्रणाली प्राचीन काल की किसी भी अन्य प्रणाली से उन्नत थी। प्राचीन समाजों में दैविक ढंग से प्रमाण प्राप्त करना, जैसे कठिन परीक्षा द्वारा विचारण, अत्यंत सामान्य बात थी। इंग्लैंड में यह मध्य युग के अंत तक प्रचलित था, परन्तु हमारी न्यायिक प्रणाली ने मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध होने पर दैविक साधनों का सहारा लेने पर रोक लगा दी।

सत्य की खोज ही वास्तविक परीक्षा है

किसी भी न्यायिक प्रणाली की वास्तविक परीक्षा यह है कि वह न्यायालयों को सत्य की खोज करने में सक्षम बनाए, और इस परीक्षा में प्राचीन भारत की न्याय प्रणाली सबसे ऊपर है। गौतम कहते हैं, "विवादों में न्यायालय को गवाहों से यह पता लगाना होता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य।" सभी उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि प्राचीन भारत में झूठी गवाही देना घोर घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। तीसरी शताब्दी ई.पू. में मेगस्थनीज से लेकर सातवीं शताब्दी ईसवी में हुआन त्सियांग तक सभी विदेशी यात्री इस क्षेत्र में आये। उन्होंने कहा कि भारतीय अपने सांसारिक संबंधों में सत्यनिष्ठा का पालन करते थे। मेगस्थनीज ने लिखा, "वे सत्य को बहुत सम्मान देते हैं।" फाहियान और हुआनत्सियांग (जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आए थे) ने भी इसी प्रकार की टिप्पणियों को दर्ज किया। एक हजार वर्ष तक किया गया पुण्य कार्य परम्परा बन गया।

न्यायालयों की कार्यप्रणाली और वातावरण ने असत्य बोलने को हतोत्साहित किया। शपथ स्वयं न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती थी, न कि आज की तरह किसी चपरासी द्वारा। शपथ दिलाते समय न्यायाधीशों को गवाह को संबोधित करते हुए सत्यनिष्ठा को एक सद्गुण बताना था तथा झूठी गवाही को एक भयंकर पाप बताना था। बृहस्पति के अनुसार, "धर्मशास्त्र में पारंगत न्यायाधीशों को चाहिए कि वे साक्षी से सत्य की प्रशंसा करते हुए तथा मिथ्यात्व को (उसके मन से) दूर करते हुए बात को प्रस्तुत करें। "साक्षी को न्यायाधीशों द्वारा जो जो सम्बोधन दिया जाता था, उसमें कोई निर्धारित शब्द नहीं थे, बल्कि नैतिक उपदेश होता था, जिसका उद्देश्य उसमें ईश्वर का भय पैदा करना था। इस बिंदु पर सभी ग्रंथ एकमत हैं।

नारद के अनुसार,
"न्यायाधीशों को नैतिक उपदेशों को संदर्भित करके साक्षीगणों में भय पैदा करना चाहिए, जिससे सत्य की विजय हो और असत्य की निंदा हो।"

सभी स्मृतियाँ इस बात पर एकमत थीं कि न्यायालय के समक्ष झूठी गवाही देना न केवल जघन्य पाप है, बल्कि गंभीर अपराध भी है। झूठे साक्ष्य दिए जाने की संभावना को कम करने के लिए अन्य प्रावधान भी किए गए थे। कात्यायन ने बहुत ही सामान्य विवेक के साथ कहा कि गवाहों की जांच में विलम्ब नहीं होनी चाहिए दृश्य स्पष्ट है, क्योंकि विलंब होने से स्मृतियाँ क्षीण हो जाती है और कल्पना कमजोर हो जाती है। "संप्रभु को गवाहों के कथन में कोई विलंब नहीं करनी चाहिए क्योंकि विलम्ब से बड़ी विपत्ति उत्पन्न होती है, और इसका परिणाम यह होता है कि गवाह विधि से विमुख हो जाते हैं।"

प्रशासनिक न्यायालय

प्राचीन भारत की न्यायिक प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता आपराधिक क्षेत्राधिकार के विशेष न्यायालय थे जिन्हें कंटकशोधन न्यायालय कहा जाता था। अर्थशास्त्र में कहा गया है, "तीन आयुक्त (प्रदेशतरः) या तीन मंत्री शांति में व्यवधान को कम करने (कण्टकशोधनं कुर्युः) के उपायों पर विचार करेंगे। अर्थशास्त्र के अनुसार ये न्यायालय न केवल राज्यों के विरुद्ध अपराधों का संज्ञान लेते थे, बल्कि अधिकारियों द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कानून के उल्लंघन का भी संज्ञान लेते थे। इस प्रकार यदि व्यापारी गलत बाट का प्रयोग करते थे या मिलावटी सामान विक्रय करते थे, या अत्यधिक दाम वसूलते थे, यदि कारखाने में मजदूर को उचित मजदूरी से कम प्रदान किया जाता था या वह अपने काम को उचित ढंग से नहीं करता था, तो कंटकशोधन न्यायालय दोषियों को दंडित करने के लिए हस्तक्षेप करते थे। कदाचार के आरोपी अधिकारियों को, चोरी, डकैती और यौन

अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को एक ही अदालत में पेश होना पड़ता था। इन न्यायालयों में प्रशासनिक न्यायालयों की सभी विशेषताएं उपलब्ध थीं। अर्थशास्त्र के चौथे भाग में प्रशासनिक संहिता के अस्तित्व का संकेत मिलता है।

प्रशासनिक संहिता

प्राचीन भारत में राज्य के पास वाणिज्य एवं उद्योग के विशाल आयामों का एक सार्वजनिक क्षेत्र था। आधुनिक पूंजीवादी धारणा यह है कि कोई भी उद्योग राज्य द्वारा संचालित नहीं होना चाहिए जो कि हमारे पूर्वजों को मूर्खतापूर्ण प्रतीत होती रही होगी। मौर्य साम्राज्य के तहत एक राज्यशासित समुद्री व्यापार, राज्यशासित कपड़ा उद्योग, राज्यशासित खनन उद्योग एवं राज्यशासित व्यापार विभाग था, जिनका प्रभार क्रमशः समुद्री परिवहन(नावाध्यक्ष), वस्त्र उद्योग (सूत्राध्यक्ष), खनन उद्योग (अकराध्यक्ष) एवं वाणिज्य के अधीक्षक-जनरल के पास था। प्रत्येक राज्य उद्योग का विनियमन उसके स्वयं के नियमों के तहत था एवं सम्पूर्ण नियमों को अर्थशास्त्र में संकलित एवं वर्गीकृत किया गया था एवं इसे प्रशासनिक संहिता माना जा सकता है। मैं कुछ अन्य दृष्टांत प्रस्तुत करूगां।

अर्थशास्त्र में समुद्री एवं तटीय नौवहन के नियमों को निर्धारित करने वाली एक पूर्ण प्रशासनिक संहिता दी गई है। इसमें कहा गया है कि राज्य में नौवहन का एक अधीक्षक-जनरल होना चाहिए, जिसके कर्तव्यों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"जहाजों का अधीक्षक न केवल महासागरों एवं नदियों के मुहाने पर अपनी सर्तकता बनाये रखेगा बल्कि प्राकृतिक या कृत्रिम झीलों एवं स्थानीय एवं अन्य किलेबंद शहरों के आसपास के इलाकों में नौवहन से संबंधित बही खताओं की जांच करेगा।"

इस अध्याय में जहाजों के लिए पर्याप्ता रखने का प्रावधान है। जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम थे:

"बड़ी नदियों पर नौवहन के लिए, जिन्हें सर्दियों एवं गर्मियों के मौसम में भी पार(अतर्या) नही किया जा सकता, उनके पास बड़ी नाव (महानावो) होगी, जिसमें एक कप्तान (शासक), पायलट (नियमक), दरांती एवं रस्सियों को पकड़ने एवं नाव को पानी से साफ करने के लिए एक चालक दल होगा।"

अर्थशास्त्र में ऐसे नियम भी हैं जो दर्शाते हैं कि वृहद समुद्र राज्यशासित समुद्री व्यापार द्वारा संचालित होते थे एवं इसमें निम्न प्रावधान था कि "शाही जहाजों द्वारा बंदरगाह पर पहुंचने वाले यात्रियों को अपना यात्रा-व्यय (यात्रा-वेतनम) देना होगा।"

दरें अधीक्षक-जनरल द्वारा तय की जानी थी। संयोग से, इस संहिता का अस्तित्व संदेह से परे साबित करता है कि भारतीय जनमाना समुद्र में यात्रा करने वाले मनुष्य थे एवं उनके विदेशी देशों के साथ व्यापक व्यापारिक संबंध थे।

इसी तरह, वस्त्र एवं सूती धागे का निर्माण, जो विदेशों में कपड़ा निर्यात करने वाला सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र में एक बहुत बड़ा उद्योग था। जिसका सार्वजनिक क्षेत्र, वस्त्र अधीक्षक-जनरल (सूत्राध्यक्ष) के अधीन था। उसके अधीन एक बड़ा संगठन था। अर्थशास्त्र में सूत्राध्यक्ष एवं उसके अधीन काम करने वाले अन्य अधिकारियों के कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। इसमें कहा गया है: "बुनाई के अधीक्षक-जनरल द्वारा धागे (सूत्र), कोट (वरमा), वस्त्र (वस्त्र) एवं रस्सियाँ बनाने के लिए योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए।"१. उनका एक कर्तव्य महिलाओं को गृहसंचालित रोजगार देना था। कपास उनके बीच वितरित किया जाता था एवं धागे में काता जाता था एवं या तो विभाग द्वारा एकत्र किया जाता था या महिलाएँ स्वयं उसे नियत स्थान तक पहुंचाती थी। लेकिन अर्थशास्त्र में ऐसी महिलाओं के साथ अनुचित लाभ लेने या उनका वेतन रोकने के खिलाफ सख्त नियम हैं। इसमें निर्धारित किया गया है: "यदि अधीक्षक का अधिकारी ऐसी महिला के चेहरे को घूरता है या उसके काम के अलावा अन्य मामलों पर उससे बातचीत करने की कोशिश करता है (दूसरे अर्थों में, अमेरिका में उसे छेड़खानी कहते हैं) तो उसे प्रथम हमले के दोषी के रूप में दंडित किया जाएगा। २."उनके पारिश्रमिक के भुगतान में देरी भी इसी तरह दंडनीय होगी। ३. अन्य विनियमनों में किसी महिला कर्मचारी को कोई अनुचित पक्षपात करना दंडनीय अपराध बना दिया। इसमें प्रावधान किया गया है "यदि कोई अधिकारी किसी महिला को बिना काम किए वेतन देता है, तो उसे दंडित किया जाएगा।"

करों एवं आयात शुल्कों का संग्रह

करों एवं आयातशुल्कों के संग्रह को नियंत्रित करने वाले नियमों को निर्धारित करने वाली एक संहिता थी। इस विकास का प्रभार करों के महानिरीक्षक (शुल्काध्यक्ष) के पास था। सीमा शुल्क पर व्यापारियों को अपने माल की घोषणा करने की जिम्मेदारी थी, जिस पर आयात करते समय मुहर लगी होती थी। मिथ्या घोषणा करने पर दंड निर्धारित किए गए थे। जिसके नियम में कहा गया था: "यदि वाणिज्य वस्तु पर कोई मुहर नहीं है, तो उनका शुल्क दोगुना हो जाएगा"। १. लेकिन नकली मुहर के मामले में, व्यापारी को सामान्य शुल्क से आठ गुना अधिक जुर्माना देना पड़ता था। २. यदि मुहर के साथ कोई छेड़खानी होती थी, तो व्यापारी को कारागृह में बन्दी बनाया जा सकता था। ३. अर्थशास्त्र के चौथे खंड में प्रशासनिक संहिता में राज्य के अन्य विभागों के नियंत्रण के लिए विस्तृत नियम दिए गए हैं। इन नियमों को सामान्य न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया जाता था, बल्कि आयुक्तों (प्रदेशतारा:) द्वारा लागू किया जाता था, जो कंटक शोधन न्यायालयों के रूप में कार्य करते थे।

मैं उन मूलभूत सिद्धांतों को सारांशित करूंगा जिन पर प्राचीन भारत में न्यायिक प्रक्रिया आधारित थी: मुकदमा हमेशा सार्वजनिक रूप एवं हमेशा कई न्यायाधीशों द्वारा सामूहिक रूप से होता था। मामलों की सुनवाई अत्यावश्यक मामलों के अतिरिक्त उनके क्रमिक क्रम में की जाती थी। सभी प्राधिकारियों द्वारा मामलों के निपटारे में देरी की निंदा की जाती थी एवं जो न्यायाधीश ऐसी देरी के दोषी होते थे, उन्हें दंडित किया जाता था। संप्रभु को न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करना था, लेकिन इसके विपरीत राजा द्वारा गलत (न्यायिक) निर्णय के मामले में हस्तक्षेप करना न्यायपालिका का कर्तव्य था। न्यायाधीशों को निष्पक्ष होना था मुकदमे के लंबित रहने के दौरान उन्हें पक्षों के साथ कोई निजी बातचीत या संबंध रखने से मना किया गया था। यदि कोई न्यायाधीश पक्षपात, या उत्पीड़न का दोषी था, या जानबूझकर निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करता था, तो उसे दंडित किया जा सकता था। भ्रष्टाचार एक न्यायाधीश का सबसे जघन्य अपराध था एवं एक भ्रष्ट न्यायाधीश को राज्य से निर्वासित कर दिया जाता था एवं उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। मुकदमों की प्रक्रिया कानून द्वारा निर्धारित की गई थी, एवं प्रत्येक मुकदमा पीड़ित पक्ष द्वारा दायर की गई शिकायत या वाद द्वारा शुरू किया जाता था, जो कानूनी त्रुटि के निवारण के लिए प्रार्थना करता था। नागरिकों को ऐसी शिकायतों को भड़काने, वित्तपोषित करने या दर्ज करने की सख्त मनाही थी, जिसमें उनका कोई हित नहीं था, एवं वादक्रय एक दंडनीय अपराध था। मैं हाल ही में एक अंग्रेजी लेखक के फैसले को उद्धृत करने से बेहतर कुछ नहीं कर सकता: "कुछ मामलों में प्राचीन भारत की न्यायिक प्रणाली सैद्धांतिक रूप से आज की हमारी न्यायिक प्रणाली से आगे थी।"

भाग ख: मध्यकालीन भारत में न्यायिक प्रणाली

हर्ष साम्राज्य के विघटन के बाद भारत के इतिहास पर अंधकार का पर्दा छा गया जो मुस्लिम आक्रमण तक नहीं हटा। देश एक बार फिर छोटे-छोटे राज्यों में बंट गया। लेकिन इससे न्याय व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया जो पिछले हजारों सालों में इसके जड़ों में समा चुकी थी। राजनीतिक विभाजनों के बावजूद प्रत्येक राज्य में न्याय के मानदंड एवं आदर्श कायम रहे, सभ्यता की एकता बनी रही एवं पूरे देश में कानून एवं प्रक्रिया के बुनियादी सिद्धांत लागू किए गए। यह इस तथ्य से संकेत मिलता है कि मिताक्षरा एवं शुक्रनीति सार जैसी कानून पर महान टीकाएँ इसी अवधि में लिखी गईं एवं उन्हें पूरे भारत में मान्यता प्राप्त थी। लेकिन भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना ने हमारे न्यायिक इतिहास में एक नया अध्याय खोला। मुस्लिम विजेता अपने साथ एक नया धर्म, एक नई सभ्यता एवं एक नई सामाजिक व्यवस्था लेकर आए। इससे न्यायिक व्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। इस्लाम के तहत न्याय का आदर्श मध्य युग में सर्वोच्च आदर्शों में से एक था। पैगम्बर ने स्वयं ही इसके मानक तय किए थे। उन्होंने कुरान में कहा, "न्याय ईश्वर का धरती पर दिया गया तराजू है, जिसमें तौलने पर चीजें एक कण भी कम या ज्यादा नहीं होतीं। एवं उसने तराजू को इस तरह से बनाया है कि वह तराजू के मामले में कोई उल्लंघन न करे इसलिए एक न्यायपूर्ण वजन का ध्यान रखें एवं तराजू को कम न करें"। उन्होंने आगे कहा कि ईश्वर के लिए न्याय प्रदान करने में बिताया गया एक पल उस व्यक्ति की भक्ति से बेहतर है जो ६० साल तक हर दिन उपवास रखता है एवं हर रात प्रार्थना करता है।

१ इस प्रकार मुस्लिम राजाओं द्वारा न्याय का प्रशासन एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता था।

यह उच्च परंपरा प्राथमिक चार खलीफाओं के अधीन अपने शीर्ष पर पहुंच गई। पहले काजी की नियुक्ति खलीफा उमर ने की थी, जिन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि कानून सर्वोच्च है एवं न्यायाधीश को कभी भी शासक के अधीन नहीं होना चाहिए। उनके बारे में कहा जाता है कि

एक बार उन्होंने एक यहूदी नागरिक के खिलाफ व्यक्तिगत कानूनी मुकदमा दायर किया था, एवं वे दोनों काजी के सामने पेश हुए, जिन्होंने खलीफा को देखते ही सम्मानपूर्वक अपनी सीट पर खड़े हो गए। ''उमर ने इसे उनकी ओर से इतनी अक्षम्य कमजोरी माना कि उन्होंने उन्हें पद से हटा दिया।'' भारत में मुस्लिम राजाओं ने अपने साथ ये उच्च आदर्श लाए। बदायूंनी द्वारा बताया गया है कि सुल्तान मुहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान काजी ने शेखजादा जामी के विरूद्ध काजी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे को स्वयं खारिज कर दिया, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। (हालांकि इसने सुल्तान को बिना किसी मुकदमे के प्रतिवादी को फांसी देने से नहीं रोका)। अलग-अलग सुल्तानों के पास न्याय के बहुत उच्च आदर्श थे। बरनी के अनुसार, बलबन न्याय को संप्रभुता की आधारशिला मानता था ''जिसमें उत्पीड़न को मिटाने के लिए संप्रभु की शक्ति निहित थी''। लेकिन दुर्भाग्य से सुल्तानों के अधीन न्याय प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसका कारण यह था कि पूरे सल्तनत काल की सबसे बड़ी विशेषता भ्रम एवं अराजकता थी। कोई भी सुल्तान लंबे समय तक सुरक्षित महसूस नहीं कर पाया। एक राजवंश को तुलनात्मक रूप से कम समय में दूसरे राजवंश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, एवं प्रतिस्थापन का तरीका हिंसक था। परिणामस्वरूप न्याय की गुणवत्ता संप्रभु के व्यक्तित्व पर बहुत अधिक निर्भर थी।

जैसा कि एक आधुनिक लेखक कहते हैं, ''मध्यकालीन भारतीय राज्य में, अन्यत्र की तरह, निरंकुशता के सभी लक्षण थे - सब कुछ अस्थायी था, व्यक्तिगत था, और उसकी कोई बुनियादी ताकत नहीं थी। प्रशासन में व्यक्तिगत कारक इतना स्पष्ट हो गया था कि कर्तव्य मार्ग से शीर्ष का थोड़ा सा विचलन, पूरे 'टूंक' में सहवर्ती बदलाव पैदा करता था। यदि राजा नशे में था, तो 'उसके मजिस्ट्रेट सार्वजनिक रूप से नशे में देखे जाते थे'। सुरक्षा के बिना न्याय संभव नहीं था, एवं भारत के सुल्तानों ने कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं किया। परिणामस्वरूप, इस्लाम द्वारा प्रचारित सरकार का लोकतांत्रिक आदर्श भारत में अस्पष्ट था। सल्तनत के दौरान, न्याय के इस्लामी मानकों ने भारत में एक स्थापित परंपरा के रूप में जड़ें नहीं जमाईं, प्राचीन भारत की न्यायिक परंपराओं के विपरीत, जिन्होंने कई हजार वर्षों के दौरान गहरी जड़ें जमा ली थीं एवं जिन्हें राजनीतिक विभाजन द्वारा उखाड़ा नहीं जा सका था।

मुगल साम्राज्य के तहत देश में शासन की एक कुशल प्रणाली थी जिसके परिणामस्वरूप न्याय की प्रणाली आकार ले चुकी थी। न्यायिक प्रशासन की इकाई काजी थी - एक ऐसा कार्यकाल जो खलीफा से प्रेरित था। प्रत्येक प्रांतीय राजधानी का अपना काजी होता था एवं न्यायिक प्रशासन का मुखिया साम्राज्य का सर्वोच्च काजी (काजी-उल-कुजात) होता था। इसके अलावा, हर शहर एवं हर गांव जो कस्बा के रूप में वर्गीकृत होने के लिए पर्याप्त था, उसका अपना काजी होता था। सिद्धांत रूप में, एक काजी को ''पवित्र विधि की अवधारणाओं से पूरी तरह परिचित, निर्दोष जीवन जीने वाला मुस्लिम विद्वान होना चाहिए।''

मुगल साम्राज्य के महानतम इतिहासकार के अनुसार, ''विधि एवं न्याय विभाग का मुख्य दोष यह था कि इसमें उच्चतम से निम्नतम तक नियमित क्रम में विधि न्यायालयों का कोई संगठन नहीं था, न ही उनके द्वारा सेवा किए जाने वाले क्षेत्र के अनुपात में न्यायालयों का कोई उचित वितरण था। देश में अधिकांश मुकदमे (जाति, बुजुर्गों या ग्राम पंचायतों द्वारा तय किए गए मुकदमों को छोड़कर, जो ज्यादातर हिंदुओं के लिए थे) स्वाभाविक रूप से काजियों या सदर की अदालतों के समक्ष आते थे।'' यह दृष्टिकोण अन्य लेखकों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

काजी नियुक्त होने के प्रश्न पर, उन्हें शाही दीवान द्वारा निम्नलिखित शब्दों में अधिभार दिया गया:
''न्यायप्रिय बनो, ईमानदार बनो, निष्पक्ष बनो। न्यायालय तथा सरकार द्वारा प्रदत्त पद (मुहाकुमा) की गरिमा के तहत पक्षकारों की उपस्थिति में मुकदमे चलाओ। जिस स्थान पर तुम सेवा करते हो, वहाँ के लोगों से उपहार स्वीकार मत करो, न ही किसी एवं द्वारा दिए गए मनोरंजन में भाग लो। अपने फरमान, बिक्री-पत्र, बंधक पत्र एवं अन्य कानूनी दस्तावेजों को बहुत सावधानी से लिखो, ताकि विद्वान लोग उनमें खामियाँ न निकाल सकें एवं तुम्हें शर्मिंदा न करें। गरीबी (फक्र) को अपनी शान (फख्र) समझो।'' लेकिन पर्यवेक्षण की कमी एवं अच्छी परंपरा के अभाव के कारण, इन महान आदर्शों का पालन नहीं किया गया। सरकार के अनुसार, ''कुछ सम्माननीय अपवादों को छोड़कर, मुगल काल के सभी काजी रिश्वत लेने के लिए कुख्यात थे। सम्राट न्याय का प्रमुख स्रोत था। वह हर बुधवार को अपना न्यायालय लगाता था एवं अपने द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुने गए कुछ मामलों पर निर्णय देता था, लेकिन वह एक मूल न्यायालय के रूप में नहीं, बल्कि सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करता था। इस बात के बहुतायत प्रमाण हैं कि अकबर से लेकर औरंगज़ेब तक सभी सम्राटों ने अपने न्यायिक कार्य को गंभीरता से लिया एवं अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। जहांगीर ने इसका बहुत बड़ा प्रदर्शन किया एवं उसकी स्वर्णिम जंजीर इतिहास में प्रसिद्ध हो गई। जदुनाथ सिरकार के अनुसार, भारतीय-मुस्लिम विधि की कमजोरी यह थी कि इसके

तीनों स्रोत भारत से बाहर थे।

"किसी भी भारतीय सम्राट या काजी के निर्णय को कभी भी इतना प्रामाणिक नहीं माना गया कि वे कुरान में किसी अस्पष्टता को स्पष्ट करने के लिए कोई कानूनी सिद्धांत निर्धारित कर सकें, या कुरान के कानून को उसके स्पष्ट इरादे के अनुसार उन मामलों में पूरक बना सकें, जिनके लिए कुरान में स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए, भारतीय काज़ियों के लिए यह आवश्यक हो गया कि वे अपने पास इस्लामी विधि एवं स्वीकृत अरबी लेखक से संकलित दृष्टातों का सारांश प्रस्तुत किया। . . . .

इसलिए, भारत में मुस्लिम विधि विकास एवं परिवर्तन के लिए सक्षम नहीं था, अतिरिक्त इसके कि यह अरब या मिस्र में न्यायिक विचारों के परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करता हो।" औरंगजेब की मृत्यु के बाद, दो पीढ़ियों के पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। प्रांतीय गवर्नर एवं फौजदारों ने स्वयं को संप्रभु का दर्जा दिया एवं अपने नाम पर आपराधिक अपराधों के लिए सजा सुनाई। सम्राटों की सत्ता पर कब्जा करने का एक अवशेष फौजदारी नाम है जो आज भी आपराधिक विचारणों को दिया जाता है।

बंगाल पर अंग्रेजों की विजय के बाद मुगल न्याय प्रणाली को अंग्रेजों द्वारा प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन इसमें काफी समय लगा। वास्तव में, सदरे दीवानी अदालत तब तक काम करती रही जब तक कि इसे उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं कर दिया गया। मुगल न्यायिक प्रणाली ने वर्तमान प्रणाली पर अपनी छाप छोड़ी है, एवं हमारी कानूनी शब्दावली का एक अच्छा हिस्सा इससे उधार लिया गया है। हमारे प्रथम दृष्टया दीवानी न्यायालयों को मुंसिफ कहा जाता है, वादी एवं प्रतिवादी को मुद्दई एवं मुद्दलिया कहा जाता है एवं कई अन्य कानूनी शब्द हमें मुगल साम्राज्य के महान दिनों की याद दिलाते हैं।

भाग ग: आज की न्यायिक प्रणाली

अब मैं आज की हमारी न्यायिक प्रणाली का बहुत ही संक्षिप्त विवरण दूंगा। सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर, भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह कोई संघीय न्यायपालिका नहीं है। प्रत्येक राज्य की अपनी न्यायपालिका होती है, जो संघ एवं राज्य दोनों के कानूनों का प्रशासन करती है। मौर्य साम्राज्य के दौरान, राज्य के प्रत्येक जिले में न्यायिक अधिकारियों का अपना पदानुक्रम होता है- मुंसिफ, सिविल जज, सिविल एवं सत्र न्यायाधीश- जिसका मुखिया जिला न्यायाधीश होता है। मैं हमारे राज्य न्यायपालिका के संगठन का विस्तृत विवरण नहीं दूंगा, क्योंकि यह इस खंड के किसी अन्य लेख का विषय-वस्तु है।

उच्च न्यायालय राज्य न्यायपालिका के शीर्ष पर उच्च न्यायालय है। यह एक अभिलेख न्यायालय है एवं किसी न्यायालय या प्राधिकरण के अधीक्षण के अधीन नहीं है, हालांकि इसके निर्णय के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किए गए न्यायाधीशों की संख्या होती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए यह संख्या ३६ से लेकर असम के लिए ३ तक होती है। मुख्य न्यायाधीश न्यायालय के प्रशासनिक कार्यों का प्रभारी होता है एवं अपने साथी न्यायाधीशों के बीच न्यायिक कार्य वितरित करता है। अपने न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी उसकी सलाह ली जाती है। लेकिन न्यायालय में बैठने पर उसकी न्यायिक स्थिति किसी अन्य न्यायाधीश से अधिक नहीं होती है एवं विशेष अपील में कोई भी दो न्यायाधीश उसके निर्णयों को पलट सकते हैं एवं यदि वह तीन न्यायाधीशों की पीठ में बैठा हो तो उसके सहकर्मी उसे पलट सकते हैं। उसका किसी न्यायाधीश पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता है एवं उसकी स्थिति को प्राइमस इंटर पैरेस (बराबर में प्रथम) कहा जा सकता है।

उच्च न्यायालय सभी अधीनस्थ न्यायालयों, सिविल एवं आपराधिक के निर्णयों के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण को सुनता है। इसके अतिरिक्त, वैवाहिक, कंपनी एवं वसीयत संबंधी मामलों में इसका मूल अधिकार क्षेत्र है। संविधान के अनुच्छेद २२६ द्वारा सभी उच्च न्यायालयों को एक विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है, जो उन्हें बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पृच्छा, निषेध, उत्प्रेषण, परमादेश या किसी अन्य आदेश या निर्देश के माध्यम से नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं अन्य अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए सशक्त बनाता है। इस शक्ति के प्रयोग में, उच्च न्यायालय राज्य को किसी भी नागरिक के अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप करने एवं पहले से किए गए या पारित किसी भी कार्य या आदेश को अमान्य करने से रोक सकता है। यह किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी कानून को अमान्य घोषित कर

सकता है। अनुच्छेद २६६ के तहत उपाय एक बहुत लोकप्रिय उपाय साबित हुआ है एवं पूरे भारत में नागरिकों द्वारा अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए हर साल कई हजार याचिकाएँ दायर की जाती हैं। अकेले उत्तर प्रदेश राज्य में एक वर्ष में तीन हजार से अधिक याचिकाएँ दायर की जाती हैं।

प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय की पीठ में भर्ती आंशिक रूप से बार से होती है एवं आंशिक रूप से कम से कम पांच वर्ष के अनुभव वाले जिला न्यायाधीशों की पदोन्नति द्वारा होती है। अपने कार्यकाल के दौरान, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पूर्ण कार्यकाल में सुरक्षा प्राप्त होती है जो न्यायिक स्वतंत्रता का आधार है। एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन व्यवहार में संबंधित न्यायाधीश की इच्छा के अलावा कोई स्थानांतरण नहीं हुआ है।

न्यायाधीशों की स्वतंत्रता

न्यायिक स्वतंत्रता का सिद्धांत ब्रिटिश शासन से उत्पन्न नहीं हुआ। जैसा कि मैंने ऊपर वर्णित किया है, प्राचीन भारत में इसे पूरी तरह से समझा एवं लागू किया गया था। कात्यायन एवं अन्य सभी विधि-निर्माताओं (जिनके आदेश ऊपर उद्धृत किए गए हैं) ने न्यायाधीशों के स्वतंत्र एवं राजा से भी निडर होने के सर्वोच्च महत्व पर जोर दिया। भारतीय संविधान ने कार्यकाल की सुरक्षा के अंग्रेजी सिद्धांत को अपनाया, एवं उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता, एवं संसद के प्रत्येक सदन द्वारा दो-तिहाई बहुमत से उनके निष्कासन के लिए राष्ट्रपति को संबोधित करने के बाद के आधार पर हटाया जा सकता है (अनुच्छेद १२४ एवं २१७)।

सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय एकता

१९५० के संविधान ने भारतीय इतिहास में पहली बार पूरे भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया। अखिल भारतीय अधिकार क्षेत्र वाले इस न्यायालय की स्थापना से गणतंत्र के प्रत्येक क्षेत्र में विस्तारित एक समान विधि के विकास में तेजी आने की संभावना है। अनुच्छेद १४१ में कहा गया है कि "सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा।" यह हमारे सर्वोच्च न्यायालय की राय को एक संवैधानिक बल देता है। न्यायिक प्रक्रिया राष्ट्रीय एकता को सुदृण करने के लिए एक प्रभावी अस्त्र हो सकती है। इंग्लैंड में विधि न्यायालय इंग्लैण्ड के जनमानष के लिए एक समान विधि बनाने के लिए सबसे प्रभावी हथियार थे। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अनुच्छेद १४१ के अधिकार के साथ अपने निर्णयों एवं राय के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत के लिए एक समान कानून स्थापित करने की प्रक्रिया को गति देगा।

न्यायपालिका ने अपनी प्राचीन परंपराओं को कायम रखा है

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय न्यायपालिका ने न्यायिक स्वतंत्रता एवं अखंडता की प्राचीन भारतीय परंपरा को पोषित रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने गति निर्धारित की है एवं इसकी स्वतंत्रता का कीर्तिमान दुनिया में किसी से कम नहीं है। उच्च न्यायालयों ने भी, कुल मिलाकर, स्वतंत्रता का उच्च स्तर बनाए रखा है, एवं न्यायाधीशों द्वारा कार्यपालिका के पक्ष में पक्षपात करने के मामले दुर्लभ हैं। सबसे अधिक प्रशंसा हमारी अधीनस्थ न्यायपालिका-मुंसिफ, सिविल न्यायाधीश एवं जिला न्यायाधीशों की होनी चाहिए जिन्होंने विभिन्न समुदायों एवं जातियों के नागरिकों के बीच निष्पक्ष न्याय किया है, एवं जिनका रिकॉर्ड ब्रिटिश न्यायाधीशों के अभिलेखों से बहुत अनुकूल है जो हमेशा भारतीय एवं ब्रिटिश वादियों के मध्य निष्पक्ष नहीं थे। भारतीय न्यायाधीशों ने भगवान बृहस्पति के आदेशों का अनुसरण किया है कि एक न्यायाधीश को बिना किसी व्यक्तिगत लाभ या पूर्वाग्रह या बिना पक्षपात के वादों को निर्णीत किया जाना चाहिए एवं उनके निर्णय विधि द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार होने चाहिए।

हमारी न्यायिक प्रक्रिया की कमजोरी

हमारी न्यायिक प्रक्रिया की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसमें सैद्धांतिक पोषण का अभाव है। न्यायविदों के सिद्धांतों का न्यायिक प्रक्रिया पर प्रभाव गहरा है, हालाँकि यह अदृश्य एवं अवचेतन है। एक महान अमेरिकी न्यायाधीश, ओलिवर वेंडेल होम्स ने लिखा, "समय के अनुसार महसूस की गई जरूरतें, प्रचलित नैतिक एवं राजनीतिक सिद्धांत, सार्वजनिक नीति की संस्थाएँ, चाहे वे जागृत स्वरूप में हो या अचेतावस्था में हो, यहाँ तक कि न्यायाधीशों के अपने साथियों के साथ साझा किए जाने वाले पूर्वाग्रह भी उन नियमों को निर्धारित करने में न्याय-सिद्धांत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जिनके द्वारा मनुष्य शासित

होते हैं।" एक अन्य महान अमेरिकी न्यायाधीश, बेंजामिन कॉर्डोजो ने कहा, "तर्क, इतिहास, रीति-रिवाज, उपयोगिता एवं सही आचरण के स्वीकृत मानक, वे ताकतें हैं जो अकेले या संयोजन में विधि की प्रगति को आकार देती हैं।" एक अन्य न्यायाधीश रोस्को पाउंड का भी यह विचार है कि "वर्तमान नैतिक विचारों एवं नैतिक रीति-रिवाजों को लगातार कम आंका जाता है, हालांकि शायद ही कभी जानबूझकर ऐसा किया जाता हो।" भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यह निर्धारित करने में कि क्या मौलिक अधिकार पर कोई प्रतिबंध उचित है, तर्कसंगतता का कोई सार नहीं है एवं यह अपरिहार्य है कि उस समय की मौजूदा स्थितियां, एवं सामाजिक दर्शन एवं निर्णय में भाग लेने वाले न्यायाधीशों के मूल्यों का पैमाना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। प्राचीन भारत में न्यायाधीशों को ज्ञान की सभी शाखाओं (विद्या) के साथ-साथ न्यायशास्त्र एवं शासन का विज्ञान (धर्म-शास्त्रार्थ कुशलाय रार्थ शास्त्र विशारदाय) में पारंगत होना आवश्यक था। लेकिन आज के बारे में क्या? वह कानूनी एवं सामाजिक दर्शन क्या है जिस पर आज भारतीय न्यायाधीशों को लाया जाता है?

इंग्लैंड में, पश्चिमी यूरोप एवं यू.एस.ए. में न्यायाधीश एवं अधिवक्ता को उनकी सभ्यता के न्यायशास्त्र से निरंतर प्रेरणा एवं शिक्षा मिली है जो बीसवी शताब्दी से विकसित हो रही है। इसी तरह, यू.एस.एस.आर. में न्यायिक प्रक्रिया मार्क्सवादी न्यायशास्त्र से पोषण प्राप्त करती है जो लगातार विकसित हो रही है। लेकिन भारतीय न्यायाधीश या अधिवक्ता को प्रेरणा कहां से मिलती है?वह अपनी सभ्यता के न्यायशास्त्र से तो नहीं प्राप्त होती है। वह रोमन कानून एवं पश्चिमी न्यायविदों के सिद्धांतों के बारे में थोड़ा जानते है लेकिन अपनी सभ्यता के कानून एवं न्यायशास्त्र के विकास के बारे में बहुत कम जानते है। भारतीय विश्वविद्यालय में कानून की डिग्री के लिए पाठ्यक्रम में भारतीय न्यायशास्त्र या प्राचीन भारत में राज्य के सिद्धांत या भारतीय कानून का इतिहास शामिल नहीं है। परिणामस्वरूप, हमारी न्यायिक प्रक्रिया सैद्धांतिक नींव के बिना या अन्य देशों में अन्य संरचनाओं को सहारा देने वाली नींव पर निर्मित एक इमारत है। उदाहरण के लिए मैं सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही के एक निर्णय का अवलंब प्रस्तुत करता हूँ जिसमें सरकारी गतिविधियों एवं सरकार के वाणिज्यिक उपक्रमों के बीच अंतर करने की प्रयास किया गया था, जिसके अनुसार (यह अवधारित किया गया) "सरकारी गतिविधियों की पारंपरिक अवधारणाओं से कोई संबंध नहीं है। अब, पारंपरिक अवधारणा का अर्थ है परंपरा के अनुसार अवधारणा। लेकिन भारतीय या ब्रिटिश या अमेरिकी परपंराओं में से कौन सी परंपरा? लेकिन भारत में जैसा कि मैंने पहले ही संकेत दिया है कि राज्य में अनादि काल से सार्वजनिक क्षेत्र रहा है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य के वाणिज्यिक उद्यमों का सरकारी गतिविधियों की भारतीय पारंपरिक अवधारणा से कोई संबंध नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का अवलोकन ब्रिटिश या अमेरिकी पर आधारित है, न कि किसी भारतीय पारंपरिक अवधारणा पर अधारित है। पुनः हमारे दंड संहिता के नैतिक एवं सैद्धांतिक आधार विदेशी हैं। एक दृष्टांत के अनुसार, मनु ने अपराध के लिए दंड के रूप में सार्वजनिक निंदा निर्धारित की है। इस प्रावधान को सोवियत दंड संहिता द्वारा अपनाया गया है लेकिन मैकाले द्वारा तैयार भारतीय दंड संहिता इसे पूरी तरह से अनदेखा करती है, हालांकि यह कई मामलों में दंड का एक प्रभावी रूप हो सकता है। जाहिर है कि सोवियत न्यायविदों को खुद भारतीयों न्यायविदों की तुलना में भारतीय न्यायशास्त्र का अधिक सम्मान है।

आज भारत में विधिक एवं न्यायिक अध्ययन का निम्न स्तर एक गंभीर समस्या उत्पन्न करता है। एक ओर,हमारे उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने एवं राज्य के किसी भी कानून या अधिनियम को इस आधार पर अमान्य घोषित करने की शक्ति प्राप्त है कि यह असंवैधानिक या अवैध है या किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून का भारत के पूरे क्षेत्र में बाध्यकारी वर्चस्व है, एवं इसकी अपीलीय शक्तियाँ दुनिया के किसी भी अन्य संघीय न्यायालय की तुलना में व्यापक हैं। संविधान की व्याख्या एवं आर्थिक प्रगति के साथ कानून के शासन के समायोजन के लिए हमारे न्यायाधीशों से न्यायशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान के गहन ज्ञान एवं न्यायिक प्रक्रिया में सामाजिक विकास की विधि को लागू करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, हमारे विश्वविद्यालयों एवं विधि महाविद्यालयों में विधि की शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है। खराब कानूनी शिक्षा खराब न्यायविदों एवं न्यायाधीशों को जन्म देती है। हमारे भावी न्यायाधीशों की शक्ति एवं बौद्धिक उपकरणों के बीच वर्तमान असमानता एक समस्या उत्पन्न करती है जिसे राज्य अपने जोखिम पर ही अनदेखा कर सकता है।

मैं इस बात के पक्ष में हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय हमें पश्चिमी एवं सोवियत विचारधारा एवं विज्ञान द्वारा बताई गई सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करें। लेकिन भारतीय न्यायशास्त्र एवं राजनीतिक दर्शन की लगभग पूरी तरह उपेक्षा करने से प्रत्येक भारतीय अधिवक्ता एवं न्यायाधीश की शिक्षा अधूरी रह जाती है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि कानूनी अध्ययन का आधार भारतीय न्यायशास्त्र का अध्ययन होना चाहिए एवं प्रत्येक भारतीय विश्वविद्यालय को इसे विधि स्नातक की डिग्री के लिए अनिवार्य विषय के रूप में शामिल

करना चाहिए।

मैं मानता हूँ कि भारतीय न्यायशास्त्र में बहुत कुछ ऐसा है जो आज प्राचीन हो चुका है। लेकिन यह न्यायशास्त्र की हर प्रणाली के बारे में सच है। ग्रीक एवं रोमन सभ्यताएँ गुलामी पर आधारित थीं। १७वीं सदी के अंत तक यूरोप में राजाओं के दैवीय अधिकार प्रचलित थे। तर्कसंगत विधि को अक्सर ईसाई भगवान के कानून के साथ पहचाना जाता था। यूरोप में विश्वास या पूजा की कोई स्वतंत्रता नहीं थी, एवं कई लोगों को पाषंड के अपराध के लिए जिंदा जला दिया गया था, जिनमें जीन डी आर्क भी शामिल हैं जिन्हें आज संत के रूप में पूजा जाता है। स्त्रियों को चुड़ैल होने के अपराध के लिए एवं पुरुषों को शैतान के साथ संवाद करने के लिए मुकदमा चलाया गया एवं जला दिया गया। पश्चिमी यूरोप में कानून एवं न्याय को बदनाम करने वाली कुछ अजीबोगरीब बेतुकी बातें भारतीय न्यायशास्त्र में नहीं हैं।सत्रहवीं सदी के अंत तक, यूरोप में आपराधिक अपराधों के लिए जानवरों पर मुकदमा चलाया जाता था। मैं न्यायविद कीटन के न्यायशास्त्र के तत्वों से निम्नलिखित दृष्टांत उद्धृत करूंगा। जर्मनी में, एक मुर्गे को कैदी के डिब्बे में रखा गया था, एवं उस पर अपमानजनक तरीके से बांग देने का आरोप लगाया गया था। प्रतिवादी के अधिवक्ता अपने पंख वाले मुवक्किल की बेगुनाही साबित करने में विफल रहे, एवं दुर्भाग्यपूर्ण पक्षी को तदनुसार मृत्यु का आदेश दिया गया। वर्ष १५०८ में, प्रांत में एक प्रांत के कैटरपिलर पर मुकदमा चलाया गया एवं खेतों को तबाह करने के लिए दोषी ठहराया गया, एवं वर्ष १७४५ में, सेंट जीन डे-मॉरिएन के बीटल्स पर भी इसी तरह का आरोप लगाया गया। वर्ष १६८८ के अंत में, चौबरग ऑफ सेवॉय के गैसपारी बेली ने जानवरों के मुकदमों में उकसावे एवं दलीलों के रूपों सहित एक खंड प्रकाशित करने में सक्षम थे। इन बेतुकी बातों को प्राचीन भारत की उनकी न्यायिक प्रणाली में कोई जगह नहीं मिलती है जो एक ब्रिटिश लेखक के अनुसार "हमारे आज के समय से आगे थी।"

अधिकार एवं कर्तव्य

भारतीय एवं पश्चिमी न्यायशास्त्र के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति उनके संबंधित दृष्टिकोण हैं। वे दोनों प्रणालियों में सहसंबद्ध हैं, लेकिन उनका प्रभाव अलग है। भारतीय न्यायशास्त्र में दायित्वों पर जोर दिया जाता है। वस्तुतः, अधिकार शब्द पूरे अनुशासन पर्व या अर्थशास्त्र में एक बार भी नहीं आया है। भारतीय न्यायशास्त्र उन सिद्धांतों पर आधारित है जो इस बात पर बल देते हैं कि अधिकार कर्तव्यों के परिणाम हैं। यहां तक कि बोलने की स्वतंत्रता को भी बिना किसी डर के बोलने के कर्तव्य के रूप में मान्यता दी गई है। दूसरी ओर, पश्चिमी न्यायशास्त्र में, अधिकार, प्राकृतिक या कानूनी, प्राथमिक हैं, हालांकि हर अधिकार के साथ एक समान कर्तव्य भी होना चाहिए। एक मामले में अधिकारों एवं दूसरे में दायित्वों पर इस जोर ने विवाह जैसी सामाजिक संस्थाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। भारतीय न्यायशास्त्र के तहत विवाह एक कर्तव्य था, एक ऐसा काम जिसे कई सामाजिक दायित्वों में से एक के रूप में निभाया जाना था, जिसे हर किसी को निभाना था। लेकिन पश्चिमी न्यायशास्त्र में अधिकारों को लेकर अत्यधिक ध्यान दिए जाने के कारण विवाह को एक गठबंधन के रूप में देखा जाने लगा है, जिसमें से प्रत्येक साथी हमें जितना संभव हो सके उतना पाने की कोशिश करता है। तलाक की उच्च दर विवाह के 'कर्तव्य' पहलू की उपेक्षा का परिणाम है।

भारतीय न्यायपालिका की भावी भूमिका

आने वाली सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति में हमारी न्यायपालिका की क्या भूमिका होगी। न्यायिक प्रणाली शून्य में काम नहीं करती। न्याय प्रशासन का एक सामाजिक कार्य है एवं न्यायिक प्रक्रिया केवल व्यापक सामाजिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसलिए विधि न्यायालय सामाजिक उद्देश्यों या "समयानुसार महसूस की गई आवश्यकताओं" की अवहेलना या अनदेखी करके काम नहीं कर सकती, जैसा कि न्यायाधीश होम्स महोदय ने अवधारित किया था। जैसे कि सूक्ति फिएट फिएट यूस्टिसिया एट पेरेट मुंडेस (न्याय अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए, भले ही मानदण्ड ध्वस्त हो जाये) जो न्यायाधीशों की निष्पक्षता पर जोर देती है, लेकिन न्यायपालिका को सामाजिक जरूरतों के प्रति उदासीन होने की अनुमति नहीं देती है।सिद्धांत रूप में न्यायपालिका कानून नहीं बनातीय यह केवल यह बताती है कि कानून क्या है। लेकिन जैसा कि विद्वान गोएथे ने कहा, "जीवन के तथ्य अमूर्त सिद्धांतों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं।"

व्यवहार में न्यायिक प्रक्रिया शक्तियों के पृथक्करण के मात्र सिद्धांत से कहीं अधिक जटिल है। न्यायाधीश कानून बनाते समय उसकी व्याख्या करने से नहीं बच सकते। विधि की व्याख्या करने की आड़ में यू.एस. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे विचार दिए, जिन्होंने अमेरिकी व्यक्तियों की नियति को प्रभावित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक पूर्व महान्यायवादी के द्वारा यू.एस. उच्चतम न्यायालय के बारे में निम्नानुसार वर्णन किया:

".....इस न्यायालय ने बार-बार कांग्रेस एवं कार्यपालिका दोनों को खारिज किया है एवं विफल किया है। यह हमारे इतिहास में सबसे गतिशील एवं लोकप्रिय राष्ट्रपतियों के साथ टकराव रहा है। जेफरसन ने महाभियोग के साथ जवाबी कार्रवाई की इसके पश्चात जैक्सन ने इसके अधिकार को अस्वीकार कर दिया लिंकन ने मुख्य न्यायाधीश के रिट की अवहेलना की थियोडोर रूजवेल्ट ने न्यायिक निर्णयों को वापस लेने का प्रस्ताव रखा: विल्सन ने इसकी सदस्यता को उदार बनाने की कोशिश की एवं फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने इसे 'पुनर्गठित' करने का प्रस्ताव रखा। यह आश्चर्यजनक है कि यह न केवल जीवित रहा, बल्कि अपने निर्णय के नैतिक बल के अलावा किसी भी शक्ति के साथ, संवैधानिक हठधर्मिता के स्रोत के रूप में वास्तविक सर्वोच्चता प्राप्त की।

"आश्चर्य तब एवं बढ़ जाता है जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि समय ने साबित कर दिया है कि उसका निर्णय सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गलत था जिस पर उन्होनें लोकप्रिय शाखाओं को चुनौती देने का विकल्प चुना था। ड्रेड स्कॉट के वाद में उनका निर्णय संघर्ष द्वारा खारिज कर दिया गया था। उसका निर्णय कि संघ को संरक्षित करने वाली मुद्रा को विधिक निविदा नहीं बनाया जा सकता था, जिसे सोलहवें संशोधन द्वारा खारिज कर दिया गया था। श्रम एवं सामाजिक कानून को दबाने वाले उनके निर्णयों को अब अमान्य कर दिया गया है। न्यू डील विधि के विरूद्ध कई निर्णयों को त्रुटिपूर्ण स्वीकारोक्ति द्वारा संसोधित किया गया है। सामाजिक या आर्थिक नीति के किसी भी प्रश्न पर प्रतिनिधि शाखाओं के साथ किसी भी बड़े संघर्ष के समय ने न्यायालय को सही साबित नहीं किया है।"

भारतीय संविधान: एक संश्लेषण

भारतीय न्यायपालिका की भूमिका को राष्ट्र के सामाजिक उद्देश्यों से अलग नहीं किया जा सकता। हमारे संविधान ने भारतीय लोगों के सामने पश्चिमी एवं साम्यवादी जीवन शैली, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण, उत्पादन में अराजकता का उन्मूलन एवं सरकार में लोकतंत्र के संरक्षण - एक शब्द में, राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता के संश्लेषण को प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। मेरा तात्पर्य यह नहीं समझा जाना चाहिए कि सोवियत राज्य में बिल्कुल भी राजनीतिक स्वतंत्रता या पश्चिमी लोकतंत्रों में आर्थिक प्रगति नहीं है। दुनिया को पार्श्व एवं श्वेत में विभाजित करना एवं बिना किसी ग्रे शेड के "शीत युद्ध" के लिए अच्छी परिकल्पना है, लेकिन यह तथ्यों का एकमात्र तुच्छ बयान है। उनमें से किसी एक अधिक प्रभाव देना ही अतंर है। सोवियत प्रणाली ने राजनीतिक स्वतंत्रता से पहले आर्थिक प्रगति को प्राथमिकता दी क्योंकि सोवियत सरकार अब तक एक विशाल, विस्तृत राज्य में रहने वाले बहुराष्ट्रीय, बहुजातीय, बहुभाषी एवं बहु-धार्मिक समुदाय को एक आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र में बदलने की समस्या से जूझ रही थी। आज "आर्थिक नियोजन" एवं "राजनीतिक लोकतंत्र" शब्द तथाकथित लौह पर्दे के दोनों ओर स्वीकार किए जाते हैं। हमारा संविधान दोनों का संश्लेषण करने का प्रयास करता है। यह संवैधानिक विधि के क्षेत्र में गुटनिरपेक्षता की भावना को दर्शाता है। उद्योग पर सामाजिक नियंत्रण भारतीय परंपरा के अनुरूप है। मैंने प्रारंभ में ही संकेत दे दिया था कि प्राचीन भारत में राज्य के पास एक विशाल सार्वजनिक क्षेत्र था, एवं अर्थशास्त्र कीमतों को बढ़ाने के लिए बाजार पर कब्जा करने जैसी व्यापारिक प्रथाओं को प्रतिबंधित करता है।

भारतीय संविधान ने हमारे लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एवं कठिन लक्ष्य रखा है। संविधान अमूर्त सिद्धांतों का संग्रह नहीं है, न ही यह शून्य में काम करता है। यह एक ऐसी जीवन शैली को दर्शाता है जो किसी विशेष लोगों को अपने उद्देश्यों एवं महत्वाकांक्षाओं को साकार करने में सक्षम बनाती है। यदि यह ऐसा करने में विफल रहता है, तो इसे समझौते या अन्यथा द्वारा संशोधित या त्याग दिया जाएगा। सामाजिक जीवन की बाध्यकारी ताकतें अंत में अप्रतिरोध्य होती हैं।

राष्ट्रीय अस्तित्व की शर्तें

भारतीय जनमानष ने एक पीढ़ी में ही अपनी अर्थव्यवस्था को बदलने का विशाल कार्य अपने ऊपर ले लिया है। हमारा राज्य कुछ ही वर्षों में वह हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिसके लिए ब्रिटेन एवं अन्य देशों को कई सदियाँ लग गईं। इस मामले में भारत के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। वृहद हिमालय अब और अधिक हमारी ढाल बनकर नहीं रह सकता। औद्योगिक ताकत अब हमारे अस्तित्व के चुनौती बन गई है।

विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो यू.एस.एस.आर में एक ही पीढ़ी में स्वयं को पिछड़े ग्रामीण एवं कृषि समुदाय से आधुनिक औद्योगिक एवं अत्यधिक शक्तिशाली राज्य में बदलने में सक्षम था। लेकिन सोवियत राज्य की राजनीतिक व्यवस्था भारत से अत्यधिक प्रथक है। हम संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित एक संविधान के तहत रह रहे हैं, जिसमें सत्ता के मनमाने प्रयोग पर रोक लगाने ध्का गुण है। लेकिन रोक तो रोक है यह सुरक्षा प्रदान करता है, न कि गति प्रदान करता है एवं भारत को सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति में गति की आवश्यकता है, क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में हमारा अस्तित्व हमारे आर्थिक विकास की गति पर निर्भर करता है। क्या वर्तमान विधि

प्रणाली के तहत तीव्र आर्थिक परिवर्तन प्राप्त करना संभव है? यह न केवल भारत बल्कि पूरे गैर-साम्यवादी विश्व के सामने एक मौलिक प्रश्न है। इस समस्या को दस साल पहले एक अमेरिकी पत्रिका ने भारत को समर्पित एक विशेष लेख में निम्नलिखित शब्दों में बताया था:

निकिता ख्रुश्चेव ने पश्चिम को अविकसित भूमि के विकास के कार्य में साम्यवाद के विरूद्ध विकसित करने के लिए चुनौती दी है... एवं जैसे-जैसे पचास का दशक साठ के दशक में प्रवेश करता है, भारतीय सभ्यता के समक्ष यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि क्या इन गरीब लोगों को, जो प्रति वर्ष ९ मिलियन की दर से बढ़ रहे हैं, स्वतंत्र संसदीय सरकार की प्रणाली के तहत जीवित रखा जा सकता है? या फिर भारत को अपनी जनता को भूख से मरने से बचाने के लिए, अपने लोकतांत्रिक संस्थानों को (जैसा कि एशिया के अधिकांश हिस्सों में पहले ही हो चुका है) त्यागने एवं उनके स्थान पर साम्यवादी चीन के क्रूर तरीकों को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारे भावी न्यायाधीशों की योग्यता, बुद्धि एवं देशभक्ति पर कुछ हद तक भारत में कानून के शासन एवं संसदीय लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। लेकिन बुद्धिमान न्यायाधीश स्वर्ग से गंगा की तरह नहीं गिरते: वे सामाजिक मिट्टी से उगते हैं एवं सामाजिक वातावरण द्वारा पोषित होते हैं। महान न्यायाधीश पैदा नहीं होते बल्कि उचित शिक्षा एवं महान कानूनी परंपराओं के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे मनु, कौटिल्य, कात्यायन, बृहस्पति, नारद, पराशर, याज्ञवल्क्य एवं प्राचीन भारत के अन्य विधि के महत्वपूर्ण विद्वान थे। कानूनी शिक्षा की निरंतर उपेक्षा राष्ट्रीय हितों के विरूद्ध है।

कहीं हम भूल न जाएं

द्वारा माननीय न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह,
पूर्व मुख्य न्यायाधीश, एवं भारत के पूर्व उप-राष्ट्रपति.

यदि कोई छः सर्वकालिक महानतम भारतीय न्यायाधीशों के नाम लेना चाहे, तो उसके लिए अपनी सूची से सैयद महमूद का नाम निकालना कठिन होगा। हालांकि यह प्रश्न अवश्य होगा कि अपनी सूची में नाम दर्ज करने से पहले उसे कितना आगे जाना होगा। सैयद महमूद को किस मानदंड के आधार पर चुना गया है और कानूनी दुनिया में इस महत्वपूर्ण पद के लिए उनके क्या दावे हैं? सभी न्यायाधीश अपने-अपने तरीके से निर्णय करते हैं, फैसले सुनाते हैं और न्याय करते हैं। ऐसा करने वाले सैयद महमूद अकेले नहीं थे। स्पष्टतः, किसी न्यायाधीश को मुकदमों का निर्णय करने या बड़ी संख्या में मुकदमों का निपटारा करने से स्थायी प्रसिद्धि नहीं मिलती। उनकी महानता का सही कारण जानने के प्रयास में, कुछ लोग उनकी विद्वता की चर्चा करते हैं, कुछ उनकी न्यायप्रियता और स्वतंत्रता की भावना पर बल देते हैं तथा कुछ उनकी मेहनत की प्रशंसा करते हैं। लेकिन उनके पहले और बाद में भी ऐसे न्यायाधीश हुए हैं, जो मेहनती थे, लॉ रिपोर्टों में जिनके कई पृष्ठों के निर्णय भरे पड़े थे, जिनमें न्याय और स्वतंत्रता की प्रबल भावना थी और कभी-कभी उन्होंने विद्वता का परिचय दिया था, लेकिन उन्हें महान नहीं माना जाता। अतैव, वह महानता जो स्थायी प्रसिद्धि का कारण बनती है, वह किसी और चीज पर निर्भर होनी चाहिए। यह भी नहीं कहा जा सकता कि सैयद महमूद हमेशा सही थे। उन्होंने अनेक असहमतिपूर्ण बातें लिखी जिन्हें न तो उनके न्यायालय में और न ही उसके बाहर स्वीकार किया गया, यद्यपि बाद में उनकी अनेक असहमतियों को स्वीकार कर लिया गया। उनके सहयोगी कदाचित सही थे लेकिन सैयद महमूद के विचारों को याद किया जाता है, उनके विचारों को नहीं। उन लोगों को विस्मृत किया जा चुका है लेकिन उनका नाम अभी भी चमक रहा है। न तो न्याय के प्रति जुनून एवं न ही सही होना अमर प्रसिद्धि की ओर ले जाता है।

अंतर, न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के प्रति बोध से उत्पन्न होता हैय और वास्तव में यही अंतर है। अधिकांश न्यायाधीश तर्कों का मूल्यांकन करते हैं, मामले पर साहसपूर्वक विचार करते हैं और चूँकि उन्हें अपना निर्णय देना होता है, इसलिए वे अपने अनुसार निर्णय लेते हैं और मानते हैं कि उनकी राय सही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले कानूनी सिद्धांतों के बारे में स्वयं जानकारी प्राप्त करते हैं, तथा इस संबंध में कड़ी मेहनत करते हैं, ताकि वे स्वयं को गलत निर्णय लेने से बचा सकें। ये लोग मानव स्मृति में अपने लिए एक जगह बना लेते हैं। सैयद महमूद इसी वर्ग के थे। उन्होंने प्रतिद्वंद्वी तर्कों के बीच चुनाव नहीं किया। उन्होंने विधि के उचित अनुप्रयोग के लिए सभी आवश्यक शोध करने के बाद अपनी राय बनाई। इस कार्य में उन्होंने प्राचीन ऋषियों के ज्ञान को आज के कानूनों के साथ मिलाया। उस समय आज के न्यायाधीशों की तरह प्रचार का आसान रास्ता उपलब्ध नहीं था, जो किसी कानून या कार्यपालिकीय कार्रवाई को अपना मनचाहा शीर्षक देकर रद्द कर देते हैं, जिससे अगले दिन उनका नाम छप जाता है। उन्हें क्षणिक प्रसिद्धि मिलती है। यह जितनी सस्ती आती है, उतनी ही जल्दी चली भी जाती है। सैयद महमूद को स्थायी प्रसिद्धि उनके निर्णयों की लोकप्रियता से नहीं, बल्कि उनकी उत्कृष्टता से मिली, उनके काम की उच्च गुणवत्ता से मिली, न कि राजनीतिक लगाव-दुराव से, जिसमें न्यायाधीश अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक गुटबाजी में शामिल होते हैं। सैयद महमूद के किसी भी फैसले को राजनीतिक नहीं कहा जा सकता। उनमें से एक भी सनसनीखेज नहीं था।

स्टोवेल, जिनके निर्णय युगों-युगों से सूझ-बूझ और मौलिक सोच के आदर्श के रूप में जीवित हैं, महान थे क्योंकि उन्होंने रोमन न्यायशास्त्र और संपूर्ण शास्त्रीय संस्कृति का व्यापक ज्ञान प्राप्त किया था। जहाँ रोमन न्यायशास्त्र से उन्हें नागरिक कानून की समझ मिली वहीं शास्त्रीय संस्कृति से उन्हें अभिव्यक्ति की गरिमा और स्पष्टता मिली और यही बात उन्हें एक महान न्यायाधीश का दर्जा देती है। सैयद महमूद दूसरे लॉर्ड स्टोवेल थे। उनके स्रोत स्टोवेल से ज्यादा व्यापक थे। दोनों ही अपनी मौलिकता और किसी समस्या के वास्तविक सार को पकड़ने और परिस्थितियों के संयोजन पर कानून के स्वीकृत प्रस्तावों को लागू करने की अचूक क्षमता के लिए जाने जाते हैं, और जरूरत पड़ने पर तार्किक आधार पर अपवाद भी बनाते हैं। दोनों ने अपने निर्णयों पर असीम सावधानी और परिश्रम का परिचय दिया। दोनों ने दार्शनिक समझ दिखाई और भाषा पर महारत हासिल की। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने ऐसी सभी सामग्री का सहारा लिया, चाहे वह उनके सामने तर्क में प्रस्तुत की गई हो या नहीं। उन्होंने न्यायाधीश के कार्य को कठिन बना दिया। कोलरिज ने अपनी टेबल टॉल में सभी राजनेताओं को ग्रोटियस, बर्नाकरशोक, पफेनडॉर्फ, वुल्फ और वेटल को पढ़ने की सलाह दी। न्यायाधीश के लिए भी व्यापक अध्ययन की आवश्यकता होती है। न्यायाधीश

लर्न्ड हैंड ने एक बार न्यायाधीश के लिए पढ़ने की सूची दी थी। उन्होंने एक्टन और मैटलैंड, थ्यूसीडाइड्स, गिब्बन और कार्ली, होमर, डांटे, शेक्सपियर और मिल्टन, मैकियावेली, मोंटेन और रबेलैस, प्लेटो, बेकन, ह्यूम और कांट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक न्यायाधीश के काम में सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने सामने मौजूद सवाल को किस भावना से देखता है। आज पढ़ने की सूची बहुत लंबी है। न्यायाधीश लर्न्ड हैंड ने बताया कि न्यायाधीश ने जिन शब्दों की व्याख्या की है, वे खाली बर्तन हैं जिनमें वह अपनी इच्छानुसार कुछ भी डाल सकते हैं। "लोग कांटों से अंजीर नहीं इकट्ठा करते, न ही न्यायाधीशों से लचीली संस्थाएँ बनती हैं, जिनके दृष्टिकोण संकुचित या वर्ग द्वारा सीमित हो सकते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके सामने मौखिक समस्याओं से कहीं अधिक जटिल, सार्वभौमिक प्रयोज्यता के सामान्यीकरण में डाले गए अंतिम समाधानों से कहीं कठिन प्रश्न है।" इसलिए, विषय पर ज्ञान पहली आवश्यकता हैय और समस्या को हल करने का प्रयास करने से पहले उचित निर्णय के लिए यह ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए। और फिर परिणाम को भव्य तरीके से बताया जाना चाहिए। सिसरो ने एक बार अपने मित्र सुल्पिसियस रूफस के बारे में कहा था कि वह कानून को 'कलाकार के हाथ और दिमाग से' देखता था। यह बात सैयद महमूद के बारे में भी सच है। एक किताब की तरह ही,निर्णय भी किसी न्यायाधीश के विवेक से पूरी तरह नहीं निकलता। अगर ऐसा होता भी है, तो यह एक भव्य शैली का फैसला नहीं है। एक उल्लेखनीय निर्णय महान परिश्रम और तर्क-वितर्क का परिणाम होता है, अन्यथा सरल कथनों के प्रवाह में कानूनी समस्याओं की वास्तविक कठिनाइयों के दृष्टि से ओझल हो जाने का खतरा रहता है। हम कितने ऐसे निर्णयों का नाम बता सकते हैं जिनमें 'व्यर्थ की बातें विचार के लिए कर्तव्य बन जाती हैं?' वे असंबद्ध विचारों से भरे हुए होते हैं। ठीक से विश्लेषण करने पर, वे निपट सारहीन पाए जाते हैं।

लॉर्ड फिलिमोर न केवल स्वयं एक महान न्यायाधीश थे, बल्कि उनमें दूसरों की योग्यता की भी परख थी। उन्होंने भारत के गवर्नर जनरल से एन.डब्ल्यू.पी. उच्च न्यायालय (अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय) में प्रथम भारतीय न्यायाधीश के रूप में सैयद महमूद की नियुक्ति की सिफारिश की थी। उस समय सैयद महमूद की आयु ३२ वर्ष थी। इस छोटी सी अवधि में सैयद महमूद एक छात्र, सात साल तक वकील और तीन साल तक जिला न्यायाधीश रहे। जिला न्यायाधीश के रूप में अपने छोटे से कार्यकाल में उन्होंने न्यायिक समिति का ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत बड़ी योग्यता दिखाई होगी। सन् १८७० में जन्मे सैयद महमूद ने क्वीन्स कॉलेज, बनारस और क्राइस्ट कॉलेज, कैम्ब्रिज से शिक्षा प्राप्त की और सन् १८७२ में लिंकन इन से बार में बुलाए गए। उनका शैक्षणिक जीवन बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन काफी सफल रहा।

उन्होंने शास्त्रीय, यूरोपीय और प्राच्य भाषाओं का गहन ज्ञान प्राप्त किया। जब सन् १८८२ में उन्हें पहली बार हाई कोर्ट बेंच में पदोन्नत किया गया, तब तक वे जिला न्यायाधीश के रूप में तीन साल की सेवा सहित बार में दस साल व्यतीत कर चुके थे। वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने के लिए बमुश्किल योग्य थे। हमारे समय में किसी व्यक्ति को इतनी उम्र में न्यायिक सीढ़ी के सबसे ऊंचे पायदान पर चढ़ते देखना काफी आश्चर्यजनक होगा। लॉर्ड फिलिमोर ने सोचा होगा (और ठीक ही) कि न्यायाधीश या वकील की युवावस्था कोई अयोग्यता नहीं बल्कि एक संपत्ति है। सौभाग्य से सैयद महमूद को युवा होने के पाप से पीड़ित नहीं होना पड़ा। आयु और अनुभव वकील से अधिक एक डॉक्टर के लिए आवश्यक होते हैं। एक पुरानी कहावत है "एस्टो एडवोकेटस जुवेनिस एट मेडिकस सेनेक्स।" उत्साह और महत्वाकांक्षा एक वकील की मदद करते हैं। जैसा कि एकर्सियस ने कहा था "क्वांट यूनियोर जटांटो पर्सपिकासीओरर"।

सैयद महमूद के निर्णयों को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उनमें परिश्रम, विद्वत्ता, न्याय और स्वतंत्रता की भावना की छाप होती है और वे थकाऊ हठधर्मिता और दोहराव भरे तर्कों के बिना व्यक्त किए जाते हैं और आज के समय में प्रचलित रूढ़िवादिता से मुक्त होते हैं। उनके दृष्टिकोण का तरीका एक नहीं बल्कि कई तरह का था। कानून का परीक्षण विभिन्न कोणों से किया जा सकता है। हम इसके ऐतिहासिक विकास पर विचार कर सकते हैं, या युग की आवश्यकताओं के साथ इसके जैविक संबंध का आकलन कर सकते हैं। हम इसकी आधिकारिक अवमानना के संश्लेषण को देख सकते हैं, या इसके नुस्खों के मूल सिद्धांतों के दार्शनिक अर्थ को देख सकते हैं। सैयद महमूद ने अपने सामने मौजूद तथ्यों पर लागू होने वाले सच्चे सिद्धांत की खोज के लिए अपनी विवेचन में सभी तरीकों का इस्तेमाल किया। हालाँकि उन्होंने न्यायाधीश के तौर पर सिर्फ सात साल काम किया, लेकिन उन्होंने कई प्रमुख फैसले और कई शानदार असहमतियाँ व्यक्त कीं। दोनों ही स्थितियों में उनकी चमक समान थी। किसी भी मूड में, चाहे अदालत के लिए बोल रहे हों या खुद के लिए, सैयद महमूद ने अपने पांडित्य और शोध की शक्तियों का प्रयोग करने में किसी भी तरह की झूठी या दिखावटी विनम्रता नहीं दिखाई। वे उन लोगों में से नहीं थे जिनके लिए विनम्रता अहंकार के अलावा और कुछ नहीं है। अंग्रेजों के बीच पहला और अकेला भारतीय होना उनके लिए

एक कठिन अनुभव रहा होगा। वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे, क्योंकि शब्दों की कृपणता घातक हो सकती थी। जहाँ वे सहमत नहीं थे, वहाँ उन्होंने साहसपूर्वक असहमति जताई। मुख्य न्यायाधीश ह्यूजेस ने कहा, ''असहमति कानून की चिंतनशील भावना, भविष्यत बुद्धिमत्ता के लिए एक अपील होती है, जब पश्चातवर्ती निर्णय संभवतः उस त्रुटि को ठीक कर सकता है जिसमें असहमत न्यायाधीश का मानना है कि अदालत के साथ विश्वासघात किया गया है''।

उनमें असहमति विकृत प्रकृति से नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास से पैदा हुई थी। असहमति में बौद्धिक अखंडता अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और शायद ही कभी ऐसा होता है जब कोई न्यायाधीश बहुमत की राय के पीछे छिप जाता है या उसे टाल देता है। महान न्यायाधीश हरलान, होम्स, एटकिन के नाम इसलिए याद नहीं किए जाते क्योंकि उन्होंने बहुमत के अनुरूप राय व्यक्त की या उससे सहमति जताई, बल्कि उनकी शानदार असहमति के कारण याद किए जाते हैं। अब यह साबित हो चुका है कि सैयद महमूद की कई असहमतियाँ सही थी। उनमें से कुछ को बाद में अन्य पूर्ण पीठों और न्यायिक समिति द्वारा स्वीकार किया गया। जिस तरह न्यायमूर्ति पेकहम ने न्यायमूर्ति फील्ड की प्रसिद्ध असहमति को अपने न्यायालय की बाद की राय में व्यक्त किया, उसी तरह सैयद महमूद की असहमति को उच्च न्यायालयों और न्यायिक समिति की प्रमुख राय के रूप में फिर से लिखा गया या अपनाया गया। अपनी शपथ के प्रति उनकी आस्था और उनकी न्यायिक और नैतिक स्वतंत्रता उनकी शक्तिशाली और विद्वत्तापूर्ण असहमति में दिखाई देती है। जैसा कि न्यायमूर्ति सदरलैंड ने कहा, एक न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ एक समग्र शपथ नहीं होती बल्कि एक व्यक्तिगत शपथ होती है। अपना निर्णय पारित करते समय एक न्यायाधीश अपनी शपथ द्वारा उस पर अधिरोपित व्यक्तिगत कर्तव्य का निर्वहन करता है, जिसे दूसरों के विचारों को स्वतः स्वीकार करके न्यायोचित रूप से पूरा नहीं किया जा सकता है, जिनसे वह आश्वस्त नहीं है या उसके मन में उचित संदेह है। उन्होंने बोलने का मौका पाने के लिए असहमति नहीं जताई, जो कि एक सामान्य न्यायाधीश की एक तुच्छ गलती होती है जो एक स्वतंत्र विचारक के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए व्यर्थ प्रयास करता है, बल्कि मौलिक मतभेदों के कारण ऐसा किया। उन्होंने इसे, विद्वता के साथ समस्या के प्रति एक न्यायिक दृष्टिकोण द्वारा प्रदर्शित किया, जो असहमत होने के लिए आवश्यक था। उनकी शिक्षा का स्रोत क्या था? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह रोमन कानून से प्रभावित थे। रोमन कानून का अध्ययन, जिसे आज के न्यायाधीश नजरअंदाज करते हैं और यहां तक कि पांडित्य के रूप में भी चित्रित करते हैं, एक न्यायाधीश को एक सुसंस्कृत न्यायाधीश बनाता है। अति आलोचित ग्लोसेटर ने रोमन न्यायशास्त्र के अध्ययन को स्थापित करने में बहुत काम किया। एक समय था जब रोमन प्रणाली का ज्ञान एक न्यायाधीश के लिए एक अनिवार्य योग्यता माना जाता था। गायस और जस्टिनियन, उल्पियन और पापिनियन के साथ घनिष्ठ परिचय आज भी एक परिष्कृत विद्वान की पहचान माना जाता है।

एक समय में यह कहा जाता था कि अज्जो (जिसका ग्लोस और सारांश ''''- संस्थान और संहिताएँ आज भी पढ़ने लायक हैं) का ज्ञान उन लोगों के लिए अपरिहार्य था जो न्यायाधीश के उच्च पद की आकांक्षा रखते थे- ची नॉन हा अज्जो, नॉन वाडा ए पलाजो! आज, यह याद नहीं है कि इहिंग ने अपने पाठकों को याद दिलाया था कि रोम ने तीन बार दुनिया पर विजय प्राप्त की थी, पहले हथियारों से, दूसरे धर्म से और अंत में कानून सेय हालाँकि इहिंग का आदर्श वाक्य था 'रोमन कानून के माध्यम से, लेकिन उससे ऊपर और परे।' अगर हम दूसरों से विचार उधार लेकर व्यावसायिक रूप से जी सकते हैं, तो हम दूसरों से कानून और संस्थाओं के बारे में विचार उधार लेने में भी बेहतर हो सकते हैं। गोपाल पांडे बनाम परसोत्तम दास के मामले में, सैयद महमूद ने रोमन नुडा प्रोप्रिएटस और एम्फीटयूसिस के सादृश्य का उपयोग करके कब्जे के अधिकार की प्रकृति को समझाया ताकि यह साबित किया जा सके कि प्रक्रियात्मक चरित्र के प्रावधानों ने वास्तव में मौलिक अधिकारों का निर्माण किया था। इश्री बनाम गोपाल सरन के मामले में, कंपेनशेफस्ट डेबिटी एट क्रेडिटी इंटर से कॉन्ट्रिब्यूटियो के सिविल लॉ सिद्धांत को इसके आधार में न्यायसंगत पाया गया। मुहम्मद अलाहाबाद खान बनाम मुहम्मद इस्माइल खान के मामले में, सैयद महमूद ने रोमन कानून को अपनाने का उल्लेख किया और स्कॉटिश और फ्रांसीसी कानूनों के साथ इसकी तुलना करते हुए, विचार किया कि क्या यह मुस्लिम पुरुष द्वारा पितृत्व की स्वीकृति के सिद्धांत पर लागू होने वाले किसी सिद्धांत को आकृष्ट कर सकता है।

कंधियालाल बनाम चंदर के मामले में, जब सैयद महमूद ने सम्पूर्ण भुगतान और पूर्ण देनदार के अधिकारों के सवाल पर जोरदार असहमति जताई, तो उन्होंने सिविल लॉ पर डोमट , पोथियर के लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और डेमोलोम्बे के ट्रीटीज ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स का सन्दर्भ दिया। मुहम्मद सलीम बनाम नबियान बीबी और अन्य के मामले में, उन्होंने इकसेप्ट री ज्यूडिकेटे की दलील को स्थापित करने के लिए डाइजेस्ट से बड़े पैमाने पर उद्धरण दिए। वे हमेशा कोलक्हौन, लॉर्ड मैकेंजी, हंटर और अन्य का सन्दर्भ देते थे। उन्होंने मोंटेस्क्यू के इस कथन (पेन्सी ८,१९५) से पूर्णतः सहमति व्यक्त की कि 'आधुनिक समय को जानने के लिए, पुरातनता को

जानना आवश्यक है तथा प्रत्येक कानून का सभी युगों की भावना के अनुरूप पालन किया जाना चाहिए।' सचमुच, साइन हिस्टोरिया कैकम एसे ज्यूरिसप्रूडेंटियम। फिर भी वह कभी पुरातनता में खो नहीं गए। उसके लिए, होम्स की तरह, अतीत के साथ ऐतिहासिक निरंतरता एक कर्तव्य नहीं था, यह केवल एक आवश्यकता थी और उन्होंने रोमन कानून का उपयोग खुद को प्रेरित करने के लिए किया और इसका आँख बंद करके पालन नहीं किया।

सैयद महमूद ब्रिटिश, महाद्वीपीय और अमेरिकी प्रणालियों से भी प्रभावित थे। उन्होंने कोक, बेंथम, ऑस्टिन और हॉलैंड से काफी प्रेरणा ली। महाद्वीपीय लेखकों में से उन्होंने पोथियर, सेविग्नी और जर्मन न्यायविदों को चुना। लेकिन, उन पर सबसे अधिक प्रभाव स्टोरी का था। उनका झुकाव कॉमन लॉ से ज्यादा इक्विटी की ओर था। यह स्वाभाविक था। कॉमन लॉ तकनीकी बातों से भरा हुआ है जबकि इक्विटी उदार है। चांसरी कोर्ट धर्मपरायणता का न्यायालय था और कहा जाता था कि यह हमेशा खुला रहता था। इक्विटी के विषय पर लिखने वाले लेखकों में से, वह दूसरों की तुलना में स्टोरी से अधिक बार उद्धरण देते हैं। उन्होंने कई निर्णयों में अपने इक्विटी न्यायशास्त्र का उल्लेख किया है और साथ ही अपने इक्विटी प्लीज, कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज का भी उल्लेख किया है।

सैयद महमूद ने परिसीमा के कानून को 'आराम के कानून' के रूप में वर्णित किया था, जिसे उन्होंने एंजेल ऑन द लॉ ऑफ लिमिटेशन से लिया था, और बेल बनाम मॉरिसन के मामले में स्टोरी के न्याय के माध्यम से लिया था। मंगूलाल एवं अन्य बनाम कंधई लाल एवं अन्य के मामले में उन्होंने स्टोरी के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ला से विस्तृत रूप से उद्धरण दिया था और कहा था - 'मैं यहां निर्धारित किए गए सारवान न्याय के नियमों के प्रत्येक शब्द को प्रक्रिया के निरे तकनीकी नियमों से अलग करके अपनाता हूं।

हालांकि, सैयद महमूद ने हिंदुओं और मुसलमानों के निजी कानूनों के तहत एक प्रश्न पर विचार करने के मामले में खुद को उत्कृष्ट साबित किया। मुस्लिम कानून के मामलों पर विचार करने में, सैयद महमूद पूरी तरह से अरबी में मूल ग्रंथों पर निर्भर थे, जिसका उन्होंने खुद के लिए और कभी-कभी अपने सहयोगियों के लिए अनुवाद किया था। इस प्रकार, मुहम्मद अल्लाहबाद खान बनाम मुहम्मद इस्माइल खान (उपरोक्त) में न्यायमूर्ति स्ट्रेट द्वारा दिया गया निर्णय, जो अपनी विद्वता और गहन तर्क के लिए भी विख्यात है, सैयद महमूद द्वारा किए गए अनुवादों की सहायता से तैयार किया गया था। सैयद महमूद ने एक अलग निर्णय में न्यायमूर्ति स्ट्रेट द्वारा छोड़ी गई बातों को पूरा किया। उन्होंने बताया कि कैसे मध्ययुगीन न्यायशास्त्र प्रणालियों में पदार्थ या योग्यता (एड लिटिस डिसीजनम) के नियमों और प्रक्रिया और उपाय (एड लिटिस ओरिनेश्नम) को विनियमित करने वाले नियमों के बीच भ्रम की स्थिति थी। उन्होंने अंग्रेजी और मुस्लिम कानून के बीच समानता स्थापित की और कहा कि मुस्लिम कानून में सेम्पर प्रीसुमितुर प्रो लेजिटिमेटियोन प्यूरोरम और सेम्पर प्रीसुमितुर प्रोमैट्रिमोनियो के सिद्धांत लागू होते हैं। यह निर्णय इस विषय पर एक विस्तृत थीसिस है और विद्वत्तापूर्ण व्याख्या में एक मानक स्थापित करता है। फिदा अली बनाम मुजफ्फर अली के मामले में, सैयद महमूद ने अबू आफर के बारे में हसन इब्न महबूब से एक मूल हदीस का उल्लेख किया और उसमें इस्तेमाल किए गए अल-बैतिन शब्द का सही अर्थ बताया। आगा अली खान बनाम अल्ताफ हरन खानय गोबिंद दयाल बनाम इनायतुल्लाह और रहीम बख्श बनाम मुहम्मद हसन के मामलों में, मुस्लिम कानून के विभिन्न पहलुओं पर मूल विद्वानों के संदर्भ में विचार किया गया था। बिरजिंदी, मुस्लिम, ऐनी, खासफ, अबू जैद के अलावा बेली, ग्रेडी, हैमिल्टन, रुम्सी और अन्य जिनके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, उन्होंने इन मामलों में शरयुल इस्लाम, मफतिह, अशबाब (जिन्होंने मुस्लिम कानून के सिद्धांतों पर ब्लूम की तरह टिप्पणी की) फखरुल इस्लाम बजदावी, फतुल कादिर, दुर्रुल मुख्तार, फतवई आलमगिरी, शमसुल अइम्मा, जहीरुल रेवायत, फतवई हिंदी, सूरी विकैया, अल सिराजय, किफाया (हेदाया पर एक टिप्पणी), मुहितुस सरखास, रद्दुल मुख्तार, फतवई काजी खां आदि का उल्लेख किया। इन प्राधिकारों पर कैसे चर्चा की गई, व्याख्या की गई और अनुवादों (जहां उपलब्ध थे) का विवेचन और सुधार कैसे किया गया, इसका एक संक्षिप्त उल्लेख भी श्रमसाध्य होगा। सैयद महमूद से पहले या उसके बाद किसी भी न्यायाधीश ने मुस्लिम कानून के मूल सिद्धांतों के बारे में वह गहरी समझ नहीं दर्शायी। यहां तक कि आज जो पाठ्य पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, उनमें भी सुन्नी और शिया कानूनों के इन विद्वत कार्यों का संदर्भ नहीं है।

निश्चित रूप से, अरबी भाषा के ज्ञान ने सैयद महमूद को मुस्लिम विधिवेत्ता के रूप में एक प्रभावशाली स्थान दिलाया। कोई सोच सकता है कि हिंदू कानून के विषय पर उनका ज्ञान इतना विस्तृत नहीं रहा होगा। लेकिन उस विषय पर भी कई मामलों में उन्होंने मूल ग्रंथों के ज्ञान की उतनी ही गहराई दिखाई। बेनी प्रसाद बनाम हरदाई बाइबिल (दत्तक ग्रहण से संबंधित मामला) में, सैयद

महमूद, जिन्होंने तब तक संस्कृत का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था, ने मयूख और मनु के मूल ग्रंथों पर विचार किया और मांडलिक द्वारा किए गए अनुवाद में अशुद्धियाँ पाईं, जिसमें बताया गया कि उन्होंने वशिष्ठ के मूल ग्रंथों का नहीं बल्कि मयूख द्वारा संशोधित पाठ का अनुवाद किया था। याज्ञवल्क्य के धर्मशास्त्र पर विचार करते हुए सैयद महमूद ने कहा:

"इन पर विचार करते समय मुझे पुनः इन संस्थाओं तथा उन पर विज्ञानेश्वर द्वारा मूल रूप से की गई टिप्पणी तथा समग्र रूप से अध्ययन करने के लिए अवकाश न मिलने की कठिनाई का सामना करना पड़ा है।"

सैयद महमूद ने कोलब्रुक की टीका के अनुवाद को उद्धृत किया और मूल संस्कृत ग्रंथों से इसकी तुलना करते हुए कोलब्रुक के अनुवाद की अशुद्धियों पर टिप्पणी की। उन्होंने नंदपंडित के पाठ को उद्धृत किया, जिसे उन्होंने मूल से व्याख्यायित किया था और इसकी तुलना दत्तक मीमांसा में सौनक के ग्रंथों से की। फिर उन्होंने कहा कि जिन विद्वानों के आधार पर नंदपंडित ने अपना निषेध किया था, उनकी जांच करने पर वे उनकी बात को पुष्ट नहीं कर पाए। उन्होंने नंदपंडित की कुछ शब्दों का इस्तेमाल करने की आदत का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि नंदपंडित ने नारद के तर्कों को तोड़-मरोड़ कर अपने स्वयं की उपधारणाओं के लिए आधार तैयार किया था। हालाँकि, उन्होंने मांडलिक की व्याख्या को स्वीकार कर लिया क्योंकि इसे व्याकरणविद विटनी का समर्थन प्राप्त था, तथापि सैयद महमूद ने कहा कि संस्कृत भाषा के अपने अध्ययन के आधार पर वे मांडलिक का अनुसरण करने के लिए तैयार नहीं थे। हिंदू कानून के कई सिद्धांतों से जुड़े मामले में इस तरह की चर्चा की जा सकती है। यह केवल किसी विशेष दृष्टिकोण की अभिपुष्टि के लिए किए गए शोध को दर्शाता है।

सैयद महमूद की शैली हमेशा उनकी विद्वता के बराबर थी। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप पढ़े जाना चाहते हैं, और इससे भी अधिक यदि आप व्यापक रूप से पढ़े जाना चाहते हैं, तो आपका लेखन पठनीय होना चाहिए। उनकी शैली के बारे में वही कहा जा सकता है जो ड्राइडन की शैली के बारे में अर्नोल्ड ने कहा था- एक ऐसा गद्य जिसका हम सभी खुशी से प्रयोग करेंगे यदि हमें पता हो कि उसे कैसे लिखना है। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों की प्रतिध्वनि और ओवरटोन को पकड़ा और एक ऐसी शैली में लिखा जिसे सर रामास्वामी अय्यर (स्वयं एक शैलीकार) ने 'दीप्त' बताया। होम्स ने कहा, 'शब्द पारदर्शी और अपरिवर्तित नहीं होताय यह एक जीवित विचार की त्वचा होता है और परिस्थितियों और समय के अनुसार अर्थ और संदर्भ में बहुत भिन्न हो सकता है।' सैयद महमूद ने स्वयं को किसी शब्द पर नहीं बल्कि अर्थ पर आधारित किया। उन्होंने अपने शब्दों में अर्थ का खजाना डाला। उनका प्रवाह बहुत अच्छा था लेकिन उसमें अर्थ का भार था। प्रवाह तब निरर्थक होता है जब उसमें कोई अर्थ न हो। इसे तब 'औसत दर्जे के मस्तिष्क का नकारात्मक गुण' कहा जा सकता है।

सैयद महमूद निडर थे। जब मुख्य न्यायाधीश और उनके अन्य सहयोगियों ने फैसला सुरक्षित नहीं रखा ताकि वह अध्ययन के बाद अपनी राय तैयार कर सकें, तो उन्होंने पूर्ण पीठ के फैसले को संदिग्ध वैधता वाला बताया। उन्होंने रोहिलखंड और कुमाऊं बैंक बनाम रो के मामले में अपनी टिप्पणियों का हवाला दिया कि 'जब कई न्यायाधीशों वाली एक अदालत किसी मामले की सुनवाई करती है, तो कोई भी निर्णय या आदेश कानूनी रूप से तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि वे सभी न्यायाधीश एक-दूसरे से परामर्श न कर लें और एक साथ अपना मन न बना लें। उनकी असहमति से पता चलता है कि वे अपने अंग्रेज बंधुओं से प्रभावित नहीं थे, यद्यपि जब सर कोमर पेथेरम मुख्य न्यायाधीश थे, तो उनके खिलाफ हमेशा सर्वसम्मति का माहौल रहता था। ऐसे एक मामले में न्यायिक समिति उनकी असहमति को अपना निर्णय मानकर स्वयं लज्जित हुई।

न्यायमूर्ति महमूद ने नए सिद्धांत स्थापित करने में संकोच नहीं किया। उनके लिए न्यायिक कानून बनाना गौड़ नहीं था। उन्होंने उन स्थितियों को पहचाना जिनमें न्यायाधीश कानून नहीं बना सकते लेकिन उनके लिए खुले क्षेत्रों में उन्होंने न्यायिक कानून बनाने में संकोच नहीं किया। उन्होंने अपने समक्ष आए मामलों में दृष्टांतों का वास्तविक अर्थ को ग्रहण किया। उन्होंने आगे बढ़कर लागू होने वाले सिद्धांत को निर्धारित किया। इस प्रकार, सेठ चितोर्मल बनाम शिबलाल के मामले में, उन्होंने समुद्री कानून में बचाव के सिद्धांत को भूमि पर खोई हुई चीजों तक विस्तारित किया। उनका मानना था कि समुद्री मामलों में बचाव ग्रहणाधिकार की सीमा का आधार प्राचीन समुद्री अंधविश्वास था। हालाँकि, उन्होंने माना कि एक न्यायाधीश को किसी कानून को फिर से नहीं लिखना चाहिए, न ही उसे विस्तारित करना चाहिए और न ही उसे छोटा करना चाहिए। उन्होंने प्रक्षेप और निष्कासन से परहेज किया। उन्होंने नासमझी या आंतरिक विरोधाभास से बचने के लिए ही न तो कुछ जोड़ा न ही कुछ छोड़ा। जमीर हुसैन बनाम दौलत राम के मामले में सैयद महमूद ने साहसपूर्वक कहा कि पूर्व-अधिकार कानून के गुण-दोषों पर विचार करना न्यायाधीश के कर्तव्य का हिस्सा नहीं है और फिर भी, लाली बनाम राम प्रसाद के मामले में, न्यायमूर्ति स्टोरी को उद्धृत करते हुए, उन्होंने कहा:

"एक विज्ञान के रूप में कानून नाम के अयोग्य होगा, यदि यह एक तरफ अविवेक, उतावलेपन, अंध विश्वास और भोलापन की शरारतों को रोकने के साधन प्रदान नहीं करता है, और दूसरी तरफ कौशल, लोभ, चालाकी और नैतिकता और विवेक के सिद्धांतों के उल्लंघन का निवारण नहीं करता है।"

इस प्रकार क्वीन-एम्प्रेस बनाम पोब्पी और अन्य के मामले में सैयद महमूद ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ४२० के तहत अपील का निपटारा अभियुक्त की अनुपस्थिति में नहीं किया जा सकता है और अपीलकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सुना जाना चाहिए। उन्होंने मेडिया (८, ९९) से सेनेका के दोहे को उद्धृत किया:

"क्विक्कुंके एलिक्विड स्टैट्यूरिट पार्ट इनॉडिटा अल्टेरा-एक्वम लिसेट स्टैट्यूरिट, हौड एक्वस फ्यूरिट," (एसआईसी)
और इसे एक भारतीय कवि के दोहे से मिलाया। यह हमें हमारे समय के एक महान न्यायाधीश की टिप्पणी की याद दिलाता है, "कोई व्यक्ति अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पैसे क्यों चुकाए?"

सैयद महमूद ने दूसरों की योग्यता को भी स्वीकार किया। उन्होंने सरबधराई बनाम रघुनाथ प्रसाद के मामले में न्यायमूर्ति हॉलोवे और वेस्ट, दुर्गा प्रसाद बनाम मुंसिस में न्यायमूर्ति द्वारकानाथ मित्तर, और गोबिंद दयाल बनाम इनायतुल्लाह के मामले में न्यायमूर्ति स्पैंकी की असहमतिपूर्ण दृष्टिकोण की प्रशंसा की। केवल महान व्यक्ति ही दूसरों में महानता को पहचान सकता है। सर टी. मुथुसामी अय्यर, जो पहले भारतीय न्यायाधीश थे और स्वयं भी एक महान न्यायाधीश थे, अपने सहयोगी से मिलने इलाहाबाद आए।

सैयद महमूद १८९४ में समय से पहले सेवानिवृत्त हो गए। वे फिर से वकालत करने लगे लेकिन नौ साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह सन् १९०३ में कानूनी दुनिया से एक ऐसे दिग्गज का निधन हो गया, जैसा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कभी नहीं देखा था। उनके समय से ही कानून के पेशे में ज्ञान की कमी लक्षित होती है। बहुत से गलत फैसले हमारे कानूनों के घटक भागों के ऐतिहासिक संबंधों को समझने में विफलता का परिणाम हैं। आज के न्यायाधीश सरल हैंय और कहा जाता है- 'एक भ्रष्ट न्यायाधीश उतना बड़ा अपराध नहीं करता जितना एक सरल न्यायाधीश करता है। सैयद महमूद सरल नहीं थे। उनकी प्रसिद्धि कई परिस्थितियों का संयोजन है। उनकी महानता उनके बयानों की महानता, उनकी बुद्धि की महानता, उनके ज्ञान की महानता और उनके विवेक की महानता में निहित थी। वे हर उस गुण में महान थे जो एक न्यायाधीश में होना चाहिए। एडिसन कहते हैं, 'पूरी तरह से न्यायपूर्ण होना' ईश्वरीय प्रकृति का गुण हैय अपनी पूरी क्षमता से ऐसा होना मनुष्य की महिमा है।' सैयद महमूद एक न्यायाधीश की अपनी क्षमता, ज्ञान और निर्णय के अनुसार मामलों का फैसला करने की शपथ के अर्थ में महान थे।

न्यायमूर्ति महमूद - एक श्रद्धांजलि

द्वारा श्री के.एल. मिश्रा
महाधिवक्ता, उ.प्र.

१९वीं शताब्दी के मध्य में, तत्कालीन भारत के कई अन्य लोगों की तरह, व्यापक और भविष्योन्मुख दृष्टि रखने वाले सर सैयद अहमद खान ने महसूस किया कि इस देश की उन्नति के लिए बुनियादी आवश्यकता शिक्षा है। उन्होंने अपना जीवन एक संस्था की स्थापना के लिए समर्पित कर दिया, जिसे आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। यह वह समय था जब भारत में पृथक निर्वाचक मंडल प्रभावी होने से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तब तक कोई संघर्ष उत्पन्न नहीं हुआ था। मैं न्यायमूर्ति महमूद के पिता का उल्लेख मात्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि न्यायमूर्ति महमूद में मनुष्यों के प्रति जो व्यापक सहानुभूति और समझ निहित थी, वह उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली हुई प्रतीत होती है। यद्यपि पिता ने जो भी किया वह किसी भी व्यक्ति को अमरता प्रदान करने के लिए पर्याप्त होता, परन्तु महमूद को इससे भी बड़ी अमरता प्राप्त करनी थी।

माननीय न्यायाधीश महोदय, न्यायमूर्ति महमूद की प्रारंभिक शिक्षा की अवधि में - मैंने इस बात पर गौर करने का प्रयास किया है कि - उनमें वह प्रतिभा नहीं दिखाई देती जैसी आमतौर पर महान और प्रतिभाशाली व्यक्तियों के प्रारंभिक वर्षों में पाई जाती है। वास्तव में, मैंने हमेशा अनुभव किया है कि यद्यपि महमूद ने हमें एक ऐसा उदाहरण दिया है, जिसका हम सदैव अनुसरण कर सकते हैं, फिर भी उनका अध्ययन, उनका शैक्षणिक जीवन, उनका परिवेश - इनमें से कोई भी इस बात का संकेत नहीं देता कि जब वे इस न्यायालय के न्यायाधीश बने तो वास्तव में वे क्या ही बने। उनका करियर अब सर्वविदित है और उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। न्यायिक सेवा में कदम रखते ही उन्हें पहचान मिलने लगी। मैं नहीं समझता कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी हुआ हो कि जिला न्यायालय के एक न्यायाधीश को, उसके निर्णय के प्रिवी काउंसिल के ध्यान में आने के कारण, तुरन्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाये जाने के योग्य समझा गया हो। माननीय न्यायाधीश महोदय, यह वे दिन थे जब कोई भारतीय, भारत में किसी भी सेवा में बहुत सीमित उन्नति की आकांक्षा कर सकता था। सभी उच्च पदों पर विदेशियों का कब्जा था। उस समय इस प्रांत में किसी भारतीय के लिए डिप्टी कलेक्टर बनना एक बड़ी महत्वाकांक्षा थी। अब हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध हो गया है। आज यह महसूस करना असंभव है कि महमूद की योग्यता कितनी असाधारण रही होगी कि प्रिवी काउंसिल के न्यायाधीशों को, जब रायबरेली के जिला न्यायाधीश के रूप में उनके किसी निर्णय के विषय में पता चला, तो उन्हें लगा कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चला है, जिसकी प्रतिभा अधीनस्थ न्यायपालिका में व्यर्थ हो रही है।

उस समय महमूद की उम्र लगभग ३२ वर्ष थी। वास्तव में, इस न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में उनका करियर ३६ वर्ष की आयु में प्रारम्भ हुआ और ४४ वर्ष की आयु में समाप्त हुआ, और आठ वर्षों की इस छोटी सी अवधि में, उन्होंने विश्व के कानूनी साहित्य में ऐसे अनेक निर्णय दिए हैं - जब उनमें से कोई भी एक निर्णय विश्व में कहीं भी किसी भी न्यायाधीश को अमर बना देने के लिए पर्याप्त था। यह बताना असंभव है कि वे ऐसा कैसे कर पाये। 'प्रतिभाशाली' की सामान्य परिभाषा यह है कि कोई व्यक्ति कष्ट सहने की असीम क्षमता रखता हो, परन्तु महमूद के लिए यह व्याख्या असंभव है। उनकी प्रतिभा - मैं अब भी उसी भाषा का प्रयोग कर सकता हूँ - कष्ट सहने की असीम क्षमता में निहित नहीं थी। यह कोयल के गीत जैसी अविस्मरणीय अनुभूति थी। यह उनके लिए स्वाभाविक था। यह समझाना असंभव है कि यह सब कैसे आया। यह सच है कि जब वे इंग्लैंड गए थे, तो उन्होंने स्वयं को प्राच्य विषयों के अध्ययन में समर्पित कर दिया था और यह संभव है कि उन दिनों उन्होंने हिंदू और मुस्लिम कानूनों के सूक्ष्म सिद्धांतों को आत्मसात कर लिया था, जिसके कारण बाद में उच्च न्यायालय में बैठकर वे उन कानूनों पर फैसले सुनाने में सक्षम हुए, जो आज भी हमारे लिए प्रकाश स्तंभ हैं। आप उनके निर्णयों में विश्व का सारा ज्ञान, साहित्य का ज्ञान, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र और गूढ़ विज्ञानों का ज्ञान, भाषाओं का ज्ञान और कानून के गहन स्रोतों का ज्ञान देखते हैं, जो केवल भारत का ही नहीं, बल्कि विश्व के लगभग हर देश का है।

महमूद, एक सर्वज्ञ व्यक्ति की आँखों से देखते थे। न्यायिक पद पर आसीन किसी भी व्यक्ति के लिए सक्रिय जीवन से अलग रहना हमेशा कठिन होता है, क्योंकि उसे ऐसा करना ही पड़ता है, और फिर भी जीवन को लगभग उसके हर पहलू में जानना होता है। यह संयोजन, जो कि सबसे कठिन संयोजन है, महमूद के मामले में जैसा कि मैंने कहा है, इस हद तक प्राप्त हुआ कि इसकी व्याख्या करना असंभव है। यह उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उन्होंने कई मामलों में स्वयं को अल्पमत में

पाया। लेकिन उनके कुछ अल्पमत निर्णय, जिनमें मुझे कम से कम दो याद हैं, वे उस कालखंड के बहुत आगे थे, जिस समय उन्हें दिया गया था। बाद में वे बहुमत के निर्णय बन गए। इनमें से कुछ अल्पमत निर्णयों में कानूनी सिद्धांतों की अद्भुत समझ दिखाई देती है। जो चीजें हमारे लिए रोजमर्रा की जिंदगी की बातें बन गई हैं, लगभग कानून के सिद्धांतों की तरह, वे तब पूरी तरह से अज्ञात थीं। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा आज हर किसी की जुबान पर है। किसी भी स्तर पर बर्खास्त कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक याचिका प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का आरोप लगाती है। लेकिन तब यह समझना असंभव था कि महमूद ने जो निर्णय दिया था उसकी महानता क्या थी, या यह समझना असंभव था कि उनके द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, भविष्य में दुनिया में कहीं भी उन सिद्धांतों पर दिए जाने वाले किसी भी निर्णय से तुलना कर सकेंगे।

माननीय न्यायाधीश महोदय, उन दिनों निडर रहना कठिन था। यह देश अपनी आजादी को पूरी तरह भूल चुका था। महमूद के न्यायाधीश बनने तक हमारे जीवन का हर हिस्सा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन और नियंत्रित हो चुका था। सब कुछ शासकों की इच्छा पर निर्भर था। और यहाँ एक व्यक्ति, अचानक और बिना किसी मिसाल के, जिला न्यायाधीश के पद से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद तक पहुँच गया। आज भी ऐसे कई लोग होंगे जो कृतज्ञता के कारण ऐसी स्थिति में लगभग अनजाने में ही कहेंगे: "मैं अचानक इतने ऊंचे स्थान पर आ गया हूं। मुझे मुख्य न्यायाधीश की सभी इच्छाओं का पालन करना होगा।" मुझे शासकों की इच्छा के अनुसार खुद को ढालना होगा। ऐसा पद प्राप्त करने के बाद, मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि यह मेरे पास ही रहे।" लेकिन महमूद के निर्णयों में - उनके अल्पमत निर्णयों में - निडरता का दृष्टिकोण है, विज्ञापित निडरता नहीं बल्कि वास्तविक निडरता दर्शित होती है। यह फिर से आश्चर्यजनक है। यह व्यक्ति जानता था कि समय की रेत पर जो एकमात्र पदचिह्न बचे रहते हैं, जो एकमात्र पदचिह्न छोड़ने योग्य होते हैं, वे पदचिह्न होते हैं जो मनुष्य की योग्यता और चरित्र से बनते और विकसित होते हैं। सभी बाह्य अलंकरण, वे सभी चीजें जिन्हें हम सबसे अधिक मूल्यवान समझते हैं, पद के दिखावे, उसके चारों ओर की सामग्री, शान-शौकत और दिखावा जो प्रतिष्ठा का एक अंग बन जाते हैं, ये सब मानव स्वभाव की कमजोरी पर आधारित हैं। कोई भी दूरदर्शी व्यक्ति उन्हें महत्व नहीं देता, महमूद ने जब स्वयं को संघर्ष की स्थिति में पाया तो उन्होंने जो कुछ भी प्राप्त किया था, उसे त्यागने के लिए तैयार हो गये। वह इस न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे, और उन्होंने न केवल कानून की अद्भुत समझ, न केवल मानव प्रकृति की व्यापक समझ, न केवल दृष्टि का व्यापक क्षेत्र दिखाया, जो लगभग पूरे विश्व को अपने दायरे में समेटे हुए था, बल्कि एक ऐसी निर्भीकता दिखाई जो एक उदाहरण हो सकती है और उस समय से एक उदाहरण बनी हुई है।

माननीय न्यायाधीश महोदय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इसकी महानता और इसकी परंपराओं के बारे में हम में से कई लोगों ने बात की है। सभी ने इसके महान न्यायाधीशों और महान अधिवक्ताओं के बारे में बात की है। हम इस न्यायालय के १०० वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमें जो चीजें विरासत में मिली हैं, उनमें से कई चीजें अतीत से हमें प्रत्यक्ष रूप से मिली हैं, जैसे कि आज रूसी प्रतिनिधिमंडल के नेता द्वारा प्रस्तुत यह वस्त्र, २०० वर्षों के अंतराल के बाद मुख्य न्यायाधीश को उनके पूर्वजों से मिला है। एक बात जो आज अदृश्य रूप से हमारे सामने मौजूद है, वह है महमूद द्वारा इस न्यायालय को दिया गया गौरव। यदि जीवन के अस्तित्व में कुछ भी है, यदि यह संभव है कि अतीत में चले गए लोग अपनी अदृश्य उपस्थिति के साथ वापस आ सकें, यदि इस न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए, जो अनन्त जीवन में चले गए हैं, पुनः हमसे मिलने आना संभव हो, और यदि यह संभव हो कि वे आज यहां हों, तो वे सभी कहेंगे: "हां, हां, हम महान हैंय लेकिन उस व्यक्ति को देखो जो हम सबका नेतृत्व कर रहा है। यह हमारे पथप्रदर्शक महमूद हैं, जिन्होंने किसी और की अपेक्षा इस न्यायालय की महिमा में अधिक योगदान दिया है"। माननीय न्यायाधीश महोदय, इस न्यायालय की महानता, इस न्यायालय की महिमा, काफी हद तक महमूद के कारण है। यदि आज मुझे चयन करना हो, यदि इस उच्च न्यायालय की न्यायपालिका, इस न्यायालय के न्यायाधीशों की विश्व के अन्य महान न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ किसी प्रकार की तुलना करनी हो, तथा यदि मुझे एक प्रतिनिधि का चयन करना हो जो इस उच्च न्यायालय का, बल्कि हमारे देश के न्यायालयों का, भूतपूर्व तथा वर्तमान न्यायाधीशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिनिधित्व करेगा, तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के महमूद को चुनूंगा।

माननीय न्यायाधीश महोदय, यह उस व्यक्ति का चित्र है, हम आदरपूर्वक आपसे निवेदन करते हैं कि आप आज इसका अनावरण करें। आप मेरे ऐसा कहने को क्षमा करेंगे, कि महमूद इतने महान न्यायाधीश थे - और इस तथ्य से परे कि वे इस न्यायालय के न्यायाधीश थे, इतने महान व्यक्ति थे - कि आज उनके चित्र का अनावरण करने से आपको आने वाले वर्षों तक याद किया जाएगा, और हम उनके महान नाम के साथ आपके नाम का जुड़ाव याद रखेंगे। माननीय न्यायाधीश महोदय, हम आपके प्रति अत्यंत आभारी हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति भी हमारी हार्दिक कृतज्ञता है कि उसने हमें महमूद जैसा महान व्यक्तित्व दिया है, और अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उनके चित्र का अनावरण करें।

सर शाह मुहम्मद सुलेमान

द्वारा माननीय श्री आर.एस. पाठक
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश

हाल के दिनों में ऐसे बहुत कम नाम हैं जिन्होंने सर शाह मुहम्मद सुलेमान की तरह युवा वकील की कल्पना को इतनी गहराई से जगाया हो। उन्हें मिले वर्षों में, उन्होंने एक बहुमुखी उत्कृष्टता और एक बौद्धिक प्रतिभा हासिल की जिसने उस पीढ़ी को चकित कर दिया जिसमें वे रहते थे। आकाश में अपने चमकदार पथ को चमकाने वाले उल्का की तरह, उन्होंने अपने पीछे गौरव का एक निशान छोड़ा। वह गौरव इस न्यायालय के इतिहास में गौरव का स्थान रखता है।

उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने कई क्षेत्रों को अपने में समाहित कर लिया था, और उदार परंपरा के कारण जो उनमें पूरी तरह से अभिव्यक्त हुई थी, उनके बारे में कहा जा सकता है कि वे न केवल अपनी पीढ़ी के थे, बल्कि उस वंश के थे, जो मानव जाति की प्रतिभा को दर्शाता है, जो सदियों से अखंड निरंतरता के साथ आगे बढ़ता रहा है। किसी दूसरे युग और किसी दूसरे स्थान पर, उन्हें महान एलिजाबेथ वंशियों में गिना जाता। सत्य की निरंतर खोज में सजग और प्रबुद्ध मानवीय मूल्यों की सेवा के लिए समर्पित उनका शक्तिशाली खोजी मन उनके हर काम पर अपनी छाप छोड़ता था। उनमें सभ्यता की तीन महान प्रेरक शक्तियाँ - कानून, विज्ञान और शिक्षा - एक उल्लेखनीय संगम था। इसके अलावा साहित्य के प्रति उनका प्रेम भी था जो फारसी और उर्दू कविता में उनकी गहरी रुचि में प्रकट हुआ।

शाह मुहम्मद सुलेमान का जन्म ३ फरवरी, १८८६ को हुआ था। उनके पिता मौलवी मुहम्मद उस्मान जौनपुर में बार के प्रमुख सदस्यों में से एक थे। हमें बताया गया है कि उनके पूर्वजों में एक भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे।

सुलेमान ने शुरू से ही स्कूल और कॉलेज में अपनी अलग पहचान बनाई। पढ़ाई के प्रति समर्पित होने के कारण वे एक बेहतरीन छात्र थे। मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्रथम श्रेणी और उसके बाद इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने म्योर सेंट्रल कॉलेज में सन् १९०६ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बी.ए. परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह याद रखना दिलचस्प है कि लगभग उसी समय एक और प्रतिभाशाली छात्र, सैयद फजल अली, जिसने बाद में कानून की दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्वींस कॉलेज, बनारस में ध्यान आकर्षित कर रहा था। उसी वर्ष, उन्होंने बीएससी परीक्षा में प्रथम श्रेणी के साथ प्रथम स्थान हासिल किया। दोनों में से, सुलेमान ने फजल अली की तुलना में कुल मिलाकर पाँच अधिक अंक प्राप्त किए और इसने उन्हें इंग्लैंड में उच्च शिक्षा के लिए यूनाइटेड प्रोविंस स्टेट छात्रवृत्ति दिलाई। छात्रवृत्ति ने उन्हें कैम्ब्रिज जाने में सक्षम बनाया। पूरे समय मेहनती छात्र रहे, उनकी योग्यता ने उन्हें सन् १९०९ में गणित में ट्राइपोज और अगले वर्ष कानून में ट्राइपोज दिलाया। फजल अली, जो अपने परिवार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर इंग्लैंड चले गए थे, ने समानांतर करियर बनाया। सन् १९०९ में, दोनों ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा दी, और दोनों असफल रहे। फिर उन्होंने कानूनी पेशे में जाने का फैसला किया। फजल अली भारत लौट आए। हालाँकि, सुलेमान डबलिन विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए रुके थे। यह उस समय की विशेषता थी कि कानून में डॉक्टरेट को आम तौर पर कानूनी पेशे में अतिरिक्त लाभ प्रदान करने वाला माना जाता था। मिडिल टेम्पल से बार में बुलाए जाने के बाद, सुलेमान सन् १९११ में भारत लौट आए।

कुछ समय तक युवा बैरिस्टर ने जौनपुर में वकालत की, जहाँ वे अपने पिता के साथ उनके कई और विविध मामलों में शामिल रहे। लेकिन उनकी उत्सुक भावना और युवा महत्वाकांक्षा की लालसा जिले तक सीमित वकालत की सीमाओं के कारण फीकी पड़ गई और इसलिए वर्ष १९१२ में वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय चले गए।

इलाहाबाद बार में ऐसे नेता थे जिनकी विद्वत्ता और फोरेंसिक कौशल की ऊँची ख्याति और प्रतिष्ठा पूरे देश में दूर-दूर तक फैली हुई थी। इनमें श्री जोगेंद्र नाथ चौधरी, पंडित सुंदर लाल, पंडित मोती लाल नेहरू और डॉ. सतीश चंद्र बनर्जी शामिल थे। डॉ. तेज बहादुर सप्रू और श्री बी.ई. ओ'कॉनर प्रमुखता से उभरे। उनके बीच, और उनसे प्रेरित होकर, सुलेमान जल्द ही अपनी पहचान बनाने में सफल हुए।

पेशे में अपने शुरुआती वर्षों में, युवा वकील को कई परीक्षणों का सामना करना पड़ता है। खुद और अपने परिवार की आजीविका की आवश्यकता से प्रेरित और अक्सर एक भयंकर प्रतिस्पर्धी पेशे में खुद को अलग पहचान दिलाने की महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर, वह उन कई मनोरंजनों के लिए बहुत कम समय निकाल पाते है, जो युवा व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। सफल होने के लिए, उन्हें खुद को उन प्रलोभनों से दूर रहना होता, और एकनिष्ठ और लगभग कट्टर समर्पण के साथ अपने लगभग सभी जागने के घंटों को अपने ब्रीफ तैयार करने और कानून पत्रिकाओं के साथ अद्यतित रहने के बीच विभाजित करना होता था। सुलेमान ने खुद को भी नहीं बख्शा। उन्होंने पाठ्यपुस्तकों में बताए गए कानून और समकालीन केस-लॉ द्वारा विकसित कानून की ऐसी जानकारी बनाए रखी, जिससे आज कोई भी वकील ईर्ष्या कर सकता है। उनकी अथक मेहनत और अथक परिश्रम, साथ ही बारीकियों पर काफी ध्यान देने की आदत ने कोर्ट के जजों और बार में उनके वरिष्ठों को प्रभावित किया। अक्सर कोर्ट में अगले दिन के कई ब्रीफ से अभिभूत होकर, वह अपने कार्यालय में देर रात तक काम करते रहे और अक्सर रात के खाने के समय का भी ध्यान नहीं रखते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी पत्नी द्वारा रात्रि के भोजन के लिए बार-बार संदेश भेजने से कोई फायदा न होने पर, बिजली की मुख्य लाइन बंद करना पड़ता था जिससे कार्यालय में अंधेरा हो जाता था।

इलाहाबाद बार में प्रैक्टिस करने वाले बैरिस्टर अब तक आम तौर पर खुद को क्रिमिनल प्रैक्टिस तक ही सीमित रखते थे। सुलेमान परंपरा से अलग होने वाले पहले लोगों में से थे। उन्होंने सिविल कानून में व्यापक कार्य किया और जल्द ही एक व्यापक सिविल प्रैक्टिस की कमान संभाली। उनकी मांग न केवल उच्च न्यायालय में थी, बल्कि दूर-दराज के जिलों में भी थी, और उनके काम की मात्रा बढ़ने के साथ "वे बार में एक नेता के रूप में उभरने लगे। वह स्पष्ट सोच वाले थे, और प्रत्येक मामले की मांगों को जल्दी से समझ लेते थे। तर्क-वितर्क में, उनके पास एक स्पष्ट, तीक्ष्ण शैली थी, जो अलंकरण या आडंबर से मुक्त होकर चुपचाप अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह देती थी।

कानून की उनकी व्यापक समझ और उनकी शानदार और विवेकशील बुद्धि ने दो क्रमिक मुख्य न्यायाधीशों, सर हेनरी रिचर्ड्स और सर ग्रिमवुड मेयर्स का ध्यान आकर्षित किया, और अपेक्षाकृत कम उम्र में ही उन्हें बेंच पर कार्यवाहक नियुक्ति की पेशकश की गई। उन्होंने १७ अप्रैल, १९२० से ११ अगस्त, १९२० तक इस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, और उसके बाद १९२१ और १९२२ में दो संक्षिप्त अवधियों के लिए कार्य किया।

वे बार में वापस आ गए और वकालत शुरू कर दी, लेकिन उनकी वापसी अल्पकालिक थी। उनकी न्यायिक सूझबूझ और प्रतिभा ने, जो उनके स्थानापन्न नियुक्ति के दौरान उनके सामने पेश होने वाले सभी लोगों का अनुकूल ध्यान आकर्षित किया था, सरकार को उन्हें न्यायालय में स्थायी सीट देने के लिए प्रेरित किया। ४ अप्रैल, १९२३ को, उन्हें पुइसने जज के रूप में बेंच में पदोन्नत किया गया, और इस अवसर को इलाहाबाद लॉ जर्नल रिपोर्टर ने इस प्रशंसा के साथ दर्ज किया:
"डॉ. सुलेमान का हाई कोर्ट में करियर एक समान रूप से शानदार रहा है और हाई कोर्ट के जज का पद स्वीकार करना उनके लिए एक बहुत बड़ा त्याग रहा होगा। ऐसा करके उन्होंने बार की सर्वश्रेष्ठ परंपराओं को कायम रखा, जिसके अनुसार एक सफल वकील को नैतिक दायित्व के रूप में राज्य के प्रति बाध्य होना चाहिए, जब महामहिम राजा द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए। एक कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में, दो अवसरों पर, उन्होंने अपने शिष्टाचार, धैर्य और न्याय करने की स्पष्ट इच्छा से खुद को बार के सभी वर्गों के बीच सार्वभौमिक रूप से लोकप्रिय बना दिया।"

अब वकील की जगह जज ने ले ली। सुलेमान ने न्यायिक क्षेत्र में ऐसे गुणों का समावेश किया, जिसने उन्हें बहुत जल्द ही न्यायालय के महान न्यायाधीशों और वास्तव में देश के सबसे प्रतिष्ठित न्यायाधीशों में शामिल कर दिया। जैसा कि सर तेज बहादुर सप्रू ने बाद में कहा था:

"प्रकृति ने उन्हें असाधारण चरित्र के उपहारों से संपन्न किया था। एक मर्मज्ञ बुद्धि के धनी, एक ऐसा मस्तिष्क जो चीजों को ऐसे विच्छेदित और विश्लेषण कर सकता था जैसा कि बहुत कम अन्य दिमाग कर सकते थे, अभिव्यक्ति और व्याख्या की शक्ति के कारण, उन्होंने बेंच पर बहुत समय नहीं बिताया, इससे पहले कि उन्होंने सभी को यह महसूस कराया कि हमें असामान्य योग्यता और असामान्य प्रतिभा वाला न्यायाधीश मिला है... उन्होंने अपने ज्ञान की गहराई, अपनी दिमागी क्षमता और अपने निर्णयों की तत्परता के लिए सभी का सम्मान अर्जित किया।"

वे अंत तक दोषसिद्धि के लिए तैयार रहते थे, और ऐसा कहा जाता है कि सुनवाई पूरी

होने के बाद भी। स्वभाव से मिलनसार, वे जूनियर वकीलों को अपने मामले में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रोत्साहित करते थे, और यह सर्वविदित है कि उनके न्यायालय में उपस्थित होने वाले किसी भी जूनियर को केवल इस आधार पर घबराहट महसूस नहीं हुई कि उसका विरोध प्रतिष्ठित वरिष्ठ वकील कर रहे हैं। लेकिन उसके पास बेकार की बातों या तुच्छ दलीलों के लिए बहुत कम धैर्य था और, हालांकि वह अपने गहरे शिष्टाचार के नियंत्रण में होता था, उसका आक्रोश टिप्पणियों के एक निरंतर तेज प्रवाह में बहता था और वकील के तर्क को विफल कर देता था। कहावत है, हमेशा दो तरह के न्यायाधीश रहे हैं, चुप रहने वाले न्यायाधीश और बात करने वाले न्यायाधीश। सुलेमान चुप रहने वाले न्यायाधीश नहीं थे। लेकिन फिर यह देखा गया है कि एक शक्तिशाली मन के दबाव में एक तेज और बेचैन बुद्धि अक्सर खुद को नियंत्रित करना मुश्किल पाती है। यह हमेशा उस बाध्यता का पालन करने में असमर्थ होती है जो कभी-कभी कम ऊर्जावान स्वभाव के साथ होती है और कभी-कभी उसे छुपाती है।

सन् १९२९ में उन्हें राजा-सम्राट द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। उन्होंने सर ब्रिमवुड मेयर्स की अनुपस्थिति में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, और उसके बाद १९३० में पेशावर में हुए दंगों की जांच के लिए गठित पेशावर जांच समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।

सर ब्रिमवुड मेयर्स के मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद, सर शाह सुलेमान को १६ मार्च, १९३२ को उस सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी और प्रांत के लिए बहुत महत्व रखती थी। यह एक ऐसी घटना थी जिसने भारतीयों के गौरव को जगाया और राजनीतिक स्वतंत्रता के आंदोलन के मद्देनजर देश में पहले से ही व्याप्त शक्तिशाली भावना के करीब थी। वह मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय नहीं थे - सर शादी लाल पहले ही लाहौर में इस पद पर आसीन हो चुके थे - लेकिन उनकी नियुक्ति ने ब्रिटिश मन में इस विश्वास को प्रमाणित किया कि भारतीय जाति को न्यायिक प्रशासन की बागडोर सौंपी जा सकती है।

मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करने के कुछ समय बाद ही उन्हें इंग्लैंड में कैपिटेशन रेट्स ट्रिब्यूनल में सेवा देने के लिए नियुक्त किया गया, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के सर रॉबर्ट गैरान ने की, उनके साथ लॉर्ड्स डुनेडिन और टॉमलिन और सर शादी लाल भी थे। ट्रिब्यूनल के सामने सैन्य वित्त की कठिन समस्याएं उठीं, और सर शाह सुलेमान ने जिस सहजता से उनका समाधान किया, उसके लिए इंग्लैंड में बार का सम्मान जगाया।

इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, उन्हें अपने सहकर्मियों का पूरा विश्वास और सहयोग प्राप्त था। अपने अंतर्निहित गुणों और न्यायालय के सदस्य के रूप में पहले से अर्जित प्रतिष्ठा के साथ, वे न्यायिक प्रतिभा की टीम के स्वाभाविक नेता थे, जिसने पीठ को सुशोभित किया।

यहाँ एक बात कही जा सकती है कि उन्होंने अपने कार्य को कितनी तत्परता से अंजाम दिया। एक उल्लेखनीय उदाहरण मेरठ भाडयंत्र केस के नाम से मशहूर अपील की सुनवाई और निर्णय से मिलता है। इस केस की सुनवाई सेशन जज के सामने दो साल तक चली थी। रिकॉर्ड में बहुत सारे सबूत थे। जब हाई कोर्ट में अपील की सुनवाई हुई, तो आम तौर पर यह उम्मीद की जा रही थी कि मामूली अनुमान के अनुसार भी कुछ हफ्ते लग जाएँगे। लेकिन सर शाह सुलेमान और श्री जस्टिस यंग के सामने, सुनवाई सिर्फ आठ दिन चली और वकील की दलीलें पूरी होने के तुरंत बाद सर शाह सुलेमान ने खुली अदालत में फैसला लिखवाया।

इस न्यायालय में कानून के विकास में सर शाह सुलेमान के योगदान का विस्तृत विवरण देना लेखन की सीमाओं के भीतर कठिन है। लेकिन बाद में पूर्ण पीठ के कुछ निर्णयों का संदर्भ दिया जा सकता है जिनमें उन्होंने भाग लिया था।अपनी विशाल बुद्धि और बहुमुखी प्रतिभा के कारण, उन्हें कानून की हर शाखा में समान रूप से महारत हासिल थी। यह कंपनी अधिनियम से जुड़ा मामला हो सकता है, जैसा कि श्याम लाल जे. दीवान बनाम यूपी ऑयल मिल्स कंपनी लिमिटेड के आधिकारिक परिसमापक (परिसमापन में) में हुआ था। जहां उन्होंने कहा कि परिसमापन आदेश परिसमापक, अंशदाता या लेनदार को सीमा अवधि के प्रयोजनों के लिए नई शुरुआत नहीं देता है और सीमा अवधि मांगी गई राहत पर निर्भर करेगी जैसे कि कार्यवाही कंपनी की ओर से राहत मांगने वाला वाद हो, या हिंदू कानून के जटिल प्रश्न हों, जैसा कि छोटे लाल बनाम गणपत राय के वाद में हुआ। जहाँ उन्होंने राम लाल बनाम विरंजी लाल के वाद में एक हिंदू पुत्र के अपने मृत पिता के ऋणों का भुगतान करने के पवित्र दायित्व से संबंधित

संपूर्ण कानून पर काफी विस्तार से चर्चा की। जहां उन्होंने यह राय व्यक्त की कि प्रबंधक द्वारा नए व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लिया जाना संयुक्त परिवार की संपत्ति के हस्तांतरण के लिए पर्याप्त कारण नहीं था, और इस तरह के हस्तांतरण का औचित्य केवल तभी पाया जा सकता था जब व्यवसाय परिवार का मुख्य आधार था और इसे जारी रखने के लिए आवश्यकता का दबाव था और राजपाली कुंवर बनाम सरजू राय के वाद में हिंदू उत्तराधिकार कानून (संशोधन) अधिनियम, १९२९ द्वारा संशोधित हिंदू उत्तराधिकार कानून पर विचार करने की आवश्यकता थी। गेंदा लाल बनाम हजारी लाल के वाद में उन्होंने निष्पादन कार्यवाही में (रिसज्यूडिकेटा) पूर्वनिर्णय के सिद्धांत के अनुप्रयोग से संबंधित सिद्धांतों का विस्तृत विवरण दिया और इस तरह न्यायालय में मौजूद बहुत से विवादों को दूर किया। कई ऐसे निर्णय थे जिसमें संपत्ति के हस्तांतरण का कानून कई महत्वपूर्ण विषयों में निर्णय देने में अपना योगदान दिया था, उनमें से एक आलम अली बनाम बेनी चरण का वाद था, जिसमें दूसरे बंधककर्ता द्वारा बिक्री के लिए दायर मुकदमे पर तीसरे बंधककर्ता के अधिकारों पर फैसला सुनाया गया था। भारत में रिसीवर से संबंधित कानून पर राम स्वरूप बनाम आनंदी लाल के वाद में विचार किया गया था, जहां सवाल यह था कि क्या सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत, न्यायालय के लिए बंधक डिक्री के खिलाफ अपील के निर्णय के लंबित रहने तक बंधक संपत्ति के रिसीवर को नियुक्त करना सक्षम था, और सर शाह सुलेमान ने भारत में विभिन्न उच्च न्यायालयों से जारी केस-लॉ की समीक्षा की, और भारत में कानून की तुलना इंग्लैंड, आयरलैंड और अमेरिका में अपनाए गए कानूनों से की। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत सरकार द्वारा अधिग्रहित कृषि भूमि के लिए दिए गए मुआवजे के वितरण का उचित अनुपात क्या होना चाहिए, इस पर उन्होंने श्याम लाल बनाम कलेक्टर ऑफ आगरा के वाद में विचार किया था। यह सवाल कठिन था और इसमें मकान मालिक और अधिभोगी किरायेदारों के संबंधित अधिकारों का गणितीय परिशुद्धता के बिंदु तक सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की आवश्यकता थी और प्रत्येक दावेदार के सम्पूर्ण अधिकारों का सूक्ष्मतम विश्लेषण किया गया था। संयुक्त प्रांत में पूर्वग्रहण से संबंधित कानून अपने विकास का एक उचित उपाय उनके द्वारा दिए गए कई निर्णयों का ऋणी है। आपराधिक कानून पर भी उन्होंने उतना ही गहन शोध किया जितना उन्होंने सिविल कानून पर किया था। इसके सिद्धांतों पर उनकी महारत पर कोई सन्देह नही था।

पूरे देश में सर शाह सुलेमान की ख्याति का लोहा माना जाता था, इसलिए मई १९३७ में जब यह घोषणा की गई कि सर शाह सुलेमान को भारत के संघीय न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। नया न्यायालय भारत सरकार अधिनियम, १९३५ के तहत गठित किया गया था और ब्रिटिश शासन के तहत पहली बार देश के भीतर एक ऐसा केंद्र बिंदु बनाया गया था, जहां उच्च न्यायालयों से कानून के महत्वपूर्ण और गंभीर प्रश्न विचार के लिए आते थे और इसके अलावा जिसे केंद्र सरकार और एक प्रांत के बीच या एक प्रांत और दूसरे प्रांत के बीच विवादों में संवैधानिक महत्व के मामलों में मूल अधिकार क्षेत्र प्राप्त था। जब उनकी नियुक्ति की खबर की घोषणा की गई, तो इस न्यायालय में बहुत खुशी मनाई गई और घोषणा के तुरंत बाद एक पूर्ण न्यायालय के समक्ष संदर्भ में उन्हें सम्मान दिया गया और बधाई दी गई। जब उनके दिल्ली जाने का समय आया, तो एक स्नेहपूर्ण लेकिन दुखद विदाई हुई: सर शाह सुलेमान ने १ अक्टूबर, १९३७ को संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला।

संघीय न्यायालय के इतिहास की शुरुआत से ही, और वास्तव में पहले वाद सी.पी. मोटर स्पिरिट अधिनियम के संबंध में, एक विधिवेत्ता के रूप में उनकी योग्यता स्पष्ट रूप से सामने आई। यह भारत सरकार और मध्य प्रांत और बरार की सरकार के बीच प्रांतीय विधानमंडल की मोटर स्पिरिट और ल्यूब्रिकेटं पर खुदरा बिक्री कर लगाने की क्षमता के संबंध में विवाद में संघीय न्यायालय के गवर्नर-जनरल द्वारा राय के लिए भेजा गया संदर्भ था। अपनी विशिष्ट खोजी मानसिकता के कारण, सर शाह सुलेमान ने एक ओर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क तथा दूसरी ओर खुदरा बिक्री कर के बीच अंतर की खोज की। उन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान के बीच अंतर को केवल अर्थशास्त्री और सार्वजनिक वित्त के छात्र के लिए सामान्य रूप से परिचित अवधारणाओं पर आधारित किया और इसे ऐतिहासिक संदर्भ में उचित रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने जो राय दी, उसका वर्णन प्रख्यात ब्रिटिश अधिवक्ता, जे.एच. मॉर्गन, के.सी. ने निम्नलिखित शब्दों में किया है:

"अभी मैं उस महत्वपूर्ण मामले में दिल्ली संघीय न्यायालय के निर्णयों को पढ़ रहा हूँ। उनमें से एक निर्णय विशिष्ट और सर्वोत्कृष्ट है तथा इस विषय पर कानून का उत्कृष्ट उदाहरण साबित हो सकता है। यह 'अपील न्यायाधिकरण के रूप में हाउस ऑफ लॉर्ड्स तथा प्रिवी काउंसिल की सर्वोच्च परंपराओं के योग्य निर्णय है। मैं न्यायमूर्ति सुलेमान के शानदार निर्णय का उल्लेख करता हूँ। विचार की गहराई, दृष्टिकोण की व्यापकता, विश्लेषण और संश्लेषण की समान शक्तियों, शैली की सुंदरता तथा अभिव्यक्ति की सहजता के मामले में यह सबसे उत्कृष्ट निर्णयों में से एक है जिसे पढ़ने का सौभाग्य मुझे कभी मिला है। भारत में

संविधान के भावी विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसका अध्ययन करना चाहिए।"

यूनाइटेड प्रोविंस बनाम गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल के वाद में सर शाह सुलेमान ने इस संदेह का समाधान किया कि क्या न्याय प्रशासन का दायरा अन्य क्षेत्रों की तरह कैंटोनमेन्टस तक भी विस्तृत है, और इस तर्क को खारिज कर दिया कि ' कैंटोनमेन्टस आपराधिक अधिकार क्षेत्र की अदालतों के बारे में कानून बनाने के मामले में प्रांतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। यूनाइटेड प्रोविंस बनाम अतीका बेगम के वाद में एक व्यापक महत्व का निर्णय दिया गया था, जिसमें संघीय न्यायालय से यह जांच करने के लिए कहा गया था कि क्या भारत में विधानमंडल पूर्वव्यापी प्रभाव वाले कानून बनाने के हकदार हैं। सर शाह सुलेमान ने राय व्यक्त की कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। मामले में उठाए गए एक अन्य दिलचस्प सवाल पर, उन्होंने सरकार के इस अधिकार को मान्यता दी कि भले ही उसके खिलाफ कोई डिक्री न की गई हो, फिर भी वह अपील कर सकती है, बशर्ते कि उसे उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया हो और वह मामले में उठने वाले संवैधानिक सवालों में रुचि रखते हो। भारत सरकार अधिनियम, १९३५ में विधायी सूचियों पर लागू होने वाले "मुक्त क्षेत्र" के सिद्धांत पर उनके द्वारा विचार किया गया था और उस सिद्धांत से निकलने वाले सिद्धांतों को सुब्रह्मण्यन चेट्टियार बनाम मुत्तुस्वामी गौंडन के वाद में निर्धारित किया गया था। उनके निर्णयों में उनकी प्रतिभा और विद्वता की छाप है और उन्हें सर बार्न्स पीकॉक, सर मुथुस्वामी अय्यर, सर भास्यम अयंगर, न्यायमूर्ति महमूद, सर प्रमोद चरण बनर्जी, न्यायमूर्ति द्वारका नाथ मित्तर और न्यायमूर्ति रानाडे जैसे अमर लोगों के बीच स्थान मिला है।

एक व्यस्त अधिवक्ता के लिए कानून के पेशे से असंबद्ध गतिविधियों के लिए समय निकालना आसान नहीं होता है। जो लोग अन्य क्षेत्रों में अपना प्रभावी योगदान देने में सफल सिद्ध हुए हैं, उन्होंने ऐसा या तो तब किया जब वे व्यावहारिक रूप से अल्पावधि के थे, जैसा कि बकले ने किया था, जिन्होंने कंपनी लॉ पर अपना ग्रंथ तब लिखा था जब वे कुछ समय पूर्व ही में इस पेशे में शामिल हुए थे, या वे अपने पेशेवर जीवन के उस शिखर पर पहुंच गए थे जब काम करने का प्रवाह सुनिश्चित था और संघर्ष और अनिश्चितता के वर्ष पीछे छूट गए थे। सर शाह सुलेमान कानूनी पेशे में गहरी संलिप्तता होने के बावजूद, खगोल विज्ञान में गणित और भौतिक अनुसंधान के प्रति अपनी धुन में लगे रहे। यह एक ऐसा उत्साह था, जिसने कानून के बाद भी उनकी अविचल निष्ठा को प्रभावित किया। बेंच पर पदोन्नति के साथ ही उन्होंने और अधिक समर्पण के साथ स्वयं को इसके प्रति समर्पित कर दिया। वे स्वभाव से सदैव वैज्ञानिक रहे, शाम को उन्हें अपने निवास के उस भाग में जाना बहुत अच्छा लगता था, जहां वैज्ञानिक पुस्तकों, यांत्रिक भारों और अन्य उपकरणों से घिरे हुए, स्वयं को वे ब्रह्मांड के नियमों की खोज में लगाते थे।

वे नियम अभी भी अपूर्ण रूप से समझे जा रहे थे। लंबे समय तक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गुरुत्वाकर्षण के नियम ने निर्विवाद रूप से अपना प्रभाव बनाए रखा, और विज्ञान के छात्रों ने सौर ग्रहों और उनके उपग्रहों की गति को समझाने के अपने प्रयास में इसका प्रयोग किया। हालाँकि, यह सिद्धान्त त्रुटिपूर्ण साबित हुआ और इसकी वैधता पर आइंस्टीन ने विवाद खड़ा किया, जिन्होंने सापेक्षता का अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। आइंस्टीन के सिद्धांत ने अंतरिक्ष और समय को एक ऐसे संबंध में जोड़ने का प्रयास किया जिसे "अंतरिक्ष-समय सातत्य" के रूप में वर्णित किया गया। इस सिद्धांत ने विज्ञान के विद्वानों के बीच क्रांति ला दी। हालाँकि, सर शाह सुलेमान आइंस्टीन के सिद्धांत को उसके सभी निहितार्थों के साथ स्वीकार करने के लिए स्वयं को तैयार नहीं कर सके। उन्होंने एक विशिष्ट सिद्धांत विकसित किया, जिसमें यह माना गया कि विकिरण, पिंडों की सतह से एक गति में प्रवाहित होता है जो प्रकाश के अग्र वेग और इलेक्ट्रॉन के घूर्णन वेग का परिणाम था। यह सिद्धांत न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से परे, आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुप्रयोग पर देखे गए विचलनों को भी स्पष्ट करने का प्रयास करता है। इसने भारत और विदेशों में काफी प्रतिष्ठा अर्जित की और प्रख्यात वैज्ञानिकों, जिनमें हार्वर्ड के डॉ. हार्लो शैपले, जो अनुप्रयुक्त गणित की दुनिया में एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं, ने इसके गणितीय परिणामों की सर्वोच्च सराहना की। वैज्ञानिक अनुसंधान का मार्ग लम्बा और कठिन है, जिसमें प्रायः निराशा और असफलता ही हाथ लगती है, परन्तु सर शाह सुलेमान की बौद्धिक शक्ति ने उनके मार्ग से सभी बाधाओं को दूर कर दिया। औपनिवेशिक शासनकाल में बाधाएं कितनी विकट थीं, इसका एहसास करना आज के समय में आसान नहीं है, जब हमारा देश बाहरी दुनिया की वैज्ञानिक उपलब्धियों के बराबर पहुंचने के लिए उत्सुक था और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन और सुविधाएं उपलब्ध थीं।

वह कानून और विज्ञान के ज्ञाता थे, तथा जीवन की मनोदशाओं और लय से बहुत प्रभावित थे। और सर शाह सुलेमान ने उन्हें साहित्य में खोजा। उनका परिष्कृत और सुसंस्कृत मन फारसी और उर्दू कविता की ओर आकर्षित था, और वे अक्सर साहित्यिक समारोहों की अध्यक्षता करते थे जहाँ ऐसी

रचनाएँ सुनाई जाती थीं। यह एक शौकिया व्यक्ति का आकर्षण मात्र नहीं था। उनकी रुचि मानवीय मूल्यों से प्रेम करने वाले व्यक्ति की दार्शनिक इच्छा को भी दर्शाती थी।

उनका दूसरी रूचि शिक्षा में थी, जिसने उन्हें अपने प्रारम्भिक वर्षों से ही कई शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान करने में प्रभावित किया। वे कई वर्षों तक अलीगढ़ विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के न्यायालय के सदस्य रहे। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक में भाग लिया। वर्ष १९२८ में उन्होंने अजमेर में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की, तथा बाद में दिल्ली में अखिल भारतीय वयस्क शैक्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की। विशेष रूप से अलीगढ़ विश्वविद्यालय उनका बहुत आभारी है। यहीं पर कुलपति के रूप में उन्होंने इसके शैक्षणिक और प्रशासनिक जीवन का पुनर्गठन किया, जिससे इसके कामकाज में नई ऊर्जा आई। वित्त और वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित मामलों में उनकी सलाह अक्सर मांगी जाती थी और मुफ्त में दी जाती थी। अपने जीवन के अंतिम समय तक वे सप्ताहांत में नियमित रूप से विश्वविद्यालय आते रहे।

सर शाह सुलेमान जहाँ भी होते थे, सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते थे। एक विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी, उनके माथे पर कुलीनता और हर हाव-भाव में अच्छा व्यवहार, उनके विचारशील हाव-भाव और शांत स्वभाव ने एक स्वाभाविक गरिमा को उजागर किया। एक विचारक और विद्वान, संवेदनशील और तेजस्वी मन वाले व्यक्ति के रूप में उन्होंने जीवन में असाधारण सहजता के साथ प्रगति की।

उनके सामने सामान्य जीवन के कई वर्ष बाकी थे, लेकिन नियति, जिसने जन्म से ही उन्हें अपना चुना था, ने कुछ और ही फैसला किया। दिनांक १२ मार्च १९४१ को, जब वे अपने करियर के शिखर पर थे और अपनी शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण में थे, उन्हें मस्तिष्क रक्तस्राव हो गया और कुछ ही घंटों की अवधि में उनका निधन हो गया। उनके मित्रों और प्रशंसकों के असंख्य परिवारजनों ने एक महान व्यक्ति के निधन पर शोक व्यक्त किया। उनकी मृत्यु एक गहरी क्षति थी, और केवल उन लोगों के लिए ही नहीं जो उन्हें जानते थे। कानून में विद्वत्ता और विज्ञान में अनुसंधान के काल का अन्त हो गया। इस न्यायालय के लिए उनकी मृत्यु की खबर एक गंभीर आघात थी। यहीं उन्होंने अपने जीवन के सबसे लम्बे और सबसे महत्वपूर्ण वर्ष बिताए थे और अब उनके निर्णयों में निहित विधिक ज्ञान के अतिरिक्त, केवल उनकी उपस्थिति की दीप्तिमान प्रतिभा की स्मृति ही शेष थी।
जब कोई मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय कक्ष के दरवाजे के बाहर संगमरमर हॉल से गुजरता है तो उसकी नजर दीवार में लगी एक साधारण संगमरमर की पट्टिका पर पड़ती है जिस पर यह किंवदंती अंकित है:
स्नेहपूर्ण स्मृति में

सर शाह मोहम्मद सुलेमान, के.टी.
एम.ए., एल.एल.बी., बैरिस्टर-एट-लॉ

न्यायमूर्ति	१९२३
मुख्य न्यायाधीश	१९३२
संघीय न्यायालय के न्यायाधीश	१९३७
मृत्यु	१२ मार्च, १९४१

इस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और बार के सदस्यों ने यह टैबलेट रखा है।
वे इतिहास बन गये हैं, और उन महान व्यक्ति से संबंधित गौरव अब युगों युगों तक कायम रहेगा।

कॉर्नेलिया सोराबजी, भारतवर्ष की प्रथम महिला अधिवक्ता का अद्भुत सफर

कानून की राह पर: एक महिला का अद्भुत सफर कॉर्नेलिया सोराबजी की कहानी जब सपने तोड़ते हैं बेड़ियां

"मैंने कभी अपनी सीमाओं को बाधा नहीं माना, बल्कि उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार किया।"
- कॉर्नेलिया सोराबजी

भारतीय इतिहास में ऐसी कई महिलाएं हुई है, जिन्होंने समाज की कठोर दीवारों को तोड़कर अपना मार्ग प्रशस्त किया। इनमें से एक थी कॉर्नेलिया सोराबजी - एक ऐसी महिला जिसने न केवल कानून की दुनिया में कदम रखा, बल्कि उसे पूरी तरह बदल भी दिया।

जड़ें और आरंभिक जीवन: एक विशिष्ट पारसी परिवार

कॉर्नेलिया सोराबजी का जन्म १५ नवंबर १८६६ को महाराष्ट्र के नासिक में एक अत्यंत प्रगतिशील पारसी ईसाई परिवार में हुआ। वे ११ भाई-बहनों में से आठवीं संतान थी, उनके पिता रेवरेंड सोराबजी करसेदजी एक ईसाई धर्म-परिवर्तित पारसी होने के साथ ही एक ऐसे धर्म-सुधारक थे जिन्होंने शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह एक ऐसे परिवार में पली-बढ़ी जहां शिक्षा को सर्वोपरि माना जाता था। उनके माता-पिता ने उन्हें सिखाया कि ज्ञान कभी किसी को कमजोर नहीं बना सकता, बल्कि वह शक्ति का स्रोत है। उनकी माता एक धार्मिक और शिक्षा-प्रेमी महिला थी और उनके परिवार ने हमेशा शिक्षा और सामाजिक सुधार पर जोर दिया।

विदेश में शिक्षा, ऑक्सफोर्ड में प्रवेश: पहली भारतीय महिला

उस जमाने मे शिक्षा पाना किसी कठिन यात्रा से कम नही होता था और महिलाओं के लिए तो यह सफर चुनौतियों से भरा बना जाता था जब कॉर्नेलिया ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई करने का निर्णय लिया, तो यह एक असाधारण कदम था। उन दिनों महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना एक स्वप्न जैसा था और जब १८८९ में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन किया, उस समय निम्नलिखित सामाजिक और शैक्षणिक बाधाएं थी।

- महिलाओं को विश्वविद्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं थी
- नस्लीय और लैंगिक भेदभाव व्याप्त था
- विदेश में पढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का अतिरिक्त दबाव था

यद्यपि इन सब बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने अपनी शैक्षणिक उपलब्धियां अर्जित की,

- १८८९ मे ऑक्सफोर्ड में कानून की पढ़ाई आरंभ करने के पश्चात
- १८९२ मे ब्रिटिश इतिहास में पहली महिला जिसने कानून में विशेष परीक्षा दी तथा
- १८९४ मे इंग्लैंड में कानून की डिग्री प्राप्त की
- १८९७: बॉम्बे विश्वविद्यालय से विधि स्नातक
- १८९९: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्लीडर परीक्षा उत्तीर्ण
- १९२३: भारत की प्रथम महिला वकील बनीं

भारत लौटने के बाद: संघर्ष की शुरुआत

उनका वास्तविक संघर्ष भारत लौटने के बाद प्रारंभ हुआ जहां उन्होंने पर्दानशीन महिलाओं के लिए काम करना शुरू किया। ये वे महिलाएं थी जिन्हें समाज में बोलने की अनुमति नहीं थी। कॉर्नेलिया ने उनकी आवाज बनने का निर्णय लिया।

इन महिलाओं के लिए उन्होंने एक अनूठा कार्य मॉडल विकसित किया साथ ही महलों में रहने वाली महिलाओं को कानूनी परामर्श प्रदान किया एवं उनकी संपत्ति और अधिकारों की रक्षा के लिए भी आवाज उठाते हुए न्यायिक प्रक्रिया में उनका प्रतिनिधित्व किया।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

वह भारतीय महिला राष्ट्रीय परिषद की संस्थापक सदस्य होने के साथ ही विश्वविद्यालय

महिला संघ की अग्रणी सदस्य थी तथा इनके द्वारा बंगाल महिला सामाजिक सेवा संघ में सक्रिय भागीदारी भी निभाई थी.

राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण

वह एक जटिल राजनीतिक विचारधारा रखने वाली शासक्त महिला थी, उनको ब्रिटिश शासन का समर्थन मिला और उन्होंने भारतीय स्वशासन का पुरजोर विरोध भी किया, तथा उन्होंने पश्चिमी सुधारों के यांत्रिक आरोपण के खिलाफ भी आवाज उठानी शुरू की। उनका मानना था कि जब तक सभी महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, राजनीतिक सुधार स्थायी नहीं होंगे।

सामाजिक सुधार का अनूठा दृष्टिकोण

कॉर्नेलिया ने सामाजिक परिवर्तन में सावधानी बरती। उनका मानना था कि शिक्षा महिला सशक्तिकरण की कुंजी है इसीलिए उन्होंने महिला शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी ।
उन्होंने सांस्कृतिक संदर्भों में सुधार को महत्व दिया और उनका मानना था की पश्चिमी दृष्टिकोण को यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। उनका मानना था की सामाजिक बदलाव धीरे-धीरे और समझदारी से आने चाहिए।

व्यक्तिगत जीवन: एक समर्पित आत्मा

वह आजीवन अविवाहित रही, परंतु समाज के प्रति पूरी तरह समर्पित रहीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन पूरी तन्मयता से व्यक्तिगत जीवन पर सामाजिक परिवर्तन को प्राथमिकता देते हुए, महिला अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर दिया।

विरासत: प्रेरणा का स्रोत

कॉर्नेलिया सोराबजी ने साबित किया कि यदि कोई भी व्यक्ति एक संकल्प लेता है तो वह कोई भी बाधा पार कर कठिनाइयों को पराजित कर सकता है। उनके व्यक्तिव से उभर कर सामने आया की उस जमाने में भी शिक्षा सबसे बड़ा हथियार था एवं यह सत्य आज भी परिमाणित है उनके जीवन से यह प्रेरणा मिलती है की महिलाएं किसी से कम नहीं हैं।
उनके शब्दों में "मैंने कभी अपनी सीमाओं को बाधा नहीं माना, बल्कि उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार किया।"

साहित्यिक योगदान

२०वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में उनके प्रकाशनों का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। उनके विचारों ने भारतीय समाज में महिला अधिकारों और सामाजिक सुधार की बहस को नया आयाम दिया। कॉर्नेलिया सोराबजी ने समाज की चुनौतियों को पार करते हुए कई पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में लेख प्रकाशित किए तथा महिला अधिकारों पर गहन लेखन के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाने का भी कार्य किया। साथ ही अपने लेखों के माध्यम से औपनिवेशिक भारत की जटिल सामाजिक संरचनाओं का विश्लेषण भी प्रदान किया । १९०३ में प्रकाशित "द हाई कास्ट हिन्दू वुमन" और १९३४ में प्रकाशित "इंडिया रीकॉल्ड" से उन्होंने साहित्य में भी अपना अभूतपूर्व योगदान दिया।

निष्कर्ष

सोराबजी पुणे के डेक्कन कॉलेज की पहली महिला छात्रा होने के साथ ही बॉम्बे विश्वविद्यालय से पहली महिला स्नातक थी तथा वह पहली महिला थी जिन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से विधि की पढ़ाई की।
१८९९ मे उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्लीडर परीक्षा उत्तीर्ण कर वह भारत की प्रथम महिला अधिवक्ता बनीं, परंतु वर्ष १९२३ तक, जब महिलाओं को कानूनी व्यवसाय करने से रोकने वाले कानून में संशोधन नहीं हुआ, तब तक उन्हें बैरिस्टर के रूप में मान्यता नहीं मिली और संशोधन के बाद वह कोलकाता मे सोराबजी ने प्रांतीय अदालतों में महिलाओं और नाबालिगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक महिला कानूनी सलाहकारी प्रदान करने के लिए १९०२ की शुरुआत में इंडिया ऑफिस (जो की लंदन में एक ब्रिटिश सरकारी विभाग था जिसकी स्थापना १८५८ में ब्रिटिश वायसराय और अन्य अधिकारियों के माध्यम से भारत के प्रांतों के प्रशासन की देखरेख के लिए की गई थी) में याचिका दायर करना शुरू किया। १९०४ में, उन्हें बंगाल के कोर्ट ऑफ वार्ड्स में लेडी सहायक नियुक्त किया गया और १९०७ तक, इस तरह के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता के कारण, सोराबजी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम के प्रांतों में काम कर रहे थे। उनके अगले २० वर्षों की सेवा में, सोराबजी ने अनुमानत:
६०० से अधिक महिलाओं और अनाथों को कानूनी लड़ाई लड़ने में मदद की, कभी-कभी

बिना किसी शुल्क के भी ।

इनमे से कई कानूनी लड़ाइयों के बारे मे उन्होंने बाद में अपनी दो आत्मकथाओं मे और अपनी रचना "बिट्वीन द ट्वाइलाइट" मे लिखा।

१९२४ में, भारत में महिलाओं के लिए कानूनी व्यवसाय खोला गया और सोराबजी ने कलकत्ता में वकालत करना शुरू किया। हालांकि, पुरुष पूर्वाग्रह और भेदभाव के कारण, वह अदालत के सामने वकालत करने के बजाय मामलों पर राय तैयार करने तक ही सीमित थी।

सोराबजी १९२९ में उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुई, और लंदन में बस गईं, तथा अक्सर सर्दियों के दौरान भारत का दौरा किया करती थी। लंदन स्थित उनके आवास में ६ जुलाई १९५४ को ८७ वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।

अंततः क्या यह कहना गलत होगा की कॉर्नेलिया सोराबजी केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक आंदोलन थी । उन्होंने पूरे विश्व को दिखाया कि यदि अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो, तो एक महिला क्या कर सकती है। उन्होंने साबित किया कि दृढ़ संकल्प, शिक्षा और समर्पण से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। कॉर्नेलिया सोराबजी के शब्दों में :- "कानून का उद्देश्य कमजोरों की रक्षा करना होता है, उनकी कमजोरी को बढ़ावा देना नहीं ।" अतः यह कहना गलत नहीं होगा की वह एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने इतिहास को बदल दिया।

उद्धरण :

https%//en-wikipedia-org/wiki/Cornelia_Sorabji
https%//timesofindia-indiatimes-com/home/sunday&times/the&veiled&history&of&indias&first&woman&lawyer/articleshow/70144831-cms
https%//www-shethepeople-tv/blog/cornelia&sorabji&india&first&female&lawyer/
https%//thebetterindia-com/115687/india&first&woman&lawyer&cornelia&sorabji/

भारतीय विधिक प्रणाली: आत्मनिरीक्षण का समय

द्वारा श्री के.के. वेणुगोपाल

वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सर्वोच्च न्यायालय

कानून की भावना, तथा सभ्य समाज में किसी भी कानूनी प्रणाली का उद्देश्य और लक्ष्य, स्वतंत्रता और समानता की प्राप्ति है। लॉर्ड एक्टन ने स्वतंत्रतावादी न्यायशास्त्र में अपने मौलिक योगदान, "प्राचीन काल में स्वतंत्रता का इतिहास", १८७७ में सही कहा है कि प्रत्येक युग में, स्वतंत्रता और समानता की प्रगति "अपने प्राकृतिक शत्रुओं, अज्ञानता और अंधविश्वास, विजय की लालसा और सुख-सुविधा के प्रति प्रेम, ताकतवर व्यक्ति की सत्ता की लालसा और गरीब व्यक्ति की भोजन की लालसा" से घिरी रही है।

ये प्राकृतिक शत्रु आज भारतीय न्याय व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में प्रकट हो रहे हैं, तथा सम्पूर्ण संस्था की पहचान और वैधता, सामाजिक औचित्य और सामाजिक प्रासंगिकता के लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। आज न्यायाधीशों, वकीलों और शिक्षाविदों द्वारा आत्मनिरीक्षण की तत्काल आवश्यकता है: वास्तव में, उन सभी द्वारा जो भारत की विविधतापूर्ण और समृद्ध न्याय व्यवस्था को महत्व देते हैं।

मैं बार के घटक और उसमें व्याप्त समस्याओं से शुरुआत करना चाहूंगा , जिसके कारण सार्वजनिक रूप से यह धारणा बनी है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय बार अपनी नियति को पूरा करने में सक्षम नहीं रहा है।
यह जानना दिलचस्प होगा कि १८वी सदी में जीन डे ला ब्रुयेरे ने मुकदमेबाजी के बारे में क्या कहा था। उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए चेतावनी दी थी:

"सभी चीजों से ऊपर उठकर कानूनी मुकदमों से बचें: वे आपकी अंतरात्मा को प्रभावित करते हैं, आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं और आपकी संपत्ति को नष्ट करते हैं।"

जाहिर है, तब भी मुकदमेबाजी की उच्च लागत , वकील द्वारा ली जाने वाली भारी फीस और इसमें होने वाली लंबी देरी की समस्याएँ मुकदमेबाजी करने वाले लोगों के लिए अभिशाप थीं। आश्चर्य की बात नहीं है कि शैतान की डिक्शनरी ने 'अधिवक्ता' को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है जो अपनी हड्डियों को बचाने की उम्मीद में अपनी त्वचा को त्यागने वाला है।

वर्ष १९२४ में सर एडवर्ड चौमियर की अध्यक्षता वाली भारतीय बार समिति की रिपोर्ट, जिसके अनुसार भारतीय बार काउंसिल अधिनियम १९२६ पारित किया गया था, ने बताया कि "कानूनी पेशे में अत्यधिक भीड़भाड़" के कारण दलाली की बुराई बढ़ गई है। रिपोर्ट उस समय प्रस्तुत की गई थी जब इस पेशे में बैरिस्टर, वकील, मुख्तार और राजस्व एजेंट सहित केवल कुछ हजार सदस्य थे। आज देश में विभिन्न बार काउंसिलों में लगभग ४००,००० वकील हैं। वर्ष २००० ई. और उसके बाद पेशे के भविष्य का एक वैध प्रक्षेपण देने के लिए कंप्यूटर की सहायता से देश में कानूनी व्यवसायों का कोई समाजशास्त्रीय सर्वेक्षण करने का बहुत कम प्रयास किया गया है।

वर्ष १९८४ में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के वर्तमान निदेशक डॉ. एनआर माधव मेनन द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट की ओर से इस दिशा में एक अग्रणी प्रयास शुरू किया गया था। तमिलनाडु राज्य तक सीमित इस अध्ययन के परिणाम ने कई मिथकों को ध्वस्त कर दिया। यह पाया गया कि अतीत की तरह आज इस पेशे पर अगड़ों का वर्चस्व नहीं है। दूसरी ओर, इस पेशे के ६० प्रतिशत सदस्य पिछड़े वर्गों से हैं। वकीलों की विशाल संख्या, जो कि लगभग ७० प्रतिशत है, आम धारणा के विपरीत, १००० रुपये प्रति माह से भी कम कमा रहे थे। काम कुछ वकीलों के हाथों में केंद्रित था जो पेशे के शीर्ष पर थे और जिनकी फीस बहुत अधिक थी। उनमें से एक अच्छा खासा हिस्सा इस पेशे में रिश्तेदारों या गॉडफादर का था। बहुत कम वकील कानूनी सहायता का काम कर रहे थे। और अंत में पेशे की आत्म-छवि "अकुशलता, भ्रष्टाचार और भीड़भाड़ के साथ कम सामाजिक प्रासंगिकता" की थी।
१९८४ में जब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, तब बार की संख्या लगभग २,४०,००० थी, जबकि वर्तमान में वकीलों की संख्या लगभग ४००,००० है। इसका मतलब है कि हर साल लगभग २५,००० वकील जुड़ रहे हैं। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े

बार हैं, जिसकी संख्या ८००,००० से अधिक है। जाहिर है, अभूतपूर्व पैमाने पर मुकदमेबाजी के विस्फोट के साथ-साथ, हमारे पास कानूनी बिरादरी के सदस्यों में भी इसी तरह का विस्फोट हो रहा है। इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम रुकें और उस दिशा का जायजा लें जिस दिशा में यह पेशा आगे बढ़ रहा है।

वकीलों की संख्या में तेजी से वृद्धि कानूनी सेवाओं की आवश्यकता के साथ तालमेल नहीं रख पाई है। तमिलनाडु रिपोर्ट ने देश की कुल आबादी में वकीलों का अनुपात संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन की तुलना मे भारत मे अधिवक्ताओं का अनुपात निर्धारित किया है। १९८२ में अनुपातः संयुक्त राज्य अमेरिका में १:४०० था, ब्रिटेन में १:८०० था जबकि भारत में १:३०४३ था। बार काउंसिल की सूची में वकीलों की तेजी से वृद्धि के साथ भारत में आज अनुपात १:२३०० है जो दो विकसित देशों में उपलब्ध कानूनी जनशक्ति के साथ अनुकूल तुलना नहीं कर सकता है। देश के विभिन्न न्यायालयों में मामलों की संख्या में वृद्धि की बड़ी दर देश की कुल आबादी में वकीलों के अनुपात में सुधार की आवश्यकता को प्रदर्शित करेगी। फिर वकीलों के बीच अपने भाग्य के बारे में और देश में कानूनी पेशे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में वादी जनता के बीच अभी भी असंतोष क्यों है?

इस दिशा में कोई भी जांच देश में दी जा रही कानूनी शिक्षा से शुरू होनी चाहिए। बहुत से लॉ स्कूल व्यावसायिक रूप से उन्मुख संस्थान हैं, जो कानून के क्षेत्र में करियर की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित वकीलों को तैयार करने के बारे में बहुत कम सोचते हैं। १९७८ में २७० लॉ स्कूल थे, जिनमें २००,००० छात्र थे। आज यह संख्या काफी अधिक होनी चाहिए, इस तथ्य की पृष्ठभूमि से देखा जाए तो हर साल लगभग १०,००० स्नातक इस पेशे में शामिल हो रहे थे, जबकि यह आंकड़ा बढ़कर लगभग २५,००० हो गया है।

फिर जूनियर बार का मुद्दा आता है। कई जूनियर वकीलों की शिकायत यह है कि वे वरिष्ठ अधिवक्ता के चैंबर में उचित प्रशिक्षण प्राप्त करने में असमर्थ हैं। लेखक का मानना है कि हर वरिष्ठ वकील का न केवल पेशे के युवा सदस्यों के प्रति यह कर्तव्य है कि वह उनमें से एक या अधिक को अपने चैंबर में जूनियर के रूप में ले और उन्हें कानून का प्रशिक्षण दे, बल्कि उन्हें उनकी सेवाओं के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक भी दे। अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ में उचित संशोधन करके इसे अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। यह दायित्व न केवल नामित वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा बार में शामिल होने वाले नए सदस्यों के प्रति, बल्कि हर उस वकील द्वारा भी होना चाहिए जिसने बार में १६ साल से अधिक समय बिताया हो। वरिष्ठ का चयन पेशे में नए प्रवेशकर्ता पर निर्भर करेगा। वरिष्ठ को उन लोगों में से दो कनिष्ठों को चुनने का अधिकार होगा जिन्होंने उसके लिए आवेदन किया है।

अधिवक्ता अधिनियम के तहत भारतीय बार काउंसिल को निर्धन और विकलांग अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाकर वित्तीय सहायता देने के लिए एक कोष बनाने का अधिकार है। बार काउंसिल ने एक योजना बनाई है जिसके तहत इस देश में पंजीकृत प्रत्येक वकील को कोष की स्थापना के लिए प्रति वर्ष १० रुपये की नाममात्र राशि का योगदान देना है। अजीब बात यह है कि वकीलों ने खुद ही इस योगदान को चुनौती देते हुए पूरे भारत में मुकदमे दायर किए हैं। इसके साथ ही भारतीय बार काउंसिल ने कानूनी पेशे के सदस्यों से एक ब्यौरा प्रस्तुत करने की भी मांग की है जो पेशे के बारे में प्रासंगिक आंकड़े संकलित करने में बहुत उपयोगी होगा। बार के सदस्यों ने इसका भी विरोध किया। बेशक, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को योगदान को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं और ब्यौरा प्रस्तुत करने की आवश्यकता को खारिज करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। कल्याण कोष वकीलों को वित्तीय संकट का सामना करने पर सुरक्षा प्रदान करेगा। किसी भी वकील के लिए यह मानना मुश्किल होगा कि प्रति माह एक रुपये से कम का शुल्क उसकी वित्तीय क्षमता पर अत्यधिक बोझ डालेगा। हर तीन साल में एक बार दिया जाने वाला अंशदान लगभग एक करोड़ रुपये होता, जबकि बार की वर्तमान सदस्य संख्या ४००,००० है। जब यह कोष संचालित होगा तो यह बार के निर्धन सदस्यों को विपत्ति के समय सुरक्षा प्रदान करेगा।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि केरल राज्य ने न्यायालय में दायर प्रत्येक वकालतनामे पर स्टाम्प शुल्क लगाकर वृद्ध और निर्धन वकीलों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने के लिए एक अधिनियम पारित करके इसकी शुरुआत की थी। भारत के विधि आयोग ने अन्य सभी राज्यों को कानून के माध्यम से ऐसी ही योजनाएँ लागू करने की सिफारिश की है। यदि वकीलों की वित्तीय भलाई का ध्यान राज्य या उसकी एजेंसियों द्वारा रखा जाना है, तो सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में उनके कामकाज में कोई बाधा नहीं आ सकती। अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ समान रूप से यह प्रावधान कर सकता है कि प्रत्येक वकील अपनी विशेषज्ञता या अपने विधिक क्षेत्र के भीतर कुछ निश्चित मामलों के संबंध में निःशुल्क काम करने के लिए बाध्य होगा। सरकार देश के

सभी कोनों में कानूनी सहायता शुरू करने में सक्षम नहीं है। ४००,००० वकीलों का नि:शुल्क दल गरीबों, जरूरतमंदों और वंचित वादियों को न्याय प्रदान करता है, जो अपने वकील की सेवाओं के लिए भुगतान करने में असमर्थ हैं, वे राज्य कानूनी सहायता योजनाओं में कमी को पूरा करने में सक्षम होंगे। यह कम से कम वह है जो पेशे का समाज के प्रति दायित्व है।

भारतीय विधि आयोग ने अपनी १२८ वीं रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा ली जाने वाली भारी भरकम फीस पर टिप्पणी की है। रिपोर्ट में बताई गई राशि अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होती है और वास्तविकता से इसका कोई खास संबंध नहीं है। एक वकील के लिए यह अनुचित है कि वह ऐसे मुवक्किल से अधिक फीस वसूले जो निर्धारित फीस देने में असमर्थ या अनिच्छुक हो। इसी तरह हर वकील का यह भी दायित्व है कि वह अपने समय का कम से कम एक प्रतिशत हिस्सा निशुल्क काम के लिए रखे। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले करीब ८० वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने एक मुवक्किल के महज एक पत्र पर हर हफ्ते एक विविध केस मुफ्त में करने पर सहमति जताई थी जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता की फीस देने में असमर्थता जताई गई थी।

कई वरिष्ठ अधिवक्ता नियमित रूप से बिना फीस लिए पेश होते हैं, भले ही जूनियर अपनी सामान्य फीस लेता हो या नहीं। शायद विविध मामलों में पेश होने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा लिए जाने वाले ५००० रुपये कोई मुद्दा नहीं है। खास तौर पर जब मामले में काफी काम शामिल होता है, इसमें शामिल दांव अक्सर एक करोड़ रुपये से अधिक होते हैं, शामिल ग्राहक एक प्रमुख औद्योगिक चिंता है और जब अधिवक्ता उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से ३ या ४ वकील और जूनियर वकील को वरिष्ठ के साथ पेश होने के लिए कहता है। इसलिए उचित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे अधिवक्ता से अधिक फीस न ली जाए जो फीस का भुगतान करने में असमर्थ है, और इसके अलावा हर एक वरिष्ठ अधिवक्ता यह सुनिश्चित करता है कि उसके समय का एक प्रतिशत निशुल्क काम के लिए समर्पित हो।

अगला विवादित प्रश्न इस देश में न्यायालय प्रणाली के सभी स्तरों पर वकीलों द्वारा की जाने वाली अंधाधुंध हड़तालों से संबंधित है। देश में उच्च न्यायालय के कई निर्णयों में यह माना गया है कि वकीलों द्वारा अदालत का बहिष्कार, यहां तक कि बार एसोसिएशनों के प्रस्ताव के अनुसरण में भी, कर्तव्य की उपेक्षा के बराबर होगा (एआईआर १९२३ कैल २१२, आईएलआर १९४९ कैल ७३२, एआईआर १९२४ रंगून २३० और (१९७१) २ आंध्र साप्ताहिक रिपोर्ट ९०१),। देश भर में हड़तालों की अखबारों की रिपोर्ट पढ़कर निराशा होती है। ये छिटपुट विचलन के मामले नहीं हैं। रिपोर्ट में वकीलों द्वारा मजिस्ट्रेटों पर हमले, मजिस्ट्रेटों द्वारा अदालतों की तालाबंदी, वकीलों के खिलाफ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा प्रतिशोध आदि के मामलों की चर्चा है। एक समय ऐसा भी था जब केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली मुकदमा लड़ने वाली जनता को न्याय तक पहुंच से पूरी तरह वंचित कर दिया गया।

दिल्ली उच्च न्यायालय में कुछ वकीलों द्वारा किया गया बहुचर्चित आक्रोश अभी भी हमारी स्मृति में इतना ताजा है कि उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इस बात में कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है कि सरकार केवल बल प्रदर्शन को ही समझती है। हालांकि बार की मांगों के समाधान के लिए हड़ताल के माध्यम से न्यायालयों को बंद करना ऐसा हथियार नहीं है जिसका वकीलों को किसी भी परिस्थिति में सहारा लेना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया या संबंधित बार एसोसिएशनों को निगरानी समितियां या संपर्क समितियां बनानी चाहिए जो विवाद का त्वरित समाधान निकालने का प्रयास करें और यदि यह विफल हो जाए तो जनमत जुटाने के लिए प्रस्ताव पारित करें और अंत में एक घंटे या उससे अधिक समय के लिए न्यायालयों से दूर रहें । इस प्रकार कम से कम न्यायालय प्रणाली काम करती रहेगी, वादियों को न्याय तक पहुंच से वंचित नहीं किया जाएगा और साथ ही साथ इस पेशे को जनता की सहानुभूति भी मिलेगी जिसकी विश्वसनीयता उच्च बनी रहेगी।

आइए सबसे पहले इस बात पर विचार करें कि इस पेशे को आज के पारंपरिक मापदंडों के भीतर कैसे पुनर्गठित किया जा सकता है। आज मुकदमेबाज को भारी-भरकम अदालती फीस देनी पड़ती है। जब वह मुकदमा लड़ने जाता है तो उसे निकट भविष्य में अपनी सफलता का फल मिलने की कोई उम्मीद नहीं होती, बल्कि उसे यह भरोसा होता है कि जब तक अदालतों के पदानुक्रम के जरिए मामला अंतिम रूप लेगा, तब तक लगभग दो दशक बीत चुके होंगे।

अक्सर एक बुजुर्ग वादी को अपनी सफलता का फल पाने की कोई उम्मीद नहीं होती। देश के सर्वोच्च न्यायालय में, मामले के मूल पक्षकार अब जीवित नहीं हैं और दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है और कुछ मामलों में उनके कानूनी प्रतिनिधियों के कानूनी

प्रतिनिधि भी उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ उच्च न्यायालयों में दीवानी मामले १० से १२ साल तक लंबित रहते हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय में सामान्य तौर पर दीवानी अपील की सुनवाई उसके शुरू होने के १३ साल बाद ही की जाती है।

इसलिए ऐसा लगता है कि किसी मुकदमेबाज को अपने कानूनी अधिकार की पुष्टि के लिए अदालतों में जाने के लिए साहस की जरूरत होती है। यही वजह है कि बहुत कम ही वकील अपने मामले को लेकर अदालत जाते हैं, भले ही उन्हें कानूनी सेवाओं के लिए पैसे न देने पड़ें। वे सिर्फ मामले को निपटाने के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब उनके मुवक्किल का सवाल आता है, तो उनके दिमाग में समझौते के बारे में बिलकुल भी नहीं आता। वे इस पूरी जानकारी के साथ मुकदमा शुरू करते हैं कि यह मामला उन्हें कम से कम आने वाले कुछ सालों के लिए आय का स्रोत प्रदान करेगा।

यह आवश्यक है कि ट्रायल से पहले समझौता हर वकील के पेशेवर कर्तव्य का हिस्सा होना चाहिए। जिस समय वकीलों के बीच नोटिस का आदान-प्रदान होता है, उनका कर्तव्य होगा कि वे समझौते के लिए प्रस्ताव लेकर आगे आएं। यदि फिर भी समझौता नहीं होता है, तो कानून में शिकायत और लिखित बयान दोनों के लिए प्रावधान होना चाहिए, जिसमें संबंधित पक्षों द्वारा मामले के पहले समझौते पर पहुंचने के लिए उठाए गए कदमों और गलती कहां थी, को दर्शाया जाना चाहिए। परिणाम के बाद लागत नहीं लगेगी, लेकिन, अदालत द्वारा अलग से तैयार किए गए मुद्दे पर यह तय किया जाएगा कि समझौते के लिए बातचीत की विफलता के लिए कौन जिम्मेदार था, और अनुकरणीय लागतों सहित लागतों को तदनुसार प्रदान किया जाएगा। अपील और आगे की अपील के चरण में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि कानूनी पेशे को समझौते और समझौते करने की अपनी जिम्मेदारी के प्रति मानसिक रूप से सजग किया जा सके।

यह वह क्षेत्र है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय प्रदान करने में एक नया आयाम जोड़ा है। हाल के वर्षों में एक प्रवृत्ति स्थापित हुई है, जहां न्यायालय केवल कानून के न्यायालय के रूप में नहीं, बल्कि न्याय के न्यायालय के रूप में कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद १३६ के तहत अधिकारिता का प्रयोग करते समय, प्रवेश के चरण में, तथा अपील के अंतिम निपटान के चरण में, न्यायालय कानून और प्रक्रिया की तकनीकी बातों को अनदेखा करते हुए, दोनों पक्षों के मामले के व्यापक न्याय को देखता है। बहुत बार न्यायालय वकीलों को सुझाव देता है कि मामला निपटाने योग्य है। धीरे-धीरे वकीलों ने न्यायालय के इस नए दृष्टिकोण के साथ खुद को समायोजित कर लिया है आश्चर्यजनक रूप से, हम पाते हैं कि बहुत से मामलों में पक्षों के बीच समझौता करना संभव है। जब दोनों पक्षों को पता चलता है कि वकील भी न्यायाधीशों के समान ही सोच रहे हैं, तो वे निचली अदालतों में मुकदमेबाजी के लंबे दौर से उत्पन्न शत्रुता को भूलने के लिए तैयार हो जाते हैं तथा न्यायालय द्वारा सुझाए गए मार्ग के औचित्य को देखने के लिए तैयार हो जाते हैं।

देश के सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर जो संभव है, वह निश्चित रूप से उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों के स्तर पर भी संभव होना चाहिए। यह वकीलों की ओर से मुकदमेबाजी के प्रति मानसिकता और नई दिशा और दृष्टिकोण का प्रश्न है, जो वादकारी को उसके मुकदमे के प्रति दृष्टिकोण में बहुत प्रभावित करेगा। लेकिन जरूरी यह है कि समग्र रूप से पेशे को यह नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अकेले वकील को यह डर हो सकता है कि उसकी सलाह को उसका मुवक्किल गलत समझ लेगा क्योंकि या तो वह विपरीत पक्ष के प्रति अधिक सहानुभूति रखता है या वह कमजोर है और उसमें 'लड़ने की भावना' नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि न्यायालय दोनों वकीलों को सुझाव देने में सक्रिय भाग ले। जल्द ही कोई यह पाएगा कि मुकदमेबाजी के पैटर्न में धीरे-धीरे बदलाव आया है, जिससे अदालतों में लंबित भारी बकाया मामलों में कमी आई है।
लगभग पांच वर्ष पहले मैंने अपने द्वारा प्रस्तुत एक पेपर में कुछ आशंका के साथ कहा था:

"हालांकि, दूर की गड़गड़ाहट की तरह, हम भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और पक्षपात की अफवाहों को अदालतों के द्वारों में भी सुनना शुरू कर देते हैं। यह विषय वर्जित है और चीनी बंदरों की तरह, कोई इस बुराई को देख, सुन या बोल नहीं सकता लेकिन अगर इस दु:स्वप्न के कभी वास्तविकता बनने की संभावना है, तो इसके कारणों का पता लगाना और वास्तविकता बनने से पहले ही उन्हें बेअसर करना आवश्यक है।"

हाल के दिनों में, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा सरकारी दबाव, राजनीतिक प्रभाव और भ्रष्टाचार के मामलों के आगे झुकने सहित कदाचार की अफवाहें जोर पकड़ रही हैं। न्यायालय की अवमानना अधिनियम, १९७१ के कारण न्यायाधीशों को उनके गलत कामों के उजागर होने से बचाया जाता है। संविधान द्वारा प्रदान किया गया उपाय महाभियोग है । महाभियोग एक बोझिल प्रक्रिया है। संविधान के तहत

महाभियोग का सहारा कभी नहीं लिया गया, हालांकि कुछ मामलों में शुरुआती कदम उठाए गए थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह बुराई मौजूद नहीं है। अधीनस्थ न्यायपालिका का एक सदस्य कदाचार के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन है, जैसा कि किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के मामले में होता है क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद ३११ उस पर लागू होता है।

महाभियोग के व्यावहारिक विकल्प के रूप में एक माध्यम की कमी है। यह तथ्य कि न्यायाधीश अपनी कमजोरियों के मामले में अन्य मनुष्यों से अलग नहीं हैं, इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं न्यायिक संज्ञान लिया है।

न्यायमूर्ति मुखर्जी (तब वे इसी पद पर थे) ने तत्कालीन केन्द्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री श्री शिवशंकर के विरुद्ध अवमानना मामले में कहा था:

"एक बात, और न्यायाधीश तो और भी अधिक, अचूकता का दावा कर सकते हैं। उनके हाथों में शक्ति बहुत अधिक है और सभी शक्तियों की तरह उसका भी दुरुपयोग किया जा सकता है" (जोर दिया गया) 'जज केस' में न्यायमूर्ति ई.एस. वेंकटरमैया ने देश की उच्च न्यायपालिका के अपने विद्वान बंधुओं को 'सभी मानवीय कमजोरियों से युक्त मात्र मनुष्य' कहा था। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने एक अन्य केस में कहा था की "न्यायाधीशों को, सीजर की पत्नी की तरह, संदेह से परे होना चाहिए।"

समय आ गया है कि हम उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के निंदनीय आचरण के बढ़ते आरोपों को और अधिक अनदेखा न कर सकें। इसे जारी रहने देना, न्यायिक व्यवस्था में वादकारी जनता के विश्वास को धीरे-धीरे खत्म होने देना है। इस बीमारी के अस्तित्व की जांच करने के लिए कोई चिंतित प्रयास नहीं किया गया है। हाल ही में, एक अत्यधिक प्रचारित मामले में, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने चार एक के बहुमत से, एक ऐसे निर्णय में, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे, उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम १९८८ के दायरे से बाहर नहीं हैं। न्यायालय को दांव पर लगे परस्पर विरोधी हितों, अर्थात् जवाबदेही और न्यायिक भ्रष्टाचार और न्यायाधीश को राजनीतिक हस्तक्षेप से प्रतिरक्षित करने की आवश्यकता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे कानूनों का न्यायाधीश पर डेमोक्ल की तलवार के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता का एहसास था, जो उसकी न्यायिक स्वतंत्रता को बाधित करता है।

भारतीय विधि आयोग वह संस्था है जो देश के सभी बार एसोसिएशनों, मुख्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से उच्च न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और पक्षपात के अस्तित्व और उनसे निपटने के तरीके के बारे में राय ले सकता है। मेरा मानना है कि भारतीय विधि आयोग का यह दायित्व है कि वह इस बुराई के अस्तित्व के बारे में एक प्रश्नावली तैयार करे और उसे देश के सभी बार एसोसिएशनों, राज्य बार काउंसिलों, भारतीय बार काउंसिल और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को उनके उत्तर के लिए भेजे। प्राप्त उत्तरों के आधार पर, विधि आयोग कम से कम इस कुप्रथा के अस्तित्व का आकलन तो कर ही सकता है ताकि सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

संक्षेप में, इसलिए, आत्मनिरीक्षण और बहस तथा चर्चा की तत्काल और दीर्घकालिक आवश्यकता है, ताकि पूरे भारत की कानूनी प्रणाली को समाज की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा सके और भ्रष्ट तत्वों से कानूनी प्रणाली को शुद्ध किया जा सके, चाहे वे भ्रष्ट वकील हों या भ्रष्ट न्यायाधीश। भारत की कानूनी प्रणाली को पुनर्गठित करने और न्याय तक पहुँच, मुकदमेबाजी की उच्च लागत और अपने कानूनी अधिकारों के संबंध में जनता की अज्ञानता की समस्याओं को कम करने और उनके समाधान खोजने की भी बहुत आवश्यकता है।

‘राज्य विधान सभा और उच्च न्यायालय के बीच संवैधानिक विरोधाभास का मामला’, संविधान की सर्वोच्चता सिद्ध

द्वारा न्यायमूर्ति मिर्जा हमीदुल्लाह बेग

१. समस्या कैसे उत्पन्न हुई

वे मूलभूत सिद्धांत, जिन पर व्यवस्थित और सभ्य सरकार आधारित है और जिन्हें सामान्य रूप से ‘कानून का शासन‘ कहा जाता है, हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से स्थापित किए गए हैं। संविधान न्यायपालिका को यह अधिकार देता है कि वह संविधान की व्याख्या करे और इसके अर्थ को स्पष्ट रूप से निर्धारित करे।

हालाँकि, १९६४ में, उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दावा किया कि उसे नागरिकों को संविधान की अवमानना के लिए दंडित करने की अपनी संवैधानिक शक्ति की सीमाएँ स्वयं तय करने का अधिकार है। यह दावा इस आधार पर किया गया था कि संविधान की व्याख्या करने की यह शक्ति स्वयं संविधान द्वारा विधानसभा को एक विशेषाधिकार के रूप में दी गई है। विधानसभा ने इस दावे को लागू करने का प्रयास करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दो न्यायमूर्तियों को हिरासत में लेने का आदेश दिया। यह आदेश उस समय दिया गया जब उन्होंने एक नागरिक, केशव सिंह की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करते हुए, उसे अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया। केशव सिंह को विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर गिरफ्तार कर अवमानना के आरोप में जेल भेजा गया था।

याचिकाकर्ता की शिकायत यह थी कि विधानसभा ने अपनी संवैधानिक शक्तियों की सीमाएँ लांघ दी हैं। उनका दावा था कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसे अवमानना माना जा सके। हालाँकि, यह सच है कि याचिकाकर्ता ने प्रारंभ में कई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाए थे। जब सारे तथ्य सामने आए, तो उच्च न्यायालय ने माना कि केशव सिंह को उचित रूप से दंडित किया गया है। उसकी याचिका खारिज कर दी गई और उसे अपनी शेष सजा काटने के लिए वापस जेल भेज दिया गया।

लेकिन, केशव सिंह की याचिका के परिणामस्वरूप जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ घटीं, उन्होंने राष्ट्रपति को गंभीर संवैधानिक महत्व के कई प्रश्न भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखने के लिए मजबूर कर दिया। इन प्रश्नों का समाधान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना था, जिसके बाद ही उच्च न्यायालय केशव सिंह के मामले पर अंतिम निर्णय ले सकता था।

इस मामले में मुख्य जटिलता संविधान के अनुच्छेद १९४(३) में लिखे निम्नलिखित शब्दों से उत्पन्न हुई:

” . . . . . किसी राज्य के विधानमंडल के सदन की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ, तथा ऐसे विधानमंडल के सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ऐसी होंगी जिन्हें विधानमंडल समय-समय पर कानून द्वारा परिभाषित कर सकता है और जब तक ऐसा परिभाषित नहीं किया जाता है, वे इस संविधान के प्रारंभ में यूनाइटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ होंगी।“

२. कुछ अंतर्निहित कठिनाइयाँ:

राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए प्रश्नों पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उत्तरों ने उन कठिनाइयों को उजागर किया जो हमारे संविधान की कठोर संघीय संरचना की तार्किक योजना में निहित हैं। ये कठिनाइयाँ विशेष रूप से तब सामने आती हैं जब हाउस ऑफ कॉमन्स की “शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों“ जैसी विशिष्ट और अनोखी ब्रिटिश सामग्री को, जो कि अलिखित ब्रिटिश संविधान की लचीली और परिवर्तनशील प्रकृति से जुड़ी है, हमारे संवैधानिक ढांचे में समायोजित करने का प्रयास किया जाता है।

अलिखित ब्रिटिश संविधान की तरलता ने फ्रांसीसी विद्वान डे टोकेविले जैसे प्रशिक्षित तार्किक दिमाग को भी उलझन में डाल दिया। उन्होंने निराश होकर घोषणा की: “अंग्रेजी संविधान का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है“ (डाइसी, “संविधान का कानून,“ १०वां संस्करण, पृष्ठ २२)। शायद ब्रिटिश संवैधानिक कानून की कोई भी शाखा उतनी जटिल और तर्क में उतनी अधूरी नहीं है जितनी हाउस

ऑफ कॉमन्स की "शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं" से संबंधित कानून।

इस कानून की विकास प्रक्रिया और इसकी विषय-वस्तु को ब्रिटिश संवैधानिक इतिहास के संदर्भ से अलग करके समझा नहीं जा सकता। यह एक मौलिक सच्चाई है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया साथ ही, इसने इन कठिनाइयों के पीछे के ऐतिहासिक कारणों की व्याख्या भी की।

जिस प्रकार कानूनी रूप से सर्वशक्तिमान ब्रिटिश संसद भी कुछ भौतिक तथ्यों को बदलने में असमर्थ है, उसी प्रकार हाउस ऑफ कॉमन्स और किंग्स कोर्ट की कानूनी शक्ति, स्थिति और उनके आपसी संबंधों की कुछ विशिष्ट घटनाओं और तत्वों को, जो ब्रिटिश संवैधानिक इतिहास की विशिष्टताओं पर आधारित हैं, बिना किसी बदलाव के हमारे संविधान में प्रत्यारोपित करना कानूनी रूप से संभव नहीं था।

ब्रिटिश ऐतिहासिक संदर्भ, जो संभवतः कुछ दृष्टिकोणों, परंपराओं, या समझौतों का परिणाम था, जिन्हें सख्ती से कानूनी क्षेत्र में नहीं गिना जा सकता, केवल निहितार्थ के आधार पर हमारे लिखित संविधान में नहीं जोड़े जा सकते। यहां 'संभवतः' शब्द का उपयोग इस तथ्य को इंगित करने के लिए किया गया है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया का सटीक परिणाम, जिसने ब्रिटिश संविधान के प्रत्येक भाग के चरित्र और विषय-वस्तु को आकार दिया, पूरी निश्चितता के साथ निर्धारित करना असंभव है। किसी विशेष समय (हमारे संदर्भ में १९५०) पर इन प्रक्रियाओं का सटीक परिणाम विवाद का विषय बना रहता है, जैसा कि इस मामले में उच्चतम् न्यायालय के न्यायमूर्तियों के बहुमत और अल्पमत के विचारों में भिन्नता से स्पष्ट होता है। परिणामस्वरूप, उच्चतम् न्यायालय के बहुमत ने संविधान के अनुच्छेद १९४(३) में निहित कथित अस्पष्ट निहितार्थों को स्वीकार करने के बजाय, संविधान के स्पष्ट प्रावधानों के स्पष्ट और निश्चित अर्थों पर अपनी राय आधारित करना उचित समझा। फिर भी, बहुमत और अल्पमत दोनों ही निर्णयों ने ब्रिटिश संवैधानिक इतिहास के उलझे हुए धागों से जो भी प्रासंगिक सूत्र निकाले जा सकते थे, उन्हें हमारे लिखित संघीय संविधान की अलग बनावट और पैटर्न में बुनने का प्रयास किया, जहाँ तक ऐसा करना संभव था। यह प्रयास इसलिए किया गया क्योंकि हमारे संविधान की स्पष्ट मंशा, जैसा कि अनुच्छेद १९४(३) में परिलक्षित होती है, यह थी कि ऐसा तब तक किया जाए जब तक उचित कानून द्वारा अधिक उपयुक्त प्रावधान नहीं किया जाता।

३. न्यायिक अंग का संवैधानिक कर्तव्य और भूमिका

न्यायिक अंग का संवैधानिक कर्तव्य और कार्य इस देश में, जब विधानमंडल का कोई सदन अपने कथित अवमाननाओं को दंडित करने के लिए अर्ध-न्यायिक कार्य करता है, तो यह न्यायपालिका का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह यह निर्धारित करे कि क्या विधानमंडल के किसी सदन ने ऐसा करते हुए अपने कानूनी अधिकारों की सीमाओं का उल्लंघन किया है। न्यायपालिका को, जब उचित रूप से ऐसा करने के लिए कहा जाए, इस कर्तव्य का निर्वहन करना होता है। इंग्लैंड में भी न्यायालयों ने अधिकार-क्षेत्र संबंधी इस प्रकार के प्रश्नों को तय करने और हाउस ऑफ कॉमन्स के कथित विशेषाधिकारों के अस्तित्व व दायरे को निर्धारित करने का अधिकार सफलतापूर्वक अपने पास रखा है। किंग्स कोर्ट द्वारा इस तरह की न्यायिक शक्ति का प्रयोग कानूनी रूप से संप्रभु संसद द्वारा स्वीकार किया गया है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश संसद, जो न्यायालयों को इन शक्तियों से वंचित करने का कानून पारित कर सकती थी, ने ऐसा नहीं किया।

हमारे देश में, चूँकि अब तक राज्य विधानमंडल के सदन की "शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों" को परिभाषित करने वाला कोई कानून नहीं बना है, इसलिए विवाद के मामलों में विधानमंडल के किसी विशेषाधिकार, शक्ति या उन्मुक्ति के अस्तित्व और दायरे से संबंधित प्रश्नों के निर्धारण का एकमात्र तरीका न्यायालयों के न्यायनिर्णय पर आधारित है।

निश्चित रूप से राज्य के हर अंग चाहे वह कार्यपालिका हो, विधायिका हो, या न्यायपालिका को अपनी संतुष्टि के लिए अपनी शक्तियों और अधिकार-क्षेत्र की सीमाएँ निर्धारित करने का अधिकार और कर्तव्य है, ताकि अपने अधिकारों के उचित दायरे से बाहर न जाया जाए। परंतु, जब कोई नागरिक किसी वास्तविक "शक्ति की अधिकता" या किसी संपार्श्विक उद्देश्य के लिए "शक्ति के दुरुपयोग" (एक "डेटोरनेमेंट डे पोउवोर" जैसा कि फ्रांसीसी अधिवक्ता कहते हैं) या राज्य के किसी भी प्राधिकरण या अंग की ओर से "शक्ति के दुरुपयोग" की शिकायत करता है, चाहे वह कितना भी ऊंचा हो, जैसा कि एक नागरिक को एक सभ्य लोकतांत्रिक संविधान के तहत करने की अनुमति है, तो इन प्रश्नों का निर्णय कौन करेगा? न्याय के प्राथमिक सिद्धांत कहते हैं कि जिस प्राधिकारी पर गलत काम करने का आरोप लगा हो उसे न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता

और उससे भी बुरा यह होगा कि उसे अपने ही किसी मामले में और न्यायाधीश बना दिया जाए, जहाँ नागरिक की शिकायत सीधे उसी प्राधिकारी के खिलाफ हो। अगर किसी प्राधिकारी के निर्णयों को, चाहे वह कितना भी ऊँचा और जिम्मेदार क्यों न हो, चुनौती नहीं दी जा सकती, भले ही वे उसकी शक्तियों के उचित दायरे से परे हों, तो यह उस प्राधिकारी को अपनी शक्तियों के अतिक्रमण के लिए खुला निमंत्रण होगा।

४. विधानसभा के दावे का आधार था, "लेक्स पार्लियामेंटी"

विभिन्न राज्य विधानसभाओं के अधिवक्ताओं ने, जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, अपने दावों को इस सिद्धांत पर आधारित किया कि "लेक्स पार्लियामेंटी" विधि और नियमों की एक स्वतंत्र और विशिष्ट प्रणाली है, जिसका न्यायपालिका से कोई संबंध नहीं है।

यहां तक कि शेरिफ ऑफ मिडलसेक्स (१८४०) के मामले में स्थापित यह नियम, कि न्यायालय अध्यक्ष द्वारा जारी सामान्य वारंट की पृष्ठभूमि की जांच नहीं करेंगे, विधानसभाओं के अधिवक्ताओं द्वारा "लेक्स पार्लियामेंटी" के तहत दिया गया एक विशेषाधिकार माना गया। हालाँकि, जब ऐसा वारंट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो इसकी वैधता और औचित्य को न्यायालय द्वारा जांचे बिना स्वीकार कर लेना एक वैकल्पिक और पूर्ण नियम नहीं हो सकता। यदि यह नियम वास्तव में किसी "लेक्स पार्लियामेंटी" का हिस्सा था, जिससे न्यायालयों का कोई संबंध नहीं था, तो न्यायालयों को इसे सख्ती से मानने या लागू करने की कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, शेरिफ ऑफ मिडलसेक्स (१८४०) के मामले में न्यायमूर्ति कोलरिज ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा अपनाए गए "अनुमान" को हाउस ऑफ कॉमन्स के किसी भी "विशेषाधिकार" के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। यदि अध्यक्ष के वारंट में कारावास का कोई स्पष्ट अस्थिर या अनुचित आधार प्रकट होता है, तो ऐसा कोई अनुमान उत्पन्न नहीं हो सकता। अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा किए गए इस भेद का स्पष्ट तात्पर्य यह था कि वे अध्यक्ष के वारंट के तहत कारावास के खिलाफ दाखिल हैबियस कॉर्पस (बन्दी प्रत्यक्षीकरण) याचिका पर याचिकाकर्ता की शिकायत की समीक्षा कर सकते थे। जैसा कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय में अल्पसंख्यक दृष्टिकोण रखने वाले न्यायमूर्ति सरकार ने भी संकेत दिया था। "लेक्स पार्लियामेंटी" को कानून की एक स्वतंत्र और पूरी तरह से अलग प्रणाली के रूप में देखने का सिद्धांत, जो किंग्स कोर्ट के लिए अज्ञात थी, इंग्लैंड में उन्नीसवीं सदी के आरंभिक काल में स्टॉकडेल बनाम हैंसर्ड (१८३९) के मामले में अंतिम बार सामने आया। उस मामले के निर्णय ने इस सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज कर दिया।

उन्नीसवीं सदी के मध्य तक, इंग्लैंड का संविधान एक परिपक्व और स्पष्ट लोकतांत्रिक स्वरूप ग्रहण कर चुका था। अंग्रेजी संविधान के स्थिर और पूर्ण रूप से स्थापित होने से पहले जिन सिद्धांतों और दावों को प्रस्तुत किया गया था, वे नए संदर्भ में अप्रासंगिक और अवैध हो गए थे। यह घोषित किया गया कि उन्नीसवीं सदी के इंग्लैंड में, हाउस ऑफ कॉमन्स केवल प्रस्ताव द्वारा कानून नहीं बना सकता था, और इसके प्रस्तावों को राजा के न्यायालयों पर बाध्यकारी कानून के समान प्रभाव नहीं दिया जा सकता था।

स्टॉकडेल बनाम हंसर्ड (१८३९) के निर्णय के बाद, राजा के न्यायालयों ने उस धारणा को त्याग दिया जिस पर अध्यक्ष के सामान्य वारंट की वैधता आधारित थी। इसके बावजूद, शेरिफ ऑफ मिडलसेक्स (१८४०) के मामले में, एक अंग्रेजी न्यायालय ने असंगत रूप से एक अप्रचलित संवैधानिक आधार पर अपना निर्णय दिया, जो अब अस्तित्व में नहीं था। हालांकि, यह निर्णय केवल उस मामले में प्रस्तुत विशिष्ट तथ्यों के आधार पर दिया गया था।

१९५० में, यदि कोई ऐसा ही प्रश्न भिन्न संदर्भ में उठता, तो यह आवश्यक नहीं था कि अंग्रेजी न्यायालय इस धारणा का पालन करता। न्यायमूर्ति सरकार, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में छह के बहुमत के विपरीत एक अल्पमत राय दी, ने यह कहा: "मैं यह नहीं मानता कि हाउस ऑफ कॉमन्स स्वयं कभी न्यायालय था।"

> यदि यह दृष्टिकोण सही था, तो अध्यक्ष के सामान्य वारंट की वैधता और औचित्य की धारणा, जो इसे एक सुपीरियर कोर्ट के वारंट के समान मानती थी, इंग्लैंड में भी अस्थिर और आधारहीन थी।

५. एर्स्किन मे की व्याख्या

इस विवाद में दोनों पक्षों द्वारा बार-बार उद्धृत किया जाने वाला अधिकार सर टी. एर्स्किन मे का था। उन्होंने "संसदीय अभ्यास" पर अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में "संसदीय कानून और विशेषाधिकार की प्रकृति और अधिकार के बारे में गलत धारणाओं" का उल्लेख करते हुए, "संसद के विधायी और न्यायिक अधिकार-क्षेत्र के भ्रम" शीर्षक के अंतर्गत इसे विस्तार से समझाया। उन्होंने १४७२ में थॉरपे के मामले में न्यायाधीशों की राय का उल्लेख किया, जिसे कोक के कथन ने पुष्ट किया था। इसके अनुसार, 'सामान्य कानून अदालतें लेक्स पार्लियामेंटी से संबंधित मामलों का निर्णय नहीं कर सकतीं,' क्योंकि संसद के उच्च न्यायालय के पास "कोई उच्चतर प्राधिकरण" नहीं है। सर एर्स्किन मे ने बताया कि यह धारणा सत्रहवीं शताब्दी में भी पुरानी पड़ चुकी थी।

उन्होंने कोक और ब्लैकस्टोन के विचारों पर टिप्पणी करते हुए कहा:

"ये विचार उस समय के हैं जब संसद के न्यायिक और विधायी कार्यों के बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था, या इसे केवल प्रारंभिक स्तर पर परिभाषित किया जा रहा था। उस समय लॉर्ड्स और कॉमन्स के कार्यों का विभाजन सत्रहवीं शताब्दी की तुलना में भी कम परिपूर्ण था। संसद के उच्च न्यायालय और उसकी शक्तियों के बारे में जो धारणाएँ कोक के समय में पुरानी हो चुकी थीं, वे अठारहवीं शताब्दी तक दोहराई जाती रहीं। हालांकि, पुर्नस्थापना के बाद ऐसे सिद्धांत स्थापित होने लगे, जो आधुनिक संविधान के अधिक अनुकूल थे। इसके बावजूद, 'संसद के विशेषाधिकार' वाक्यांश ने भ्रम को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया।"

सर एर्स्किन मे ने अंग्रेजी संवैधानिक इतिहास के दौरान इस "विचार के भ्रम" से उत्पन्न तीन धारणाओं को इंगित किया। उन्होंने लिखा: "इस विचार के भ्रम से तीन धारणाएँ उत्पन्न होती हैं:

१. न्यायालय, संसद के उच्च न्यायालय से निम्नतर होने के कारण, किसी सदन के विशेषाधिकार से संबंधित निर्णय पर सवाल नहीं उठा सकते।
२. लेक्स एट कॉनसेऊटुडो पार्लियामेंट (समस्त्र मज बवदेनमजनकव चंतसपंउमदज) एक अलग कानून है और इसलिए न्यायालयों के लिए अज्ञात है।
३. किसी भी सदन का विशेषाधिकार घोषित करने वाला संकल्प न्यायालयों पर बाध्यकारी न्यायिक मिसाल होता है।
यह आश्चर्यजनक है कि सर टी. एर्स्किन मे ने उन विचारों के भ्रम को जिम्मेदार ठहराया था, जो उनके समय तक, विशेष रूप से १८४४ में उनके प्रसिद्ध ग्रंथ के प्रकाशन तक, काफी हद तक स्पष्ट हो चुके थे। इसके बावजूद, इन धारणाओं को राज्य विधानसभाओं के अधिवक्ता द्वारा हमारे लिखित संविधान के तहत इस देश में लागू कानून के रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि हमारे संविधान में भ्रम के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

६. गलतफहमियाँ दूर की गईं

सत्रहवीं शताब्दी के इंग्लैंड में, राजा और हाउस ऑफ कॉमन्स के बीच सत्ता के लिए तीव्र संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान, स्टुअर्ट राजाओं द्वारा दैवीय अधिकार के आधार पर शासन करने के दावों का मुकाबला करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स ने नए और साहसिक दावे प्रस्तुत किए। इसी अवधि में, चार्ल्स प्रथम पर मुकदमा चलाया गया और अंततः उसे मृत्युदंड दिया गया। राजशाही की बहाली के बाद भी, १६८८ की क्रांति के तुरंत बाद, जब जेम्स द्वितीय को इंग्लैंड से निर्वासित कर दिया गया, तब राजा के दो न्यायाधीशों को, जिनमें से एक को राजभक्त माना जाता था, हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष उपस्थित होने और दंडित किए जाने का आदेश दिया गया (देखें: जे बनाम टॉपबैम, १२ स्टेट ट्र., ८२२)।

हालाँकि, अंग्रेजी इतिहास में इन घटनाओं को ब्रिटिश संवैधानिक अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों ने सत्ता के दुरुपयोग और असंवैधानिक आचरण के घोर उदाहरण के रूप में देखा। इन्हें एक अस्थिर और संक्रमणकालीन दौर में हुई ज्यादतियों के प्रतीक के रूप में समझा गया। बहाली के समय, ब्रिटिश संसद ने यह घोषणा की कि "अंतराल" के दौरान जो कुछ भी हुआ, उसे संवैधानिक इतिहास के पन्नों से मिटा दिया जाना चाहिए।

ब्रिटिश न्यायाधीशों ने यह भी स्पष्ट किया कि राजा के दो न्यायाधीशों को दी गई सजा का कोई वैध कानूनी आधार नहीं था। इस प्रकार, जो कृत्य ब्रिटिश संविधान का उल्लंघन माने

गए, वे १९५० में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा ऐसी शक्तियों के दावे का कानूनी आधार नहीं बन सकते थे। १७०१ के अधिनियम ने ब्रिटिश संविधान को एक नए और स्थिर आधार पर खड़ा किया, जिससे न्यायपालिका की स्थिति दृढ़ और सुरक्षित हो गई। इसके बाद, इंग्लैंड में इस प्रकार के असंवैधानिक और मनमाने कृत्यों की पुनरावृत्ति की संभावना समाप्त हो गई।
लॉर्ड डेनमैन ने स्टॉकडेल बनाम हैंसर्ड (१८३९) मामले में, उपर्युक्त दो न्यायाधीशों की सजा का उल्लेख करते हुए कहा:

"कन्वेंशन संसद के प्रति हमारा सम्मान और आभार हमें इस सच्चाई को देखने से अंधा नहीं कर सकता कि कारावास की यह सजा उतनी ही अन्यायपूर्ण और अत्याचारी थी, जितनी कि वे मनमानी कार्रवाइयाँ, जिनके लिए राजा जेम्स को उनके ताज से वंचित किया गया।"

इंग्लैंड में संविधान के उल्लंघन के इन उदाहरणों का कानूनी स्वीकार्यता के आधार पर प्रस्तुत किया जाना कई भ्रांतियाँ उत्पन्न कर सकता है। इन भ्रांतियों को केवल गहन अध्ययन, निष्पक्ष विचार और शांत परीक्षण के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है, जैसा कि उच्चतम् न्यायालय में संदर्भित मामलों की सुनवाई के दौरान हुआ।"

७. संसदीय विशेषाधिकार की आधुनिक अवधारणा स्पष्ट

ब्रिटिश संवैधानिक इतिहास में हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों की अवधारणा समय के साथ विकसित होती रही है। यह अवधारणा उस "विशेषाधिकार" से उत्पन्न हुई है, जिसे राजा द्वारा अपने प्रजा के प्रतिनिधियों को दिया जाता था। इसकी शुरुआत राजा के समक्ष अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली पारंपरिक "विनम्र याचिका" से मानी जाती है। आज भी इंग्लैंड में हर नई संसद के प्रारंभ में इस अनुदान की प्रक्रिया को दोहराया जाता है।

सर एर्स्किन मे ने इस उत्पत्ति को स्पष्ट करते हुए कहा है:

"राजा के विशेष संरक्षण के रूप में जो प्रक्रिया आरंभ हुई थी, उसे कॉमन्स ने धीरे-धीरे प्रथागत अधिकारों के रूप में दावा करना शुरू कर दिया। इन अधिकारों में से कई, बार-बार किए गए दावों और उनके क्रियान्वयन के प्रयासों के दौरान, कानूनी मान्यता प्राप्त विशेषाधिकारों में बदल गए।"

राजा और हाउस ऑफ कॉमन्स के बीच संघर्ष के दौरान, इन विशेषाधिकारों का उपयोग जनता के प्रतिनिधियों के अधिकारों पर राजा द्वारा किए गए अतिक्रमण से बचाव के लिए किया गया। उस समय के किंग्स कोर्ट, जिनकी अध्यक्षता राजा द्वारा नियुक्त सामान्य अधिवक्ता करते थे, ने राजा के खिलाफ इन विशेषाधिकारों के दावों को मान्यता दी। इस प्रकार, ये अधिकार कानूनी रूप से मान्य और लागू करने योग्य बन गए। लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, इन विशेषाधिकारों का कभी-कभी दुरुपयोग भी किया गया और इन्हें जनता के अधिकारों के खिलाफ हथियार के रूप में प्रयोग किया गया। ऐसे मामलों में ब्रिटिश संसद ने हस्तक्षेप किया। १७३७ और १७७० के संसदीय विशेषाधिकार अधिनियमों के माध्यम से, संसद ने विशेषाधिकारों के दावों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया। इन अधिनियमों ने स्पष्ट कर दिया कि विशेषाधिकार के नाम पर संसद के सदस्य कानूनी कार्यवाही से छूट नहीं पा सकते। इस प्रकार, ब्रिटिश संसद ने स्वयं विशेषाधिकारों को उनके उचित क्षेत्र और उद्देश्य तक सीमित करने का प्रयास किया।

हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने इंग्लैंड में संसदीय विशेषाधिकार के पूरे इतिहास का गहन विश्लेषण करने के बाद उस अवधारणा को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया, जो अंततः उन्नीसवीं शताब्दी में उभरी। इस समय, एक संतुलन स्थापित हुआ, और विशेषाधिकारों की सीमाएँ "संसद, क्राउन और न्यायालयों द्वारा निर्धारित और स्वीकृत" की गईं:

"विशेषाधिकार का असली चिह्न उसका सहायक स्वरूप है। संसद के विशेषाधिकार वे अधिकार हैं, जो 'संसद की शक्तियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनिवार्य हैं।' इनका उपभोग व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा इसलिए किया जाता है, क्योंकि सदन अपने सदस्यों की सेवाओं के बिना अपना कार्य नहीं कर सकता। सदन के प्रत्येक सदस्य को सुरक्षित रखने, और सदन की गरिमा व अधिकार सुनिश्चित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है।"

यह स्पष्ट है कि अंग्रेजी न्यायाधीश, जिन्होंने मौलिक अधिकारों और व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सदैव अडिग रहकर कार्य किया है, भले ही ये अधिकार हमारे जैसे लिखित संविधान

में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध न हों, उन्होंने भी बहुत पहले "देश के कानूनों के तहत लोगों के अधिकारों के विरुद्ध" किसी भी संसदीय विशेषाधिकार की अवधारणा को दृढ़ता से खारिज कर दिया था।

इस संदर्भ में, सर सी. के. एलन की वह टिप्पणी स्मरणीय है, जो उन्होंने श्रीमती सीघार्ट की पुस्तक "गवनमिंट बाई डिक्री" की प्रस्तावना में लिखी थी:

"यह कहते हुए कि 'कोई भी स्वतंत्रता बिना न्यायालय के सुरक्षित नहीं है,' श्रीमती सीघार्ट एक सरल सत्य को रेखांकित करती हैं, जिसकी पुष्टि अंग्रेजी इतिहास के एक हजार वर्षों से होती है।"

८. परिणाम:
विशेष संदर्भ संख्या १, १९६४ (ए.आई.आर. १९६७ एस.सी. पृ. ७४५) देखें: ।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ब्रिटिश संविधान के तहत कानून का अनुसरण करते हुए, जो इस संबंध में अमेरिकी संविधान और कानून से भिन्न है, यह निर्णय दिया कि विधानमंडल के सदनों के बाहर किए गए अवमानना के लिए अजनबियों को दंडित करने का दावा राज्य विधानमंडल के सदनों का हो सकता है, लेकिन यह उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को न केवल संविधान के अनुच्छेद २११ के विशिष्ट प्रावधानों के कारण राज्य विधानमंडल के सदनों में उनके न्यायिक आचरण पर चर्चा के खिलाफ संरक्षण प्राप्त है, बल्कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में न्यायिक कार्य करने मात्र से ही वे किसी भी कथित अवमानना के लिए सदन द्वारा कार्रवाई से भी उन्मुक्त हैं।

राष्ट्रपति को दी गई राय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा:

"एक निडर और स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व भारत के संवैधानिक ढांचे का मूल आधार कहा जा सकता है। इसलिए, यह तर्क देना व्यर्थ होगा कि अनुच्छेद २११ द्वारा लगाया गया पूर्ण प्रतिषेध केवल एक निर्देशात्मक उपाय है। इसे सदन को न्यायाधीश के आचरण पर कार्रवाई करने की अनुमति देकर एक अर्थहीन घोषणा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।"

९. संविधान की सर्वोच्चता

संविधान की सर्वोच्चता, जिसे न्यायालयों द्वारा अंतिम रूप से व्याख्यायित किया जाता है, संविधान के सामंजस्यपूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन का एक प्रमुख साधन है। यह तथाकथित "द्वैतवाद" से बचने में सहायक है, जो संवैधानिक संघर्ष और राज्य के विभिन्न अंगों के बीच टकराव उत्पन्न कर सकता है। १९५० में ब्रिटिश संविधान के तहत जो स्थिति रही हो, हमारे लिखित संविधान में ऐसे "द्वैतवाद" की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि हमारे संविधान में त्यागे गए इस द्वैतवाद को दोबारा शामिल करने का प्रयास किया जाए, तो इससे केवल भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी और राज्य के विभिन्न अंगों के बीच टकराव के लिए आधार बनेगा।

यह तथाकथित द्वैतवाद नागरिकों के लिए उपायों की अनुपस्थिति को भी दर्शाता है, भले ही उन्हें किसी ऐसी कार्रवाई के लिए दंडित किया गया हो जो संभवतः विधानमंडल के सदन की अवमानना नहीं हो सकती। उदाहरणस्वरूप, जब किसी सदन का अध्यक्ष सामान्य वारंट जारी करता है और अदालतों को उन आधारों की जांच करने से रोकता है, जिन पर कारावास का आदेश दिया गया था, तो यह स्थिति नागरिकों को न्याय से वंचित कर सकती है।

संविधान की सर्वोच्चता के इस मूलभूत प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी उल्लेखनीय है: "इस प्रश्न पर विचार करते समय संघीय संविधान की एक बुनियादी विशेषता को ध्यान में रखना आवश्यक है। इंग्लैंड में, संसद संप्रभु है। ए.वी. डाइसी के अनुसार, संसदीय संप्रभुता की तीन मुख्य विशेषताएं हैं: संसद को कोई भी कानून बनाने या हटाने का अधिकार है इंग्लैंड के कानून द्वारा किसी भी व्यक्ति या निकाय को संसद के कानून को रद्द करने का अधिकार नहीं दिया गया है और संसद का अधिकार या शक्ति पूरे ब्रिटिश साम्राज्य पर लागू होती है (ए.वी. डाइसी द्वारा संविधान का कानून, पृष्ठ xxxiv)। दूसरी

ओर, संघवाद की एक प्रमुख विशेषता यह है कि 'कार्यकारी, विधायी और न्यायिक प्राधिकारों का सीमित और सटीक वितरण उन निकायों के बीच किया जाता है जो एक-दूसरे के साथ समन्वय में रहते हुए स्वतंत्र भी हैं।' संघीय राज्य के अस्तित्व के लिए संविधान की सर्वोच्चता अनिवार्य है, ताकि संघीय इकाई के विधानमंडल या सदस्य राज्यों के विधानमंडलों को कमजोर या समाप्त होने से रोका जा सके। यह व्यवस्था उस नाजुक शक्ति संतुलन को बनाए रखती है, जो उन राज्यों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करती है जो संघ का हिस्सा बनने के इच्छुक हैं, लेकिन अपनी व्यक्तिगतता को एकता में विलय करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। इस संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करने के लिए, शक्तियों के वितरण की योजना का व्याख्यान करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय का अधिकार आवश्यक है। संविधान में कोई भी परिवर्तन संघीय या राज्य विधानमंडलों की सामान्य प्रक्रियाओं के माध्यम से संभव नहीं है (ए.वी. डाइसी, संविधान का कानून, पृष्ठ xxxvii)। इस प्रकार, ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता, जिसमें संसद की सर्वोच्चता निहित है, हमारे जैसे संघीय संविधान के लिए दावा नहीं किया जा सकता है।

इसमें यह भी कहा गया है:

"लिखित संविधान से संचालित किसी भी लोकतांत्रिक देश में संविधान ही सर्वोच्च और संप्रभु होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि संविधान में संशोधन संभव है, लेकिन यह केवल अनुच्छेद ३६८ में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करके ही किया जा सकता है। इससे यह स्पष्ट है कि संविधान में संशोधन का दावा करते समय भी संसद को संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है। विधायक, मंत्री, और न्यायाधीश सभी संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, क्योंकि उनका अधिकार और कार्यक्षेत्र संविधान से ही निर्धारित होता है, और उनकी निष्ठा संविधान के प्रावधानों के प्रति ही होती है। इसीलिए, यह निर्विवाद है कि इंग्लैंड में जिस प्रकार संसद को संप्रभुता का असीमित दावा प्राप्त है, वैसा दावा भारत में किसी भी विधानमंडल द्वारा पूर्ण अर्थों में नहीं किया जा सकता।"

१०. सारांश

संवैधानिक सर्वोच्चता और राज्य विधानमंडलों के सदनों की कथित अवमाननाओं को दंडित करने की शक्ति के विशेष संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय की ऐतिहासिक राय के पश्चात उभरी हमारी उच्च न्यायालयों की संवैधानिक स्थिति को निम्न प्रकार संक्षेपित किया जा सकता है:

(i) भारत के संविधान ने भारत की जनता की राजनीतिक संप्रभुता को लोकतांत्रिक गणराज्य की कानूनी संप्रभुता में परिवर्तित कर दिया।

(ii) भारत का संविधान राजनीतिक दार्शनिकों द्वारा संपूर्ण जनता की "स्थायी" या "वास्तविक" इच्छा के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह कानूनी रूप से सर्वोच्च है।

(iii) संविधान की सर्वोच्चता से निम्नलिखित परिणाम निकलते हैं:

(क) राज्य के सभी अंग संविधान में निहित विधि के शासन के अधीन हैं। राज्य का कोई भी व्यक्ति, प्राधिकारी, या अंग कानून से ऊपर होने या इसका उल्लंघन करने का दावा नहीं कर सकता। सभी समान रूप से इसके अधीन हैं।
(ख) राज्य के प्रत्येक व्यक्ति और प्राधिकारी के कार्यों की वैधता का परीक्षण संविधान में निहित सर्वोपरि या मौलिक कानून के आधार पर किया जा सकता है।
(ग) ऐसे संविधान में, जैसा कि प्रो. विलिस ने अमेरिकी संविधान के संबंध में कहा है, न्यायिक अंग की सर्वोच्चता तब प्रकट होती है जब वह मौलिक या सर्वोपरि कानून की व्याख्या करता है और उसका प्रवक्ता बन जाता है जिसके संदर्भ में अन्य अंगों के सभी कार्यों की क्षमता और वैधता निर्धारित होती है। हालाँकि, यह सर्वोच्चता केवल न्यायिक क्षेत्र में सीमित है।

(iv) यद्यपि संविधान में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं है, फिर भी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की आवश्यक शक्तियों का विभाजन, निर्धारण और विनिर्देशन किया गया है। अनिर्दिष्ट और केवल निहित या ग्रहण की गई शक्तियाँ निर्दिष्ट शक्तियों को रद्द नहीं कर सकतीं।

(v) न्यायिक पर्यवेक्षण की शक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भी अंग अपने अधिकार-क्षेत्र का अतिक्रमण न करे। यह संविधान के तहत न्यायिक अंग का अनिवार्य कर्तव्य है। सभी प्रकार के अधिकार- कार्यकारी, विधायी, न्यायिक- की सीमाओं को निर्धारित करने का कर्तव्य न्यायिक अंगों में निहित है।

(vi) मौलिक अधिकारों की सुरक्षा न्यायिक अंगों की विशेष जिम्मेदारी है, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद ३२ और २२६ के तहत विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इन शक्तियों के साथ-साथ, उन पर यह विशेष दायित्व भी डाला गया है कि वे इन अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करें। यदि किसी राज्य विधानमंडल के सदन द्वारा अवमानना को दंडित करने की शक्ति के कथित प्रयोग के दौरान इन अधिकारों का उल्लंघन या असंवैधानिक आक्रमण किया जाता है, तो यह न्यायालयों के समक्ष चुनौती के लिए खुला रहेगा।

(vii) अनुच्छेद २२७ के तहत, राज्य के सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति उच्च न्यायालय को विशेष रूप से प्रदान की गई है।

(viii) चूंकि राज्य विधानमंडल द्वारा अवमानना को दंडित करना एक अर्ध-न्यायिक कार्य है, इसलिए इसकी सीमा और उचित प्रयोग न्यायिक अंग की देखरेख में होता है, और किसी भी पीड़ित व्यक्ति को इसकी सहायता लेने का अधिकार है।

(ix) जब कोई प्राधिकरण किसी शक्ति का कानूनी, न्यायसंगत और उचित तरीके से प्रयोग करता है, तो किसी परिधि का अतिक्रमण नहीं किया जाता है।

(x) न्यायिक कार्य का उद्देश्य नष्ट करना नहीं है, बल्कि प्रत्येक परिधि की सीमाओं की रक्षा और सुदृढ़ीकरण करना है और प्रत्येक परिधि के भीतर शक्तियों के सभी न्यायसंगत और सही प्रयोग की पुष्टि, सुदृढ़ीकरण और समर्थन करना है।

(xi) भारत के संविधान के अनुच्छेद १९४(३) के तहत संसदीय विशेषाधिकारों और शक्तियों की परिधि केवल उतनी ही हो सकती है, जितनी शक्ति और अधिकार की अन्य सुपरिभाषित और स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट श्रेणियों के साथ संविधान में समाहित की जा सके। इसमें ऐसे विशेष पारंपरिक नियमों के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता जो हाउस ऑफ कॉमन्स और किंग्स कोर्ट के बीच संबंधों को नियंत्रित करते थे जो कि पुराने ब्रिटिश संवैधानिक ढांचे का हिस्सा थे, जिसमें "संसद में राजा" और "राजा के न्यायालय" जैसी व्यवस्थाएँ शामिल थीं। इस प्रकार के नियम ऐसे संविधान में प्रासंगिक नहीं हो सकते, जहाँ न तो कोई राजा है और न ही राजा के न्यायालय। इसके बजाय, हमारे संविधान के तहत एक संघीय ढांचा है, जो न्यायिक सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। दूसरे शब्दों में, संविधान के अनुच्छेद १९४(३) में "हाउस ऑफ कॉमन्स के होंगे" शब्दों द्वारा निर्दिष्ट विशेषाधिकार और शक्तियाँ केवल उन अधिकारों तक सीमित हैं, जो संविधान के स्पष्ट प्रावधानों के साथ उचित रूप से सह-अस्तित्व में रह सकते हैं।

(xii) किसी राज्य का उच्च न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए एक सर्वोच्च प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। उत्तर प्रदेश विधान सभा की अपनी अवमानना को दंडित करने की अर्ध-न्यायिक कार्रवाई सहित अन्य अर्ध-न्यायिक क्षेत्रों पर उच्च न्यायालय की पर्यवेक्षण शक्ति का अस्तित्व संविधान के तहत पूर्ण रूप से मान्य और अस्वीकार न किया जा सकने वाला है।

(xiii) उच्च न्यायालय की संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग को केवल सर्वोच्च न्यायालय में अपील के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है, अन्यथा नहीं।

(xiv) ऐसे मामलों में, जहां विधानमंडल के सदनों द्वारा अवमानना को दंडित करने में क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियां की जा सकती हैं, उच्च न्यायालयों के हस्तक्षेप की शक्ति की सीमा हमारे संविधान के अनुरूप है। हालांकि, यदि पर्यवेक्षण की इस शक्ति को समाप्त कर दिया जाए, तो इससे निरंकुशता के किले खड़े हो जाएंगे, जो संविधान के अक्षर, भाव, भावना और घोषित उद्देश्यों के पूरी तरह विपरीत होंगे।

११. संविधान के अंतिम संरक्षक

भारत में, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता को सुदृढ़ता से बनाए रखते हैं, न्यायिक स्वतंत्रता इसका स्वाभाविक परिणाम है। इसका संरक्षण, अंततः, उन नागरिकों की बुद्धिमत्ता, समझ, इच्छाशक्ति और सतर्कता पर निर्भर करता है, जिन्होंने संविधान को उसके वर्तमान स्वरूप में गढ़ा और जो इसे बदलने की क्षमता रखते हैं। यदि संविधान की कानूनी सर्वोच्चता, जैसा कि उसकी प्रस्तावना में उल्लिखित महान और भव्य उद्देश्यों की पूर्ति करती है, तो यह नागरिकों के कानून के प्रति आदर और श्रद्धा पर आधारित होनी चाहिए। यह वही श्रद्धा है जिसे हमारे न्यायविदों ने "राजाओं का राजा" कहा है और यह उन लोगों के कार्य और पद के लिए सम्मान के साथ जुड़ी है जिन्हें संविधान ने इसके अर्थ की व्याख्या का दायित्व सौंपा है।

ऐसा सम्मान केवल कानून के उद्देश्यों की सही समझ से उत्पन्न हो सकता है, जो सही और गलत, न्याय और अन्याय के प्रति हमारी धारणाओं को परिभाषित करता है।

यूरोपीय न्यायविदों ने कानून के दायरे में "धर्म" या धर्म के समान एक बाध्यकारी शक्ति को व्यक्त करने के लिए विभिन्न शब्दों जैसे जस, ड्रोइट, ड्रिटो, और रेच्ट का उपयोग किया है। हालांकि, हमारी प्राचीन भारतीय कानूनी अवधारणा इन शब्दों से कहीं आगे है। यह "सदाचार" के उस सिद्धांत को अपनाती है, जिसे मोंटेस्क्यू ने अपनी कृति "एस्पिरिट डेस लोइस" में स्पष्ट किया है। यह सदाचार एक स्वस्थ लोकतंत्र को अन्य प्रकार की सरकारों से अलग करता है।

आधुनिक युग के महान विचारकों में से एक, स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा था:

"आप लोकतंत्र को सौ तरीकों से परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसकी एक परिभाषा समुदाय का आत्म-अनुशासन है। जितना कम लगाया गया अनुशासन और जितना अधिक आत्म-अनुशासन होगा, लोकतंत्र का विकास उतना ही अधिक होगा।"

इस आत्म-अनुशासन में कानून और उसके संचालन की पर्याप्त समझ से प्रेरित विचार और कार्य की सही आदतें शामिल होती हैं। जब तक ये आदतें पर्याप्त रूप से विकसित और दृढ़ता से स्थापित नहीं हो जातीं, तब तक संवैधानिक सर्वोच्चता के आधारभूत सिद्धांत खतरे से मुक्त नहीं हो सकते।

हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य की नैतिक प्रतिष्ठा और अस्तित्व इन्हीं सिद्धांतों पर टिका हुआ है। इन सिद्धांतों को आम नागरिकों द्वारा न केवल गहराई से समझा जाना चाहिए, बल्कि उनका सक्रिय रूप से बचाव भी किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें नागरिकों के कल्याण और संरक्षण के लिए ही बनाया गया है।

लॉयड लॉ कॉलेज में दीक्षांत समारोह का संबोधन
ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.) में रविवार, ५ मई, २०२४

भाषण द्वारा न्यायमूर्ति पंकज मित्तल
सर्वोच्च न्यायालय

श्री आर. वेंकटरमणि, भारत के महान्यायवादी
श्री मनोहर थैरानी, अध्यक्ष, लॉयड लॉ कॉलेज
डॉ. मोहम्मद सलीम, वरिष्ठ निदेशक एवं डीन
डॉ. अखिलेश कुमार खान, निदेशक

सम्मानित संकाय
विशिष्ट अतिथिगण
देवियों और सज्जनों और
सबसे महत्वपूर्ण, बी.ए.एल.एल.बी. (२०१६-२०२१) और एल.एल.बी. (२०१८-२०२१) के स्नातक वर्ग

मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी के साथ होने की प्रसन्नता से अभिभूत हूं।
लॉयड लॉ कॉलेज में अध्ययन के दौरान, आपने विधिक सिद्धांतों की जटिलताओं का गहनता से अध्ययन किया है, नैतिक दुविधाओं का सामना किया है, और कक्षा के बाहर भी विभिन्न सह-पाठ्यक्रम एवं अतिरिक्त-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लिया है। इनमें मूट कोर्ट, मध्यस्थता प्रतियोगिताएं, प्रारूपण और दस्तावेज लेखन, विधिक सहायता, शोध पत्र लेखन, सांस्कृतिक गतिविधियां, खेलकूद आदि शामिल हैं। आपने समाज में व्याप्त अन्याय को प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा और यह भी समझा होगा कि इन समस्याओं के समाधान में अधिवक्ताओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है।

यह दीक्षांत समारोह केवल आपकी अद्वितीय यात्रा के समापन को ही नहीं बल्कि आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत को भी दर्शाता है।

जैसा कि आप विधि विद्यालय की अपनी पांच वर्षीय यात्रा का समापन कर रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपने चारों ओर देखें और अपने शिक्षकों, मित्रों और सहपाठियों की उपस्थिति को महसूस करें। ये संबंध विधि विद्यालय में आपके समय का सबसे मूल्यवान हिस्सा हैं। आप सभी एक अनोखे अनुभव के बंधन में बंधे हैं, जिसे दोबारा पुनःनिर्मित नहीं किया जा सकता। आपके शिक्षक आपके प्रेरणास्रोत रहेंगे, और आपके सहपाठी जीवन भर के मित्र बनेंगे, जो आपके व्यावसायिक जीवन के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करेंगे।

जैसे ही आप विधि व्यवसाय में अपना रोजगार शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि विधि का अभ्यास केवल एक विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। विधि केवल नियमों का एक समूह नहीं है, जिसे याद कर लागू किया जा सके, बल्कि यह न्याय का एक जीवंत साधन है, जो मानव जीवन की दिशा को आकार देने की शक्ति रखता है।

यह मुझे मेरे पहले वाद की याद दिलाता है:

शनिवार, २८ सितंबर १९८७, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक कार्यदिवस मेरे जीवन का स्वर्णिम दिन था। मैं अपने काले चोगे में माननीय न्यायमूर्ति वी.एन. खरे (पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति, भारत) की अदालत में उपस्थित हुआ। मेरी आंखें खुली थीं, परंतु मैं कुछ भी देखने में असमर्थ था। मैं

अपने वाद के बारे में बोलता जा रहा था, और तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरा चोगा खींच रहा है। मैंने देखा कि मेरे वरिष्ठ श्री सुधीर चंद्र वर्मा, जो बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायामूर्ति और उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त बने, मुझे रुकने का संकेत कर रहे थे। न्यायालय ने विनम्रतापूर्वक उनसे पूछा कि क्या यह मेरा पहला वाद था। उनके सम्मानजनक सिर हिलाने से इसका उत्तर मिल गया। याचिका स्वीकार की गई, 'दस्ती' नोटिस जारी किए गए, और सुनवाई के लिए १८ नवंबर की तिथि निर्धारित हुई। उस दिन मैंने अनुभव किया " न्यायमूर्ति की करुणा, अधिवक्ता की तर्कशक्ति से कहीं अधिक प्रबल होती है।" महान विधिवेत्ता थर्गुड मार्शल के शब्दों में, "किसी देश की महानता का माप संकट के समय में उसकी करुणा बनाए रखने की क्षमता से होता है।"

विधिक व्यवसायियों के रूप में, आप हाशिए पर खड़े लोगों के अधिकारों की रक्षा करने, उनकी आवाज बनने, और समाज के चेहरे-विहीन सदस्यों के लिए न्याय और समानता के सिद्धांत बनाए रखने के लिए बुलाए जाएंगे। आप केवल विधि व्यवसायी नहीं होंगे, बल्कि न्याय के संरक्षक, सत्य के रक्षक, विधिक शासन के पैरोकार और संविधान के दूत होंगे।

मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपने विधिक व्यवसाय को विनम्रता, सहानुभूति और नैतिकता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के साथ अपनाएं। व्यावसायिक सफलता से अधिक, समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करें चाहे वह हाशिए पर खड़े लोगों की वकालत करना हो, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना हो, या समाज को लाभान्वित करने वाले विधिक सुधारों में योगदान देना हो। पूरी दुनिया का राजा होने से बेहतर है ईश्वर का बालक बने रहना।

दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर आप सभी को संबोधित करना मेरे लिए एक विशेष अवसर है, क्योंकि आप युवा विधिक विवेक हैं, जो हमारी न्याय वितरण प्रणाली के भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विधि का व्यवसाय मात्र विधिक ज्ञान का व्यवसाय नहीं है इसमें नैतिकता और आचार संबंधी गहरी प्रतिबद्धता भी उतनी ही आवश्यक है।

हम यह कभी नहीं भूल सकते कि न्याय की खोज सरल नहीं होती। जैसे-जैसे आप विधिक प्रणाली की जटिलताओं का सामना करेंगे, आप निश्चित रूप से निराशा, मोहभंग और संदेह के क्षणों से गुजरेंगे। लेकिन यह वही क्षण होंगे, जब आपकी न्याय के प्रति प्रतिबद्धता की असली परीक्षा होगी। ऐसे समय में आपका संकल्प और धैर्य ही आपके मार्ग को स्पष्ट करेगा।

केवल विधि में निपुण होना पर्याप्त नहीं है आपके भीतर अन्याय का सामना करने पर उसे चुनौती देने का साहस भी होना चाहिए। आखिरकार, जैसा कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, "कहीं पर भी कोई भी अन्याय, न्याय के लिए सर्वत्र जगह खतरा है।"

- इसी क्रम में, यह भी उतना ही आवश्यक है कि हम सभी व्यावसायिक नैतिकता को बनाए रखें और उसका पालन करें। व्यावसायिक नैतिकता और उच्च मानकों की महत्वपूर्णता को समझाने के लिए मैं आप सभी के साथ अपने परदादा की एक प्रेरक कहानी साझा करना चाहूंगा।

मैं एक तीसरी पीढ़ी का अधिवक्ता और दूसरी पीढ़ी का न्यायमूर्ति हूं। मेरे परदादा उस समय के कलेक्टर या शायद तत्कालीन जिला न्यायाधीश की अदालत में एक छोटे क्लर्क, पेशकार, या रीडर के रूप में कार्यरत थे। वे अधिवक्ताओं की वाक्पटुता और न्याय के प्रति उनकी सेवाओं से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपने एक पुत्र को अधिवक्ता बनाने का निर्णय लिया।

उनके सबसे बड़े बेटे, यानी मेरे दादा, ने विनम्र पृष्ठभूमि से होते हुए भी विधि की डिग्री प्राप्त की और मेरठ के जिला न्यायालयों में प्रैक्टिस शुरू की। उस समय भी मेरे परदादा न्यायालय में पेशकार या रीडर के रूप में सेवारत थे। लेकिन जैसे ही मेरे दादा ने अधिवक्ता की वेशभूषा धारण की और न्यायालय में प्रैक्टिस शुरू की, मेरे परदादा ने यह कहते हुए अपनी नौकरी छोड़ दी कि जिस न्यायालय में उनके बेटे ने वकालत शुरू की है, वहां उनका कार्य करना नैतिक रूप से उचित नहीं होगा।

ये वे मूल्य थे, जो उस समय के स्वर्णिम दिनों में अपनाए जाते थे और नैतिकता का आदर्श प्रस्तुत करते थे। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि महाविद्यालय से स्नातक होकर विधि व्यवसाय में प्रवेश करने के बाद, आप सभी ऐसी छोटी-छोटी नैतिक बातों को याद रखेंगे। ये छोटे कदम न केवल व्यक्तिगत सम्मान को बढ़ाएंगे, बल्कि पूरे विधि व्यवसाय में बड़े और सकारात्मक परिवर्तन लाने का आधार भी बनेंगे।

प्रिय विद्यार्थियों, जैसे-जैसे आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, उन सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव विकसित करें जिन्होंने आपके मार्ग में सहयोग और समर्थन किया है। प्रत्येक शैक्षणिक उपलब्धि के पीछे एक समर्पित शिक्षक होता है, जो पढ़ाने, तैयारी करने और मूल्यांकन में अपना समय और प्रयास समर्पित करता है। शिक्षक, कक्षा के भीतर और बाहर, विद्यार्थियों को शिक्षित और मार्गदर्शित करने में अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा लगा देते हैं।
इसलिए, अपने प्राध्यापकों और मार्गदर्शकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, जिन्होंने आपको विधि व्यवसाय के लिए तैयार किया है। साथ ही, अपने माता-पिता, परिवार और मित्रों के प्रति भी आभार प्रकट करें, जिन्होंने हर परिस्थिति में आपकी सहायता की है और आपको उत्कृष्टता और दृढ़ता के लिए प्रेरित किया है।

जब मैंने अपने वरिष्ठ के चेंबर में प्रवेश किया, तो उनके अनुभवी क्लर्क ने मुझे एक ऐसी सलाह दी, जो मेरे पूरे विधिक व्यवसाय में गूंजती रही। उन्होंने कहा, "विधि के क्षेत्र में उत्कृष्ट होने के लिए, व्यक्ति को धैर्य और निरंतरता विकसित करनी चाहिए। प्रति माह कम से कम एक ब्रीफ प्राप्त करने के लक्ष्य से शुरुआत करें, फिर धीरे-धीरे इसे दो और फिर उससे आगे बढ़ाएं। लेकिन, इस प्रक्रिया का असली सार अटल दृढ़ता में निहित है।"

इन गहन और व्यावहारिक शब्दों को मैंने अपने मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में अपनाया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित गलियारों में अपनी यात्रा शुरू की। हर दिन, सहनशक्ति और समर्पण के महत्व का प्रमाण बनता गया। विधिक कार्यवाही के उतार-चढ़ाव के बीच, मैंने धीरे-धीरे अपने लिए एक स्थान बनाया और साथियों व वादकारियों का सम्मान अर्जित किया।

क्लर्क की यह चेतावनी केवल व्यावसायिक सफलता के लिए एक खाका भर नहीं थी, बल्कि यह विधिक परिदृश्य के जटिल ताने-बाने का सामना करने के लिए एक गहन दर्शन बन गई। इसने मुझे यह सिखाया कि महानता कभी भी रातोंरात प्राप्त नहीं होती, बल्कि उत्कृष्टता की खोज के प्रति अटल प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयासों के माध्यम से हासिल की जाती है।

जैसे आप विधि व्यवसाय में अपनी यात्रा शुरू करते हैं, इस अमर ज्ञान को हमेशा याद रखें: आपके सामने आने वाले संपर्कों और परिस्थितियों के जटिल जाल में ज्ञान का एक अमूल्य खजाना छिपा है, जिसे बस खोजे जाने की प्रतीक्षा है। हर व्यक्ति, जिससे आपका सामना होता है चाहे वह सहकर्मी हो, वादकारी हो, या प्रतिपक्षी उनके भीतर एक सीख छिपी होती है, जिसे आपको आत्मसात करने की आवश्यकता है।

न्याय के पवित्र कक्षों में, आपको मानवीय अनुभवों का एक विशाल ताना-बाना मिलेगा। इस ताने-बाने का हर धागा एक कहानी बुनता है, जो गहरी अंतर्दृष्टि और ज्ञान से समृद्ध है। इन मुलाकातों को महज संयोग या औपचारिकता के रूप में नहीं, बल्कि गहन आत्म-विकास और समझ के अवसर के रूप में स्वीकार करें।

संवाद की इस भट्टी में, दृष्टिकोण टकराते हैं, विचारों का मेल होता है, और एक ऐसा मार्ग खुलता है जो बेहतर समझ और सहानुभूति की ओर ले जाता है। हर आदान-प्रदान, चाहे वह कितना भी क्षणिक क्यों न हो, आपके सोचने के दायरे को विस्तृत करने और मानवीय स्थितियों की आपकी समझ को गहरा करने की क्षमता रखता है।

इसलिए, प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक मुलाकात को खुले दिल और जिज्ञासु मन से अपनाएं, क्योंकि इन्हीं में विधि व्यवसाय में सीखने का वास्तविक सार निहित है। आपके चारों ओर की आवाजों की विविधता को अपनाएं, क्योंकि यही वह अनुभवों का कैलीडोस्कोप है, जिसके माध्यम से आपको सबसे सच्चा और गहन ज्ञान प्राप्त होगा।

विधि व्यवसाय केवल एक रोजगार नहीं है यह एक सद्गुण है। आपकी प्राथमिकता विधि को गहराई से सीखना, नई दृष्टि से सोचना, चिंतन करना, और अपने काम में वास्तविक उद्देश्य और संतुष्टि की खोज होनी चाहिए।

जैसे ही आप अपनी व्यावसायिक यात्रा शुरू करते हैं, अपने उद्देश्य को हमेशा स्पष्ट रखें। सत्यनिष्ठा के साथ अपने उद्देश्य को अपनाना न केवल आपको व्यक्तिगत सफलता दिलाएगा, बल्कि पूरे विधिक समुदाय की प्रतिष्ठा को भी ऊंचा करेगा।

इस संदर्भ में, मुझे हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना 'मधुशाला' से एक अक्सर उद्धृत पंक्ति याद आती है:
"अलग-अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ...
राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला"

आज, विधि के क्षेत्र में उन दिनों की तुलना में कहीं अधिक विविध अवसर उपलब्ध हैं, जब मैंने विधि का अध्ययन किया था। आप विधिक पत्रकारिता, कॉरपोरेट और वाणिज्यिक व्यवसाय, विधिक नीति निर्माण, अनुसंधान और विकास में अपना भविष्य बना सकते हैं, या सिविल सेवाओं और न्यायिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों को अपना सकते हैं। आप जो भी मार्ग चुनें, उसमें नई चीजें सीखने के लिए अपने विवेक का उपयोग करें और हमेशा बेहतर करने का प्रयास करें।

इस मोड़ पर, मैं भारतीय समाज के दृष्टिकोण से विधि को देखने के महत्व पर जोर देना चाहता हूं। हमें यह समझना होगा कि संविधान की हमारी समझ उस सामाजिक बुनावट की गहरी समझ से उपजनी चाहिए, जो हमें परिभाषित करती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों वेदों और पुराणों से प्रेरणा लेकर, हमें सामाजिक सद्भाव की ओर ले जाने वाले ज्ञान का एक समृद्ध खजाना मिलता है।

मुख्य न्यायमूर्ति के नेतृत्व में, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायशास्त्र को भारतीय संदर्भ में ढालने के एक सराहनीय प्रयास की शुरुआत की है। इस पहल के तहत, निर्णयों का हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है, ताकि वे हमारी जनसंख्या के एक बड़े वर्ग के लिए सुलभ हो सकें। अब तक, पच्चीस हजार से अधिक निर्णयों का अनुवाद किया जा चुका है, यह सुनिश्चित करते हुए कि विधिक निर्णय आम जनता के लिए अधिक स्पष्ट और समझने योग्य हों।

एआई के माध्यम से किए जा रहे निर्णयों के अनुवाद की सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए, प्रत्येक निर्णय को कुशल अनुवादकों द्वारा सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाता है। यह सटीक और व्यवस्थित प्रक्रिया विधिक समझ और अनुपालन को बढ़ाने में स्पष्टता और सटीकता की गारंटी देती है।

यह पहल हमारे देश में विधिक पहुंच और समावेशिता को बढ़ाने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। भाषाई बाधाओं को समाप्त करते हुए, न्यायपालिका नागरिकों को विधिक सिद्धांतों और पूर्व निर्णयों की गहन समझ से सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है।

आगे बढ़ते हुए, यह प्रयास न्यायपालिका की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो भारत के विविध भाषाई और सांस्कृतिक परिदृश्य को विधिक कार्यवाही के साथ समाहित और सरेखित करने की दिशा में है।

आपकी यात्रा संभावनाओं का प्रतीक है। भ्रम और आत्म-संदेह के क्षणों में, यह याद रखें कि आपने एक लंबा सफर तय किया है, और अभी आपको कई और मीलों का सफर तय करना है। धैर्य, कड़ी मेहनत, और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता ही आपको अपने व्यवसाय में वह सब हासिल करने में मदद करेगी, जो आप चाहते हैं।

याद रखें, सीखने की यात्रा यहां समाप्त नहीं होती। विधि व्यवसाय एक गतिशील क्षेत्र है जो निरंतर विकसित होता रहता है। आजीवन सीखने की प्रवृत्ति को अपनाएं, जिज्ञासु बने रहें, और विधि एवं समाज के बदलते परिदृश्यों के अनुरूप स्वयं को ढालते रहें।

समापन में, मैं आपसे कुछ उद्धृत वचन साझा करना चाहूंगा:

(i) अपने कार्य से प्रेम करें, और वही करें जो आप वास्तव में पसंद करते हैं।

(ii) जब आप अपने कार्य को पसंद करते हैं, तो प्रत्येक दिन एक उत्सव बन जाता है।

जैसा कि आप इस संस्थान से ज्ञान, जुनून, और न्याय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से प्रत्येक विश्व में सकारात्मक परिवर्तन की एक सशक्त शक्ति बनेगा।

बी.ए. एल.एल.बी. (२०१६-२०२१) और एल.एल.बी. (२०१८-२०२१) के सभी स्नातकों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। आपका व्यावसायिक जीवन उद्देश्यपूर्ण हो, आपका हृदय करुणा से भरा हो, और आपका जीवन न्याय की निरंतर खोज से प्रेरित हो। आप जहां भी रहें, ईश्वर सदैव आपके साथ हो।

धन्यवाद!

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय डॉ न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के विदाई भाषण के कुछ अंशो का हिंदी अनुवाद

(जिनमें उन्होंने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायलय के अनुभवों को साझा किया है)

"हम प्रवासी पक्षी की तरह हैं जो अपना काम करके चले जाते हैं"

२९ मार्च, २००० को बॉम्बे उच्च न्यायलय के न्यायमूर्ति के रूप में अपना कार्यकाल प्रारम्भ करते हुए श्री धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी, मार्च २००० से अक्टूबर २०१३ तक की अवधि में, महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी के निदेशक भी थे। वे २४ अप्रैल, २०२१ से भारत के उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के भाग थे, जो भारत के उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च न्यायालय के पाँच सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक निकाय है।

१७ अक्टूबर, २०२२ को उन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश नामित किया गया और उस समय के मुख्य न्यायाधीश श्री उदय उमेश ललित के सेवानिवृत्त होने के बाद, ९ नवंबर, २०२२ को सर्वोच्च न्यायलय के ५०वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले माननीय चंद्रचूड़ मई २०१६ में सर्वोच्च न्यायलय के न्यायमूर्ति नियुक्त हुए थे।

उनका संबंध इलाहाबाद उच्च न्यायलय से यहाँ के मुख्य न्यायाधीश के रूप में था, जिनका कार्यकाल २०१३ से २०१६ तक था। २०१३ में वो बॉम्बे उच्च न्यायलय के न्यायमूर्ति के पद से इलाहाबाद उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे।

१० नवम्बर, २०२४ को माननीय न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना कार्य काल समाप्त किया और अपने विदाई भाषण में उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायलय की अपनी यादों और अनुभवों को साझा किया।

विदाई भाषण के अंशों मे इलाहाबाद में उनके अनुभव का हिंदी अनुवाद

"जब मुझे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, तो मुझे पहले बधाई दी गई क्योंकि मुझे बताया गया था कि मैं दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने वाला हूँ। लेकिन यह कॉलेजियम की कार्यप्रणाली में मेरी अंतर्दृष्टि की शुरुआत थी। किसी कारण से वह दिल्ली उच्च न्यायालय की नियुक्ति कभी नहीं हुई, चाहे वह अच्छा हो या बुरा या उदासीन कारण हो। फिर मुझे बताया गया कि मैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने वाला हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने कल्पना को बताया कि हम मध्य प्रदेश के अच्छे स्थलों की यात्रा कर सकेंगे और हमारे रिश्तेदार मध्य प्रदेश को बहुत देख सकेंगे। लेकिन वह भी नहीं हुआ। एक शाम हम मुंबई में एक रात्रि भ्रमण के लिए घर से निकले थे, तब न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा का फोन आया और उन्होंने कहा, "हम आपको इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भेज रहे हैं।" जब मैंने अपनी पत्नी को बताया कि मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाला हूँ, तो बाकी यात्रा में लंबी शांति रही। हमने बिल्कुल मौन में भोजन किया। फिर मैं घर लौटा और भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा कि मैं इस नियुक्ति को स्वीकार करता हूँ और इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाकर प्रसन्न होऊँगा। लेकिन इलाहाबाद में मेरे अनुभव ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। इसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया।मुंबई में बड़े होते हुए, हम अच्छे रेस्तरां जाने के शौकीन थे। न्यायाधीश होने के नाते, हम यूएस क्लब जैसे सेवा क्लबों के सदस्य थे। यूएस का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, बल्कि सेना, नौसेना और वायु सेना द्वारा संचालित संयुक्त सेवा क्लब था। जब हम इलाहाबाद गए, तो हमने महसूस किया कि शहरी जीवन के ये पहलू इलाहाबाद में अब उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन उस छोटे से घोंसले में, जिसे हमने अपना घर बनाया, हमने समझा कि जीवन में खुश रहने के लिए कितनी कम चीजों की आवश्यकता होती है। कल्पना और मैंने उसे अपना घर बनाया और हमने उसमें अपना सर्वस्व दे दिया। इलाहाबाद की सादगी, वकीलों की सादगी, उन न्यायाधीशों की गर्मजोशी, जिनमें बड़े शहरों की कृत्रिमता नहीं थी, ने मुझे भारत के हृदय, उत्तर प्रदेश के जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाया।

मैंने उत्तर प्रदेश के कोने-कोने में यात्रा की, न्यायपीठ पर महान मित्र बनाए, न तो

न्यायपीठ के बाहर, क्योंकि एक न्यायाधीश के रूप में आप न्यायपीठ के बाहर अलग-थलग हो जाते हैं। लेकिन इलाहाबाद ने मुझे वास्तव में बहुत कुछ सिखाया। यह १६० न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या वाला एक न्यायालय था। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश ठाकुर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के शताब्दी समारोह में आए और मैंने उन्हें उस समय के मेरे ११७ न्यायाधीशों से परिचित कराया, तो उन्होंने कहा, "मुख्य न्यायाधीश, आपने मुझे गलत सिद्ध कर दिया है।"

वह पटना से आए थे जहाँ एक उत्सव चल रहा था। और उन्होंने कहा, "आपने मुझे गलत सिद्ध कर दिया है।" मैंने कहा, "महोदय, मैंने आपको कैसे गलत सिद्ध किया?" उन्होंने कहा, "मैंने बस कहा था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इतने न्यायाधीश हैं कि मुख्य न्यायाधीश उनके नाम तक नहीं जानता, और आप अपने हर सहयोगी के नाम जानते हैं।"

वास्तव में, मैंने उन्हें जो नहीं बताया, वह रहस्य यह था कि मेरे पास न्यायाधीशों की एक फोटो एल्बम थी। हर सुबह अपनी चाय पीते समय, मैं एक हाथ से नाम ढक देता और फोटो देखता। लगभग एक महीने में, मैं सभी नाम जान गया। न्यायाधीशों के नाम समझने का एक और बेहतर तरीका था। सुबह की चाय के दौरान, मैं सभी सहयोगियों से बातचीत करता। कोई सहयोगी कहता, "चीफ साहब, हम रविवार को ८० किलोमीटर मोटरसाइकिल पर गए थे।" इस तरह मैं समझ जाता कि यह वही सहयोगी है जो रविवार को ८० किलोमीटर मोटरसाइकिल पर गया था। फिर उसका नाम याद कर लेता।अधिक दिलचस्प बात यह थी कि जब राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की पुष्टि नहीं हो रही थी। मेरे कुछ सहयोगियों का कार्यकाल अगले दिन समाप्त होने वाला था। फाइल राष्ट्रपति महोदय श्री प्रणव मुखर्जी के पास थी। मुझे रजिस्ट्रार जनरल से एक तात्कालिक फोन आया। उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति भवन से एक न्यायाधीश के नाम में रोमन ४ लिखा है। राष्ट्रपति जानना चाहते हैं कि इस न्यायाधीश को रोमन IV क्यों कहा जा रहा है? पहले तीन कहाँ हैं?" उदाहरण के लिए, यदि किसी न्यायाधीश का नाम धनंजय चंद्रचूड़ IV है, तो I, II और III कहाँ हैं? इसलिए हमें वापस पुनर्विचार करना पड़ा और पता लगाना पड़ा कि वे अभी भी सेवा में हैं या नहीं, क्योंकि एक ही नाम के कई न्यायाधीश थे।

बार के साथ संबंध

मुझे बताया गया था कि इलाहाबाद के बार को संभालना बहुत कठिन है। लेकिन **इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बार** के बारे में मेरा अनुभव बिल्कुल विपरीत था। यह एक अद्भुत सौहार्द्रपूर्ण, अत्यंत सम्मानजनक बार था। इलाहाबाद के वकीलों ने मुझे सिखाया कि जब तक आप बार के प्रति निष्पक्ष रहते हैं, वे आपकी हर कमी को स्वीकार कर लेते हैं। जब आप अपनी कलम उठाते और अपने स्टेनो की ओर मुड़ते, तो वे "धन्यवाद माय लार्ड" कह देते। वे अपने पक्ष को अधिक जोर नहीं देते थे। यह वह बार था जो न्यायपालिका का समर्थन करने के लिए तैयार था, न्यायाधीशों का समर्थन करने को उत्सुक था, हमारे काम का अत्यधिक समर्थन करता था और बार में हमारे द्वारा लाए जा रहे परिवर्तनों को स्वीकार करता था। मेरे कुछ अनुभवी सहयोगी थे, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ यहाँ मौजूद हैं, इसलिए यदि मुझे कोई समस्या होती, तो मैं हमेशा अपने अनुभवी सहयोगियों से कहता, "हाँ, हड़ताल समाप्त करो।" और निश्चित रूप से हड़ताल समाप्त हो जाती।नि:संदेह, मेरे पास इलाहाबाद में भी हड़तालों का अनुभव था और कभी-कभी आप सोचते हैं कि क्या मैं वास्तव में इस हड़ताल के लिए जिम्मेदार था? आप जानते हैं, एक बात जिसके बारे में मुझे पूरा विश्वास है कि वकीलों की हड़तालें एक कारण से शुरू होती हैं, लेकिन फिर पाँच-छह अन्य कारणों तक चली जाती हैं जो मूल कारण से संबंधित नहीं थे। अक्सर वकील शाम के चार बजे मेरे कक्ष में अकड़ कर आते और अदालत में हुई किसी घटना की शिकायत करते।

इसलिए मैं उन्हें एक कप चाय पिलाता और वे कहते, "चीफ साहब, यह बात नहीं बन रही है, आपको कुछ करना होगा।" मैं कहता, "दुश्मनी तो चाय के साथ नहीं है न।" हम बैठ कर चाय पीते, बातचीत करते। मुझे लगता है कि इलाहाबाद में सीखे गए ये सबक मुझे सर्वोच्च न्यायालय तक ले गए। जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या एस.सी.ओ.आर.ए. के सदस्य आते, तो मैं जानता था कि मैं हर मुद्दे का समाधान नहीं कर सकता जो वे उठाते हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से उन्हें धैर्यपूर्वक सुन सकता था।

उद्धरण :
https%//en-wikipedia-org/wiki/Dhananjaya_Y-_Chandrachud
https%//singjupost-com/transcript&chief&justice&dy&chandrachuds&farewell&speech/\singlepage¾1
https%//navbharattimes-indiatimes-com/india/i&chandrachud&s,vkbZd&in&his&farewel
l&speech&we&are&like&migratory&birds&who&finish&their&work&and&go&away/
articleshow/115103362-cms

बेंच से बॉट तक - आधुनिक अदालती कार्यवाही में एआई की भूमिका

द्वारा सुश्री सिमरन यादव

सारांश

कानूनी प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में, अदालती प्रक्रियाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग निर्णय लेने में सटीकता, पहुंच और दक्षता को बढ़ाता है। यह शोध पत्र अदालती कार्यवाही में एआई के विभिन्न उपयोगों, जैसे निर्णय समर्थन प्रणाली, कानूनी अनुसंधान, साक्ष्य विश्लेषण और मामले प्रबंधन की विवेचना करता है। एआई-संचालित समाधान दोहराए जाने वाले कार्यों, जैसे शेड्यूलिंग और दस्तावेज प्रबंधन को सुव्यवस्थित कर, कानूनी पेशेवरों को अधिक जटिल कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाते हैं। जहां चैटबॉट और वर्चुअल सहायक कानूनी सलाह की पहुंच को व्यापक बनाते हैं, वहीं भविष्यवाणी विश्लेषण (प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स) और जोखिम मूल्यांकन एल्गोरिदम मामलों के संभावित परिणामों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आधुनिकीकरण के रूप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम (भारतीय साक्ष्य अधिनियम) एआई-संचालित फोरेंसिक विश्लेषण की कानूनी स्वीकार्यता के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। डीएनए विश्लेषण, चेहरे की पहचान और डिजिटल फोरेंसिक के लिए एआई उपकरणों को कठोर कानूनी मानकों को पूरा करना चाहिए, जिसमें अदालत में एआई-जनित साक्ष्य को चुनौती देने के लिए तंत्र शामिल हैं। अदालती प्रक्रियाओं में एआई के उपयोग में इसकी संभावनाओं के बावजूद गंभीर नैतिक, कानूनी और व्यावहारिक मुद्दे शामिल हैं। एल्गोरिथमिक पूर्वाग्रह, जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर चिंताओं के मद्देनजर मजबूत नियामक ढांचे का होना अत्यंत आवश्यक है। संवेदनशील कानूनी जानकारी की सुरक्षा और डेटा गोपनीयता भी महत्वपूर्ण चिंताएँ बनी हुई हैं। तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से, यह शोध पत्र इन मुद्दों का विश्लेषण करता है और भारतीय, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिकी कानूनी प्रणालियों में एआई के उपयोग का अवलोकन करता है। यह एआई की उपलब्धियों और कमियों को उजागर करते हुए, निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार और व्यापक कानूनी प्रणाली पर इसके प्रभाव का संतुलित आकलन प्रस्तुत करता है।

एआई की क्षमता का उचित उपयोग करने के लिए, पेपर का निष्कर्ष कानूनी विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकीविदों और विधायकों के बीच अंतःविषय सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। नैतिक मानदंड बनाना, पूर्वाग्रह कम करने की तकनीकों को व्यवहार में लाना और न्यायपालिका के हितधारकों को प्रशिक्षित करना कुछ सिफारिशें हैं। भले ही एआई में कानूनी कार्यवाही को पूरी तरह से बदलने की क्षमता है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक कैलिब्रेट किया जाना चाहिए कि प्रौद्योगिकी में नए विकास न्याय, इक्विटी और खुलेपन के मूल्यों के साथ संरेखित हों। इस अध्ययन का लक्ष्य दुनिया भर में कानूनी प्रणालियों में एआई के समावेश से जुड़ी चुनौतियों को समझने और हल करने के लिए एक संपूर्ण रूपरेखा प्रदान करना है।

१.परिचय

आधुनिक युग में डेटा केवल ईंधन नहीं है। यह वह चिंगारी है जो प्रगति को प्रज्वलित करती है। "अदालत सिर्फ न्यायिक निर्णय का स्थान नहीं है, बल्कि यह एक सूचना केंद्र भी है। बाहरी जानकारी एकत्रित, छांटी और प्रस्तुत करने के लिए अदालत में लाई जाती है। एक बार प्रस्तुत होने के बाद, विभिन्न व्याख्यात्मक सिद्धांतों को तथ्य निर्धारक के समक्ष तर्क दिया जाता है, जो फिर निर्धारित नियमों (जो न्यायाधीश द्वारा अनुसंधान, विश्लेषण और व्याख्या के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं) के अनुसार डेटा का विश्लेषण करता है और एक निर्णय तथा परिणाम निर्धारित करता है। इस परिणाम को, अक्सर सहायक परिणामों के साथ, आवश्यकतानुसार पूरे कानूनी तंत्र में प्रसारित किया जाता है। इस प्रकार, अदालत एक जटिल सूचना आदान-प्रदान और प्रबंधन प्रणाली का केंद्र है। अंततः, क्योंकि वकील और न्यायाधीश निरंतर 'डेटा' से संबंधित होते हैं, उच्च-प्रौद्योगिकी से युक्त अदालतें अस्तित्व में हैं और आभासी अदालतें भी संभव हैं। मुकदमेबाजी दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक विवाद है, जिसे तर्क के बाद एक न्यायाधीश, जूरी या मध्यस्थ द्वारा हल किया जाता है, आमतौर पर वकील द्वारा। विवाद में तथ्यों को साबित करने के लिए, वकील सबूत पेश करते हैं। गवाहों को बुलाया जाता है, उनके वृत्तांतों को सुना जाता है और उनके आचरण का अध्ययन किया जाता है। भौतिक साक्ष्य पर विचार किया जाता है- भौतिक वस्तुएं, तस्वीरें, योजनाएं, कार्यक्रम और वीडियो साक्ष्य पर विचार किया जाता है।"

परिचय

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि "एक मशीन को इस तरह से कार्य करने की अनुमति देना, जैसा कि यदि कोई मानव उसी प्रकार कार्य करे तो उसे बुद्धिमान कहा जाएगा।" हाल ही में, भारतीय न्यायपालिका में ८ नवंबर २०२४ को एक असाधारण विकास देखा, जिसमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय और अभिलेखागार (एनजेएमए) में एक एआई वकील से बातचीत की। चंद्रचूड़ ने एआई वकील से पूछा कि क्या भारत में मृत्यु दंड संवैधानिक है। एआई वकील ने उत्तर दिया, "हाँ, भारत में मृत्यु दंड संवैधानिक है। यह उन दुर्लभतम मामलों के लिए आरक्षित है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया है, जहाँ अपराध अत्यंत जघन्य होता है और ऐसी सजा की आवश्यकता होती है।"

भारतीय न्यायिक प्रणाली में एआई के एकीकरण की दिशा में पहला कदम २००७ में 'ई-कोर्ट परियोजना' की घोषणा के साथ उठाया गया था, , जो राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना की एक पहल थी। तब से भारतीय न्यायपालिका, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट, ने अपनी कार्यप्रणाली में एआई को शामिल करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट एआई समुदाय का गठन २०१९ में किया गया था। उसी वर्ष, सर्वोच्च न्यायालय ने अपना पहला एआई पोर्टल, 'सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी' (SUPACE) लॉन्च किया, जो मशीन लर्निंग (एमएल) का उपयोग करके बड़ी संख्या में मामलों के डेटा को प्रबंधित करता है। इसी प्रकार, सुवास (सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर) नामक एक भाषा अनुवाद एआई टूल लॉन्च किया गया, जो न्यायिक दस्तावेजों का अंग्रेजी से देश की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करता है। कोविड-१९ महामारी के दौरान भारतीय न्यायिक प्रणाली में उल्लेखनीय डिजिटाइजेशन देखा गया, क्योंकि देश की शीर्ष अदालतों ने ई-फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालती कार्यवाही को संचालित करना शुरू किया।

'ई-कोर्ट परियोजना' के तहत, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) को भी २०११ से चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया। पहले चरण में एनजेडीजी की स्थापना की गई, जबकि दूसरे चरण की शुरुआत २०१७ में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के डेटा के कम्प्यूटरीकरण के लिए की गई। उच्च न्यायालयों के लिए एनजेडीजी का शुभारंभ श्री के. के. वेणुगोपाल द्वारा ३ जुलाई २०२० को किया गया। सुप्रीम कोर्ट का डेटा भी २०२३ से इस पोर्टल पर उपलब्ध है।

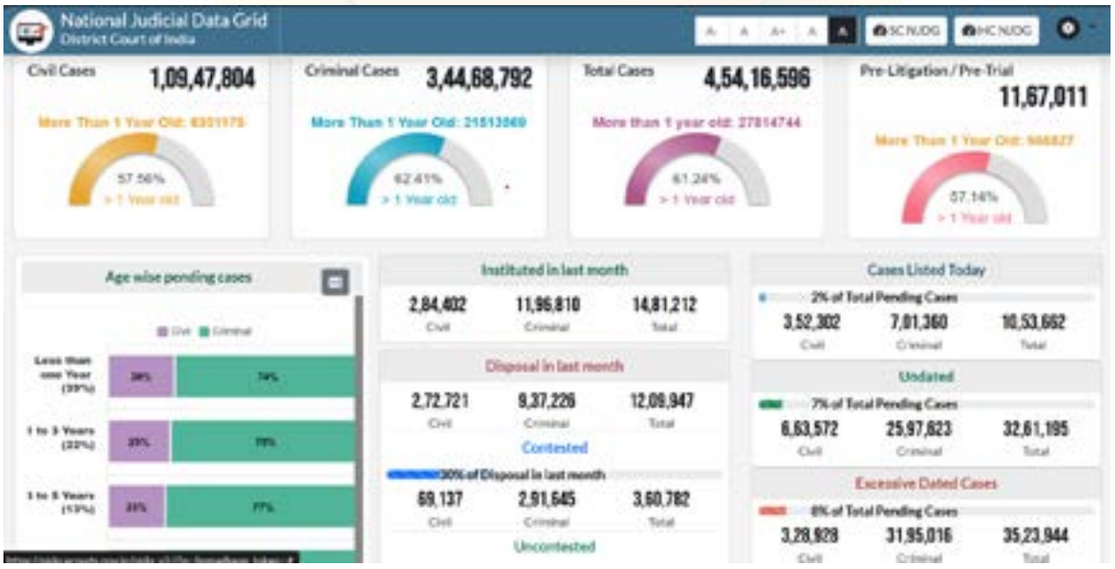

स्रोत: एनजेडीजी - राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड

इन लाभों के बावजूद, अदालती प्रक्रियाओं में एआई के आवेदन के साथ गंभीर नैतिक और कानूनी मुद्दे हैं। इसका अनुप्रयोग एल्गोरिदम पूर्वाग्रह, पारदर्शिता की कमी और डेटा गोपनीयता के संभावित जोखिमों जैसी समस्याओं से बाधित है। उदाहरण के लिए, विकृत ऐतिहासिक डेटा पर शिक्षित एल्गोरिदम, अनजाने में व्यवस्थित भेदभाव को सुदृढ़ कर सकते हैं, इसलिए न्याय और निष्पक्षता के मूल्यों से समझौता कर सकते हैं। इसके अलावा, एआई- सहायता प्राप्त निर्णयों में जवाब देही के बारे में अभी भी अनुत्तरित समस्याएं हैं, खासकर जब उन निर्णयों में लोगों के जीवन को बदलने की क्षमता हो।

न्याय प्रणालियों में एआई के दोहरे चरित्र - इसके परिवर्तनकारी वादे और इसके द्वारा प्रस्तुत बाधाओं - की जांच इस लेख में की जाएगी। इस अध्ययन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मामलों के अध्ययन और नियामक ढांचे की जांच करके नैतिक मानदंडों और कानून के शासन का सम्मान करते हुए अदालत के आधुनिकीकरण में एआई की भूमिका का उचित मूल्यांकन करना है।

२.अदालती कार्यवाही में एआई का उपयोग

स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं में अक्षमताओं के रचनात्मक उत्तर प्रदान करके, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अदालती कार्यवाही को बदल रही है। इसके उपयोग कानूनी प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं में सटीकता, पहुंच और दक्षता में सुधार करते हैं।

मामला प्रबंधन नियमित प्रशासनिक कार्य, जैसे सुनवाई की तिथियाँ निर्धारित करना, समय सीमा का पालन करना और मामले का दस्तावेजीकरण करना, अक्सर एआई प्रणालियों द्वारा स्वचालित किए जाते हैं। एआई मैन्युअल हस्तक्षेप को समाप्त करके लिपिकीय त्रुटियों को कम करता है और मामले के प्रवाह प्रबंधन को बेहतर बनाता है, विशेष रूप से उन प्रणालियों में जो बैकलॉग से ओवरलोडेड हैं। उदाहरण के लिए, एआई-संचालित समाधान डॉकेटिंग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि मामलों को समय पर और कुशलतापूर्वक निपटाया जाए।

भर्ती प्रक्रिया को परिष्कृत करना भर्ती एक बुनियादी आवश्यकता और एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। क्योंकि भर्तीकर्ताओं को किसी भी दिन विभिन्न पदों के लिए कई उम्मीदवारों से निपटना होता है, प्रारंभिक साक्षात्कार से लेकर प्रस्ताव पत्र भेजने तक भर्ती प्रक्रिया कठिन होती है। सांस्कृतिक या व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ आवेदक चुनना एक और भर्ती चुनौती है। बड़ी संख्या में रिज्यूमे को स्कैन और विश्लेषण करके, उम्मीदवार पोर्टफोलियो की नौकरी विनिर्देशों से तुलना करके, और आवेदकों को निष्पक्ष रूप से प्राथमिकता देकर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) भर्ती प्रक्रिया को बढ़ा और तेज कर सकती है। इस तरह, एआई आवेदकों का चयन करने में टीमों की सहायता करता है और गारंटी देता है कि सबसे योग्य व्यक्ति उपलब्ध पदों पर कब्जा कर लेते हैं।

साक्ष्य विश्लेषण

साक्ष्य की प्रक्रिया में एआई का उपयोग क्रांतिकारी है। डिजिटल फोरेंसिक्स, चेहरे की पहचान डेटा और अंगूठे के निशान उन फोरेंसिक साक्ष्यों के उदाहरण हैं जिन्हें उन्नत एल्गोरिदम द्वारा सटीक रूप से विश्लेषित किया जा सकता है। एआई की यह क्षमता कि वह जटिल डेटा की बड़ी मात्रा को तेजी से संसाधित कर सकता है, साक्ष्य विश्लेषण की सटीकता को बढ़ाता है और मुकदमे की तैयारी को त्वरित करता है। इसके अतिरिक्त, वकील और न्यायाधीश ऐसे उपकरणों से काफी लाभान्वित होते हैं, जैसे प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP), जो बड़े कानूनी दस्तावेजों या गवाही से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने में मदद करता है।

भविष्यवाणी विश्लेषण

कानूनी विशेषज्ञ एआई की भविष्यवाणी क्षमता के कारण पिछले डेटा और प्रवृत्तियों के आधार पर संभावित मामले के परिणामों का मूल्यांकन कर सकते हैं। न्यायाधीश और वकील भविष्यवाणी विश्लेषण तकनीकों का उपयोग करके मामले के परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं, आपराधिक या नागरिक मामलों में संभावित जोखिम कारकों का निर्धारण कर सकते हैं, और सजा की सीमा का अनुमान लगा सकते हैं। यह अच्छी तरह से सूचित निर्णय लेने को बढ़ावा देता है, लेकिन यह पिछले डेटा पर अत्यधिक निर्भरता पर सवाल भी उठाता है, जिसमें पूर्वाग्रह हो सकते हैं।

सजा और निर्णय समर्थन

सजा और जमानत सुनवाई के दौरान, एआई न्यायाधीशों को डेटा-आधारित अंतर्दृष्टियाँ प्रदान करता है। ये एल्गोरिदम अपराध की गंभीरता, आरोपी का इतिहास और पुनर्वास की संभावना जैसे चर (वेरिएबल्स) का विश्लेषण करते हैं ताकि न्यायसंगत और सुसंगत परिणाम प्रदान किए जा सकें। हालांकि, एल्गोरिथमिक सुझावों में पूर्वाग्रह को लेकर नैतिक चिंताओं के कारण कड़े नियंत्रण की आवश्यकता होती है।

कानूनी अनुसंधान

अदालती कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण घटक कानूनी अनुसंधान है, जो अक्सर प्रासंगिक विधियों, केस कानूनों और कानूनी मिसालों का पता लगाने की श्रमसाध्य प्रक्रिया पर जोर देता है। इस प्रक्रिया को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा बदल दिया गया है, जिसने इसे तेज, अधिक सटीक और उपयोगकर्ताओं के एक बड़े समूह के लिए उपलब्ध कराया है। एआई- संचालित कानूनी अनुसंधान उपकरणों के परिणामस्वरूप कानूनी सामग्री तक कानूनी चिकित्सकों की पहुंच और विश्लेषण बदल रहा है।

एनएलपी का उपयोग एआई-संचालित कानूनी अनुसंधान प्लेटफार्मों जैसे वेस्टलॉ एज और लेक्सिसनेक्सिस द्वारा प्रभावी ढंग से प्रासंगिक विधियों, केस कानूनों और मिसालों को खोजने के लिए किया जाता है। कानूनी डेटाबेस की खोज में मैन्युअल रूप से कम समय बिताने के परिणामस्वरूप वकील अधिक उत्पादक होते हैं।

वर्चुअल कानूनी सहायक और चैटबॉट्स

वर्चुअल सहायक और चैटबॉट्स, जो एआई द्वारा संचालित होते हैं, बढ़ते हुए कानूनी जानकारी और बुनियादी कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए litigants (वादियों) का उपयोग किए जा रहे हैं। ये प्रणाली, जो विशेष रूप से अल्पसंख्यक समूहों में, जिनके पास पेशेवर कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए पैसे नही होते, उन्हें प्रारंभिक सलाह प्रदान करती हैं, न्याय की पहुंच को लोकतांत्रिक बनाती हैं।

अदालती प्रक्रियाओं में एआई का उपयोग कानूनी प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये न्याय और निष्पक्षता को बढ़ावा दें, न कि उसे कम करें, इनका उपयोग नैतिक मुद्दों और तकनीकी प्रगति के बीच एक संतुलन बनाकर किया जाना चाहिए।

३.अदालती प्रक्रियाओं में एआई के लाभ

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ने अदालती कार्यप्रणाली को पूरी तरह से बदल दिया है, इसके द्वारा दक्षता, पहुंच और निष्पक्षता में सुधार के कई लाभ प्राप्त हुए हैं। ये लाभ स्थापित संरचनाओं को बदल रहे हैं ताकि समकालीन न्याय की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। जैसे वकील, न्यायाधीश भी एआई-संचालित उपकरणों का उपयोग करके किसी मामले के कुछ हिस्सों को गति प्रदान कर सकते हैं, जो अंततः निर्णय लेने में लगने वाले समय को कम कर देगा। न्यायाधीशों के लिए, यह तेज और अधिक प्रभावी मुकदमा प्रक्रिया संभव बना सकता है, जिससे मामलों के लंबित रहने की अवधि में कमी आएगी।

दक्षता और कम बैकलॉग

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)तकनीकों के द्वारा अदालती प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक समय और धन में भारी कमी आती है। कोर्ट कर्मचारियों और कानूनी पेशेवरों को महत्वपूर्ण समय बचाने का अवसर मिलता है, क्योंकि वे दोहराए जाने वाले कार्यों, जैसे सुनवाई की तिथियाँ निर्धारित करना, मामले के रिकॉर्ड व्यवस्थित करना और अनुस्मारक भेजना, को स्वचालित कर सकते हैं। इस सुव्यवस्थित प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, अदालतें मामलों की अधिक संख्या को कुशलतापूर्वक कर पाती हैं, जिससे मामलों के बैकलॉग में कमी आती है। उदाहरण के लिए, उन न्यायक्षेत्रों में जहां प्रशासनिक बाधाओं के कारण ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण देरी होती थी, एआई-संचालित केस प्रबंधन समाधान ने सफलता दिखाई है। उद्देश्य यह है कि न्यायिक संसाधनों की प्रभावशीलता को अधिकतम किया जाए, न्याय क्षेत्रीय संसाधनों को बचाया जाए और मामले से संबंधित कर्मचारियों को जटिल और कठिन मामलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया जाए।

बेहतर निर्णय-निर्माण

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)डेटा के आधार पर अंतर्दृष्टि और सुझाव देकर अदालत के फैसलों की सटीकता में सुधार करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कंप्यूटर मानव त्रुटि को कम करने, सजा और जमानत सुनवाई जैसे क्षेत्रों में केस-विशिष्ट विचारों के आधार पर लगातार परिणामों की सिफारिश करने के लिए विशाल डेटासेट का मूल्यांकन कर सकते हैं। जब व्यक्तिपरक पूर्वाग्रहों द्वारा लाए गए वाक्य विसंगतियों को ठीक करने की बात आती है, तो यह स्थिरता काफी मददगार होती है। एआई के उपयोग के साथ, समानांतर मामलों में असमान निर्णय और कानून के असंगत उपयोग की समस्याओं से यथासंभव बचा जा सकता है, जो क्षेत्रीय कानूनी मानदंडों के सामंजस्य और भेदभावपूर्ण फैसलों से बचने के लिए फायदेमंद है।

अभियोजन पक्ष के दावों कि याचिकाकर्ता एक शातिर, घातक हमले में शामिल था, ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को जसविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में जमानत अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। क्रूरता से जुड़े मामलों में जमानत देने पर व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए, पीठासीन न्यायाधीश ने चौटजीपीटी से राय मांगी। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ट्रायल कोर्ट इन टिप्पणियों को ध्यान में नहीं रखेगा और चैटजीपीटी का यह उल्लेख मामले के गुण-दोष पर कोई दृष्टिकोण व्यक्त नहीं करता है। संदर्भ का एकमात्र लक्ष्य पाठकों को जमानत कानून की अधिक व्यापक समझ

देना था जहां क्रूरता शामिल है।

लागत प्रभावशीलता

एआई तकनीकों द्वारा न्यायिक प्रक्रियाओं की परिचालन लागत कम हो जाती है। एआई मैनुअल प्रक्रियाओं और खींचे गए परीक्षणों की आवश्यकता को कम करके अदालतों और वादियों पर वित्तीय तनाव को कम करता है। किफायती एआई समाधान संसाधन प्रबंधन में सुधार करके, विशेष रूप से न्यायिक प्रणालियों और छोटे दावों की अदालतों को कम करने में मदद करते हैं। नियमित कानूनी प्रक्रियाओं को स्वचालित करना, जैसे दस्तावेज प्रसंस्करण और परीक्षा, मुकदमेबाजी की लागत को कम कर सकती है। इसके परिणामस्वरूप अदालत प्रणाली के साथ-साथ वादियों के लिए पर्याप्त लागत बचत हो सकती है।

न्याय की पहुंच में वृद्धि

एआई कानूनी संसाधनों तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाता है, विशेष रूप से उन समूहों और व्यक्तियों के लिए जिनके पास वकील रखने के लिए वित्तीय साधन नहीं होते। स्व-प्रतिनिधित्व करने वाले वादी चैटबॉट्स और वर्चुअल कानूनी सहायक के माध्यम से कानूनी प्रणाली को पार कर सकते हैं, जो बुनियादी कानूनी सलाह प्रदान करते हैं। यह पहुंच न्याय की दीवारों को घटाती है और हाशिए पर मौजूद समुदायों को सशक्त बनाती है।

भारतीय न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में एआई की मदद से कमी लाई जा सकती है। क्योंकि ये तकनीकें बड़े पैमाने पर कानूनी दस्तावेजों से महत्वपूर्ण जानकारी तेजी से ढूंढ सकती हैं, न्यायाधीश और वकील अधिक आसानी से डेटा का अध्ययन, मूल्यांकन और व्याख्या कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप, विवादों का समाधान अधिक तेजी से हो सकता है, जिससे मामलों को निपटाने में लगने वाला समय कम हो सकता है। इससे अदालतों की लागत बच सकती है और आम जनता के लिए मुकदमेबाजी की लागत में भी कमी आ सकती है।

तेज और अधिक सटीक साक्ष्य विश्लेषण

जटिल डेटासेट को संसाधित करके - जैसे फोरेंसिक, डिजिटल और वित्तीय साक्ष्य दृ पारएआईरिक तकनीकों की तुलना में अधिक सटीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) साक्ष्य विश्लेषण को गति देती है। एआई वकीलों और न्यायाधीशों को रुझानों को देखकर और तेजी से महत्वपूर्ण जानकारी निकालकर मामलों को बेहतर ढंग से तैयार करने में सहायता करता है। जटिल मुकदमेबाजी में, जहां साक्ष्य की मात्रा पारएआईरिक प्रक्रियाओं को अभिभूत कर सकती है, यह क्षमता आवश्यक है।

तुलनीय ऐतिहासिक मामलों की जांच करके और मानकीकृत सिफारिशों की पेशकश करके, एआई सिस्टम स्थिरता को प्रोत्साहित करते हैं। यह स्थिरता गारंटी देती है कि न्यायिक प्रक्रियाओं को व्यक्तिपरक राय के बजाय तथ्यों और उदाहरणों द्वारा सूचित किया जाता है, जो मनमाने फैसलों की संभावना को कम करता है।

एआई अक्षमताओं को हल करके और अदालतों को अत्याधुनिक संसाधनों से लैस करके न्यायिक सेवाओं की क्षमता और प्रावधान में सुधार करता है। भले ही कई फायदे हैं, फिर भी एआई के उपयोग को कानूनी ढांचे के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है ताकि यह गारंटी दी जा सके कि इन तकनीकों को नैतिक और समझदारी से लागू किया जाए।

३. ई. चुनौतियां और नैतिक चिंताएं

बौद्धिक नकल केवल कृत्रिम बुद्धि का प्रारंभिक चरण है। संसाधनों के साथ भी, एआई दृष्टिकोण लागू करना कठिनाइयों को प्रस्तुत करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जिसके दो पहलू हैं, परमाणु विखंडन की तरह, जो या तो शहरों को रोशन कर सकता है या उन्हें नष्ट।

एल्गोरिदम पूर्वाग्रह

एआई प्रणालियों में पूर्वाग्रह की संभावना सबसे गंभीर मुद्दों में से एक है। क्योंकि एल्गोरिथम उतने ही वस्तुनिष्ठ होते हैं जितने कि उस पर प्रशिक्षित डेटा, ये ऐतिहासिक डेटा (जैसे जातीय या लिंग आधारित असमानताएँ) में मौजूद प्रणालीगत पूर्वाग्रहों को सुदृढ़ कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपराधिक न्याय जोखिम मूल्यांकन उपकरणों पर आरोप लगे हैं कि ये विशिष्ट जनसांख्यिकीय समूहों को उच्च जोखिम वाले के रूप में अधिकतर चिह्नित करते हैं। इससे एआई सहायता से किए गए निर्णयों की

निष्पक्षता और समानता पर सवाल उठता है।

पूर्वाग्रही परिणामों का निर्माण एआई प्रणालियों द्वारा किया जा सकता है, जो कानूनी प्रणाली में वर्तमान में प्रचलित पक्षपाती दृष्टिकोणों को सुदृढ़ करती हैं। यह विशेष रूप से भारत में सच है, जहां पहले से ही गरीब और वंचित जनसंख्याएँ कानूनी प्रणाली द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार का शिकार होती हैं। इस खतरे को कम करने के लिए एआई प्रणालियों द्वारा इस्तेमाल किए गए प्रशिक्षण डेटा और विधियों का गहन विश्लेषण करना आवश्यक है।

मशीन लर्निंग में पूर्वाग्रह मुख्य रूप से तीन कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं: समस्या का परिभाषन, डेटा संग्रहण और डेटा तैयारी। उदाहरण के लिए, जब ग्राहकों के क्रेडिट स्कोर पर विचार किया जाता है, तो कएआईनी को यह निर्धारित करना होता है कि उसका लक्ष्य क्या है, क्या लाभ अधिकतम करना है या ऋण चुकौती दर को अधिकतम करना है। कानूनी शोध के संदर्भ में, एक उदाहरण यह हो सकता है कि क्या संबंधित केस कानून को प्राथमिकता दी जाए या संबंधित तथ्यों के पैटर्न को प्राथमिकता दी जाए।

पारदर्शिता की कमी

एआई एल्गोरिदम, विशेष रूप से मशीन लर्निंग-आधारित, को अक्सर ब्लैक बॉक्स के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह समझना मुश्किल है कि वे निर्णय कैसे लेते हैं। खुलेपन की इस कमी में एआई सिस्टम में विश्वास को खत्म करने की क्षमता है, खासकर जब जमानत या सजा जैसे महत्वपूर्ण विकल्पों की बात आती है। यदि एआई-जनित सिफारिश के पीछे तर्क अस्पष्ट है, तो हितधारकों को इसका आकलन या विरोध करना मुश्किल हो सकता है।

जवाबदेही और जिम्मेदारी

सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह पता लगाना है कि एआई-सहायता प्राप्त विकल्पों द्वारा की गई गलतियों के लिए कौन जिम्मेदार है। इस बारे में चिंताएं हैं कि किसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए यदि एआई उपकरण खराब सुझाव देता है जिसके परिणामस्वरूप गलत परिणाम होते हैं: एआई के निर्माता, कार्यान्वयन निकाय या न्यायपालिका। यह अस्पष्टता एआई को कानूनी ढांचे में शामिल करना अधिक कठिन बना देती है।

गोपनीयता और डेटा सुरक्षा

सीखने और भविष्यवाणी के लिए, एआई सिस्टम को अक्सर बहुत अधिक डेटा की आवश्यकता होती है। संवेदनशील जानकारी, जैसे वित्तीय या व्यक्तिगत डेटा, को ऐसे डेटा में शामिल किया जा सकता है। संगठनों को डेटा सुरक्षा नियमों का पालन करने में परेशानी हो सकती है यदि एआई एल्गोरिदम को कुशलतापूर्वक प्रशिक्षित करने के लिए इस तरह के डेटा की आवश्यकता होती है। क्योंकि एआई सिस्टम निजी और संवेदनशील कानूनी डेटा की भारी मात्रा को संभालते हैं, वे हैकर्स के लिए प्रमुख लक्ष्य हैं। डेटा उल्लंघनों और अवैध पहुंच की संभावना से गंभीर गोपनीयता चिंताएं उठाई जाती हैं, खासकर ढीले डेटा संरक्षण नियमों वाले क्षेत्रों में। लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) जैसे कानूनों का पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

इन मुद्दों को हल करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें मजबूत कानूनी ढांचा बनाना, एल्गोरिथम जिम्मेदारी की गारंटी देना और एआई सिस्टम में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना शामिल है। अदालतें इन नैतिक मुद्दों को संबोधित करके एआई का जिम्मेदारी से उपयोग कर सकती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह न्याय को कमजोर करने के बजाय आगे बढ़ाती है।

३. उ. तुलनात्मक विश्लेषण

कानूनी प्रणालियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग प्रत्येक देश में सामाजिक परिस्थितियों, कानूनी ढाँचों और तकनीकी संरचना में भिन्नताओं के कारण अलग-अलग होता है। अमेरिकी, ब्रिटिश और भारतीय न्यायिक प्रक्रियाओं में एआई के उपयोग की तुलना करने से यह स्पष्ट होता है कि इन देशों के कानूनी तंत्र में एआई को एकीकृत करने के लिए सामान्य लक्ष्य तो हैं, लेकिन इसके लागू करने के तरीके में विशिष्ट रणनीतियाँ भी हैं।

भारत

भारत ने न्यायपालिका पर बढ़े हुए दबाव को कम करने के लिए एआई का उपयोग करने में प्रगति की है। एआई-संचालित प्लेटफॉर्म, जैसे सुप्रीम कोर्ट का (SUPACE) (सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी), अदालतों में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए प्रशासनिक और अनुसंधान कार्यों को सुव्यवस्थित करने का लक्ष्य रखते हैं। एआई-सक्षम ट्रांसक्रिप्शन सेवाएँ एक उदाहरण हैं, जो अदालत के दस्तावेजों को डिजिटाइज करने और कानूनी जानकारी की पहुंच प्रदान करने में मदद करती हैं।

हालांकि, भारत की असमान प्रौद्योगिकी अवसंरचना और कानूनी चिकित्सकों के बीच डिजिटल साक्षरता का निम्न स्तर गंभीर बाधाएं पेश करता है। यद्यपि एआई ने कानूनी अनुसंधान और केस प्रबंधन जैसी प्रक्रियाओं को स्वचालित करने में वादे का प्रदर्शन किया है, पूर्वाग्रह, पारदर्शिता और नैतिक चिंताओं ने निर्णय लेने में इसके व्यापक उपयोग को रोका है। व्यापक रूप से अपनाने में एक और रुकावट यह है कि न्यायिक प्रक्रियाओं में एआई को नियंत्रित करने के लिए कोई व्यापक विधायी ढांचा नहीं है।

संयुक्त राज्य अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका, अपराध न्याय प्रणाली में जोखिम मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanction) जैसे तकनीकी उपकरणों के माध्यम से अपने कानूनी तंत्र में एआई को एकीकृत करने में अग्रणी है। कानूनी अनुसंधान, साक्ष्य विश्लेषण और भविष्यवाणी विश्लेषण में एआई के अनुप्रयोगों ने विभिन्न न्यायालयों में उत्पादकता और निर्णय-निर्माण में महत्वपूर्ण सुधार किया है। उदाहरण के लिए, ROSS इंटेलिजेंस जैसे एआई उपकरण वकीलों को जल्दी से पूर्ववर्ती निर्णय और केस कानून खोजने में सक्षम बनाते हैं।

इसके बावजूद, संयुक्त राज्य अमेरिका को एआई के उपयोग से उत्पन्न नैतिक और कानूनी मुद्दों के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। इन प्रणालियों में जातीय और लिंग आधारित पूर्वाग्रहों को उजागर करने वाले अध्ययनों के बाद, एआई-संचालित जोखिम मूल्यांकन उपकरणों की निष्पक्षता पर विवादास्पद चर्चाएँ हुई हैं। इन चिंताओं को अदालतों में एआई के उपयोग को नियंत्रित करने वाले स्थिर कानूनों की कमी ने और बढ़ा दिया है, जिसके कारण विभिन्न राज्यों में इसके उपयोग में भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका के ऑरेंज काउंटी में, ICAN (इंटरएक्टिव कम्युनिटी असिस्टेंस नेटवर्क) इंटरएक्टिव पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है जो स्व-प्रतिनिधित्व करने वाले वादियों द्वारा सामना किए जाने वाले कानूनी मुद्दों को हल करते हैं। ये मॉड्यूल स्व-प्रतिनिधित्व करने वाले वादियों को उचित अदालत फाइलिंग दस्तावेज ढूंढने में मार्गदर्शन करते हैं। यह न केवल स्व-प्रतिनिधित्व करने वाले वादियों को कानूनी प्रणाली को बेहतर समझने में मदद करता है, बल्कि यह वित्तीय संसाधनों की कमी वाले कानूनी सहायता संगठनों को समय और धन बचाने में भी मदद करता है।

युनाइटेड किंगडम

संयुक्त राज्य में न्यायिक प्रणाली एआई के प्रति सतर्क लेकिन रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाती है। न्यायिक दक्षता बढ़ाने और देरी को कम करने के लिए, डिजिटल केस प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले एआई समाधानों जैसे केसलाइन,जो डिजिटल केस प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाते हैं, और भविष्य कहने वाला विश्लेषण प्लेटफार्मों को एकीकृत किया गया है। यह गारंटी देने के लिए कि एआई उपकरणों का उपयोग मानव निर्णय के विकल्प के बजाय सहायता के रूप में किया जाता है, यूके न्यायपालिका एआई अनुप्रयोगों में खुलेपन और मानव निरीक्षण पर जोर देती है।

यूके अपनी नियामक दृष्टि के लिए भी प्रसिद्ध है। न्याय, जिम्मेदारी, और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर जोर देते हुए, इसने कानूनी प्रणाली में एआई के लिए नैतिक मानक बनाए हैं। अन्य देशों की तुलना में, इस सक्रिय दृष्टिकोण ने एआई प्रणालियों में विश्वास को बढ़ाया है। हालांकि, अब भी कुछ चुनौतियाँ हैं, विशेष रूप से जब यह सार्वजनिक स्वीकृति और स्वचालित अदालती निर्णयों के प्रति संदेह को लेकर आता है।

मुख्य निष्कर्ष की टेकअवेज

भारत एआई की केस बैकलॉग को कम करने की क्षमता पर प्रकाश डालता है, लेकिन यह

बुनियादी ढांचे और नियामक बाधाओं का सामना करता है। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका एआई परिनियोजन में सबसे आगे है, एल्गोरिथम पूर्वाग्रह और न्यायालयों में असंगत अनुप्रयोग नैतिक चुनौतियां प्रदान करते हैं। यूके एआई को संतुलित तरीके से एकीकृत करने के लिए एक मॉडल है क्योंकि यह नैतिक परिवेक्षण और खुलेपन पर उच्च प्राथमिकता देता है।

कानूनी प्रणालियों में एआई के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और सामान्य नैतिक मानकों को विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को इस तुलनात्मक अध्ययन द्वारा उजागर किया गया है। न्याय की लड़ाई में एआई को अपनाने की चुनौतियों पर बातचीत करने वाले अन्य लोग प्रत्येक देश की रणनीति से बहुत कुछ सीख सकते हैं।

३. ऊ. सिफारिशें

न्यायपालिका में एआई के उपयोग को नियंत्रित करने वाले व्यापक नियम सरकारों और न्यायिक अधिकारियों द्वारा स्थापित किए जाने चाहिए। पूर्वाग्रह, डेटा गोपनीयता और एल्गोरिथम निर्णय लेने के मुद्दों को हल करने के लिए इन रूपरेखाओं में निष्पक्षता, जवाबदेही और खुलेपन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नैतिक सिद्धांतों का उपयोग करके संदर्भ-विशिष्ट प्रतिबंध विकसित किए जा सकते हैं।

पूर्वाग्रहशमन रणनीतियों का कार्यान्वयन

एआई पूर्वाग्रह में कानूनी प्रणाली की निष्पक्षता से समझौता करने की क्षमता है। इसे दूर करने के लिए डेवलपर्स को प्रशिक्षण डेटासेट की विविधता और प्रतिनिधित्व को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पूर्वाग्रहों को एआई सिस्टम के स्वतंत्र आकलन और नियमित ऑडिट के उपयोग से पाया और ठीक किया जा सकता है। पारदर्शिता रिपोर्ट और एल्गोरिथम निष्पक्षता जांच जैसे तरीके आम होने चाहिए।

पारदर्शिता बढ़ाएँ

एआई सिस्टम के कामकाज में पारदर्शिता उन पर विश्वास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। न्यायाधीशों, वकीलों और अन्य हितधारकों को यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि अदालती प्रक्रियाओं में नियोजित एआई एल्गोरिदम द्वारा निर्णय या सिफारिशें कैसे की जाती हैं। एआई कंपनियों को अपने तरीकों को प्रकट करने और ऑडिटेबल लॉग रखने की आवश्यकता के द्वारा प्रौद्योगिकी में जवाबदेही और विश्वास सुनिश्चित किया जा सकता है।

डेटा गोपनीयता प्रोटोकॉल स्थापित करें

एआई सिस्टम द्वारा नियंत्रित निजी और संवेदनशील कानूनी जानकारी की सुरक्षा करना अदालतों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। लोगों की गोपनीयता के अधिकार की रक्षा के लिए, सरकारों को सख्त डेटा सुरक्षा मानकों और सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) जैसे कानूनों का पालन करना चाहिए। एक ठोस डेटा सुरक्षा योजना में अभिगम नियंत्रण, एन्क्रिप्शन और सुरक्षित भंडारण शामिल होना चाहिए।

क्रॉस-न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देना

न्याय प्रणालियों में एआई के अंतर्राष्ट्रीय अनुप्रयोग को सर्वोत्तम प्रथाओं और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने वाले न्यायालयों द्वारा बेहतर बनाया जा सकता है। नस्लवाद और डेटा सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने के अलावा, राष्ट्रों, शैक्षणिक संस्थानों और प्रौद्योगिकी कएआईनियों से जुड़ी सहकारी परियोजनाएं नवाचार को बढ़ावा दे सकती हैं।

३. ऋ. निष्कर्ष

प्रौद्योगिकी का आगमन और इसका देश के सभी प्रमुख क्षेत्रों और संस्थाओं में, जिसमें न्यायालयों और अन्य न्यायिक कार्यालयों का संचालन भी शामिल है, एक उल्लेखनीय और अपरिहार्य बदलाव है। अब विभिन्न न्यायालयों में वर्चुअल सुनवाई की सुविधा उपलब्ध है, और यह इन न्यायालयों के सामान्य संचालन में सहज रूप से समाहित हो गई है। इस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम (भारतीय साक्ष्य अधिनियम) में ''इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड'' को ''दस्तावेज'' की परिभाषा के तहत सम्मिलित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) की धारा २(म) में साक्ष्य की परिभाषा में ''इलेक्ट्रॉनिक रूप में दी गई कथन'' शब्दों को शामिल किया गया है। यह उन बदलावों

के अनुरूप है क्योंकि अब कई संचार माध्यम डिजिटल होते हैं, अतः यह आवश्यक था कि इन्हें साक्ष्य की परिभाषा में शामिल किया जाए। इन संशोधनों के अनुसार, BSA के अंतर्गत "डिजिटल" जैसे शब्दों को समाहित करके इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को अन्य धाराओं की सीमा के तहत लाया गया है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा ६१ में यह जोड़ा गया है कि "इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य" को केवल इसके इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में होने के कारण अस्वीकार्य नहीं माना जाएगा। यह इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता को मजबूत करने के लिए किया गया है। न्यायिक प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का समावेश एक क्रांतिकारी प्रगति है, जिसमें न्यायिक पहुंच, कार्यकुशलता और निष्पक्षता में सुधार की संभावना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) समाधान कानूनी प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने की क्षमता प्रदान करते हैं, जो प्रचलित समस्याओं जैसे मुकदमा पृष्ठभूमि, अत्यधिक लागतों और मानवीय पक्षपात में सुधार कर सकते हैं। एआई न्याय के प्रशासन को बदल रहा है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल हो रही हैं, कानूनी शोध को बेहतर बनाया जा रहा है और निर्णय-निर्माण के लिए डेटा-संचालित सूचनाएं प्रदान की जा रही हैं।

जैसे-जैसे एआई प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है, डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, मानवाधिकार और नैतिकता के मुद्दे बढ़ेंगे, जिससे नई समस्याएं उत्पन्न होंगी और प्रौद्योगिकी विकासकों से कड़े आत्म-नियमन की आवश्यकता होगी। जब एक मानव न्यायाधीश और एआई सहायक मिलकर काम करते हैं, तो यह संभावना है कि निर्णय लेने का अधिकार चुपचाप एआई को सौंएआई दिया जाए। इसे रोकने के लिए यह आवश्यक है कि न्यायपालिका में एआई के दिशा-निर्देशों को जल्द से जल्द लागू करने पर चर्चा की जाए। इस बहस का मुख्य मुद्दा यह है कि क्या एआई और मानव न्यायाधीशों को संस्थागत रूप से विभाजित किया जाए या उन्हें एक साथ काम करने दिया जाए।

वैश्विक तुलना के माध्यम से न्यायिक प्रणालियों में एआई के कार्यान्वयन के विभिन्न दृष्टिकोणों को उजागर किया गया है। भले ही अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने इस क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त की हो, भारत के प्रयास विकासशील देशों के सामने आने वाली विशिष्ट कठिनाइयों और संभावनाओं को उजागर करते हैं। इन न्यायक्षेत्रों का अनुभव यह दर्शाता है कि यह महत्वपूर्ण है कि एआई कार्यक्रमों को न्यायिक प्रणालियों की अनूठी आवश्यकताओं और वातावरण के अनुसार अनुकूलित किया जाए।

यदि एआई न्यायपालिका में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने वाला है, तो इसके लिए एक सतर्क और संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है कि नैतिक ढांचे को लागू किया जाए, पक्षपात को कम किया जाए, पारदर्शिता बढ़ाई जाए और मजबूत मानव निगरानी सुनिश्चित की जाए। न्यायिक प्रणालियाँ एआई का उपयोग करके न्याय में सुधार कर सकती हैं, बशर्ते आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाए और सार्वजनिक विश्वास पर उच्चतम ध्यान दिया जाए।

अंततः, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित पक्ष तकनीकी नवाचार और न्याय तथा जवाबदेही के पुरातन मूल्यों के बीच तालमेल कैसे बैठाते हैं, कि एआई न्यायिक प्रक्रियाओं में कितनी सफलता प्राप्त करेगा। उचित उपयोग और नियमन के साथ एआई को वैश्विक न्याय के लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में देखा जा सकता है।

संदर्भ

Simran Yadav, Law Research Associate, Allahabad High Court, Under Hon'ble Justice Ajit Kumar.

Aditi Prabhu, "Artificial Intelligence in Context of Legal Profession and Indian Judicial System", Bar & Bench, https://www.barandbench.com/columns/artificial-intelligence-in-context-of-legal-profession-and-indian-judicial-system (last visited Nov. 22, 2024).

Aditi Prabhu, "Artificial Intelligence in Context of Legal Profession and Indian Judicial System", Bar & Bench, https://www.barandbench.com/columns/artificial-intelligence-in-context-of-legal-profession-and-indian-judicial-system (last visited Nov. 22, 2024).

Barrat, J. (2015) Our final invention: Artificial intelligence and the end of the human era. New York: St. Martin's Griffin.

Chief Justice Asks ,vkbZ Lawyer Question on Death Penalty, Watch Its Response, India Today, Nov. 8, 2024, https://www.indiatoday.in/india/law-

news/story/chief-justice-dy-chandrachud-death-penalty-constitution-artificial-intelligence-,vkbZ-lawyer-video-2630152-2024-11-08.
F,vkbZr Trials, Regulating Artificial Intelligence for Use in Criminal Justice Systems in the EU: Policy Paper, https://www.f,vkbZrtrials.org/app/uploads/2022/01/Regulating-Artificial-Intelligence-for-Use-in-Criminal-Justice-Systems-F,vkbZr-Trials.pdf, (last visited Nov. 22, 2024).
John McCarthy, A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence 1 (Aug. 31, 1955), http://raysolomonoff.com/dartmouth/boxa/dart564props.pdf.
Justice Suraj Govindaraj, “Integrating Artificial Intelligence in Court Processes: Challenges/Opportunities and Issues/Possibilities", https://www.nja.gov.in/Concluded_Programmes/2022-23/P-1313_PPTs/1.Integrating%20Artificial%20Intelligence%20in%20Judiciary.pdf (last visited Nov. 22, 2024).
Kalliopi Terzidou, “Use of ,vkbZ in Civil Cases in India: An Analysis of Possible Implications", Enhelion Blogs (June 27, 2023), https://enhelion.com/blogs/2023/06/27/use-of-,vkbZ-in-civil-cases-in-india-an-analysis-of-possible-implications/#_ftn1.
Maoyu Wang, Use of Artificial Intelligence (,vkbZ) in the Field of Law, 6 ARIZ. L.J. EMERGING TECH. i (2022-2023).
Mohit Sharma, “India’s Courts and Artificial Intelligence: A Future Outlook", LeXonomica, 2023, https://www.researchgate.net/publication/377062808_India’s_Courts_and_Artificial_Intelligence_A_Future_Outlook
Muskan Shokeen & Vinit Sharma, “Artificial intelligence and criminal justice system in India: A critical study", International Journal of Law, Policy and Social Review, Volume 5, Issue 4, Page No. 156-162, 2023.
National Judicial Data Grid (NJDG): Introduction, Drishti Judiciary, https://www.drishtijudiciary.com/current-aff,vkbZrs/national-judicial-data-grid#:~:text=National%20Judicial%20Data%20Grid%20(NJDG),-Introduction%3A&text=Phase%20I%20of%20the%20project,on%207th%20August%202013 (last visited Nov. 22, 2024).
Professor Frederick I Lederer wrote in 1997– he is now the Chancellor William and Mary university.
The Power & Pitfalls of ,vkbZ in Indian Justice System, Analytics India Mag, https://analyticsindiamag.com/,vkbZ-breakthroughs/the-power-pitfalls-of-,vkbZ-in-indian-justice-system/ (last visited Nov. 22, 2024).
Yang, Practice and think about the construction of smart courts. People’s Court News (China), 2017.
Zheng, Application and regulation of artificial intelligence technology in judicial judgment, Chinese and Foreign Law, 32(3), p. 675–96, 2020.

न्यायाभा-न्याय की किरण
संपादक मण्डल

१. श्री दिवाकर द्विवेदी,
एच.जे.एस. संयुक्त निबंधक (न्या)
(एससीएमएस)/(समिति के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी)
प्रधान संपादक

२. श्री विवेक श्रीवास्तव,
उप-निबंधक, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद
संपादक

३. डॉ. अनुपम श्रीवास्तव,
समीक्षा अधिकारी, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद
सह-संपादक

विधि प्रतिवेदक

श्री आशीष कुमार, सुश्री गौरी दूबे, सुश्री निधि वर्मा, श्री यावर मुख्तार, सुश्री अर्चना सिंह

न्यायाभा · न्याय की किरण